

स्त्रियों की स्थिति

स्थिरण्योपयोगी शुद्धर साहित्य

पत्रांवलि	।।, ॥७	स्थिरों के व्यायाम	१०, १॥०
भारत की विद्युषी नारियाँ	।।, ॥८	प्रसूति-र्तन्त्र	२॥०, ३
नारी-उपदेश	।।, ॥९	धाढ़ी-शिरा	३, २॥०
कमला-झुसुम	॥।।, ॥१०	शिशु-पालन	३, २॥०
देवी झौपदी	।।, ॥११	अवला	४, १॥०
लकड़ी	।।, ॥१२	कर्म-फल	६॥०, २
महिला-सोद	।।, ॥१३	कुंडली-चक्र	१॥०, १॥०
ज़ज्ज्वा	॥।।, ॥१४	कृष्णकुमारी	५, १॥०
देवी सती	॥, ॥१५	गिरिवाज्ञा	५, १॥०
बनिता-विलास	।।, ॥१६	दुर्गावती	५, १॥०
गुर्त संदेश	॥।।, ॥१७	धरमला	॥।।, ॥१८
भारतीय खियाँ	॥, ॥१९	पतिव्रता	॥।।, ॥११॥०
देवी पावंती	॥।।, ॥२०	हृदय की प्यास	५, २॥०
नल-दमधंती	॥।।, ॥२१	नंदन-निकुञ्ज	५, १॥०
सती सावित्री	॥, ॥२२	नारायणी शिरा	५, २॥०
देवी सीता	॥, ॥२३	खी-नुवोधिनी	२॥०
देवी शकुंतला	॥, ॥२४	गार्हस्य शास्त्र	५, १॥०
		गृहस्य-जीवन	५, १॥०

हिंदोस्तान-भर की हिंदी-पुस्तकों मिलने का पता—

संचालक गंगा-अंथागार

३६, लालूशा रोड, लखनऊ

लिंगों की स्थिति

लेखिका

प्रीती अंतर्लङ्घन समाज, नं० १० द०

('महाराष्ट्रा पा दावाव' की लेखिका)

— — — — —

मिहंगे पा पता—

गंगा-चंधारार

१६, गांगा रोड

लखनऊ,

उदामुणि

लेखिका १०] द० १९९० द० [पाँडी]

प्रकाशक

श्रीदुलारेलाल भार्गव

अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय
लखनऊ



मुद्रक

श्रीदुलारेलाल भार्गव

अध्यक्ष गंगा-काइनक्रार्ट-प्रेस
लखनऊ

प्रारंभिक शब्द

हमारा समाज जो विद्यों के प्रश्नों के प्रति सर्वथा उपराम था, अब उन प्रश्नों पर बड़े गौर से विचार करने लगा है। विद्यों के वंधनों को काट देने के लिये अब चारों तरफ से आवाज़ों आने लगी हैं। प्रत्येक पदा-लिखा आदमी विद्यों की आजादी के उक्त में सोचने लगा है। गरीब घरों के लोग भी जाहजियों को पढ़ाने लगे हैं। विद्यों की हमारे समाज में अब तक जो स्थिति रही है, उसके विलम्ब प्रबल प्रतिक्रिया हो रही है, और यह प्रतिक्रिया ऐसे आँधी के बेग से हो रही है कि पुराने विचारों को लड़ से उखाड़ फेंके दे रही है।

इस प्रतिक्रिया के युग में पुराने विचारचालों का भी विलकुल अभाव नहीं है। प्रतिक्रिया की प्रबलता को देखकर वे लोग घबरा उठे हैं। वे पुराने विचारों को और ज्यादा ज्ञोर से चिपट गए हैं। मौके-वे-मौके वे हरेक पुराने विचार की तरफदारी करते हैं। उनकी समझ में विद्याँ इस लायक हैं ही नहीं कि उन पर एक मिनट के लिये भी विश्वास किया जा सके। उनके मत में विद्यों को लकड़कर रखना ही उन्हें ठीक रास्ते पर चलाने का एकमात्र साधन है। शनीमत यही है कि ऐसे लोगों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है।

पुरानी लक्षीर को पीटनेवालों के छिपाक नए विचारों में उड़ने-वाले झूतना आगे बढ़ गए हैं कि वे हरेक पुरानी बात से, हरेक पुराने विचार से तंग आ गए जान पड़ते हैं। वे नई बात को, नए विचार को, नई लड़के को खोजते से फिरते हैं। वे हर एक पुराने विचार

पा भज्ञाक उदाते हैं। उनकी समझ में कोई बात सिर्फ़ इसलिये छोड़ देने लायक है व्योंकि वह पुरानी है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रतिव्रत्य भी कोई आदर्श हो सकता है? वे खुले शब्दों में लिखते हैं खियां तितलियां हैं, और लिंगबी के रूप में ही वे उन्हें देखना पसंद करते हैं। वे पुराने भारतीय आदर्शों से इतना अच गए हैं कि सौता और सावित्रा का नाम सुनकर उन्हें उदासियाँ आने लगती हैं। प्रतिक्रिया के जोश में वे खियों-संवंधी किसी पुराने आदर्श को अपनाने के लिये तैयार नहीं होते। पेसे लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है।

खियों के साथ अब तक जैसा चर्ताव होता रहा है, उसकी लब तक पूरी प्रतिक्रिया नहीं हो जेती, तब तक शायद स्वाभाविक अवत्या भी नहीं आ सकती। हमें खियों को आज्ञाद त्यिति में लाने के लिये ऊँची-सेँची और झोरदार-न्से-झोरदार आवाज़ उठानी होगी। मैंने इस पुस्तक में प्रतिक्रिया को इस आवाज़ को उठाने में अपनी तरफ़ में कोई कसर नहीं रखतो। मैं चाहती हूँ कि खियों के बंधन की एक एक कड़ी मुझे अपनो धर्मियों के सामने हृष्टी हुई नज़र आए, परंतु इस प्रतिक्रिया में यह नहीं मुज़ा सकती कि यह प्रतिक्रिया है। जो विचारक प्रतिक्रिया के समय उस घटना के प्रतिक्रिया होने के विचार को भुला देता है, वह विचारक कहलाने के लायक नहीं। मैं समझती हूँ कि खियों के संवंध में जो पुराने विचार दूसरे घर कर गए हैं, उनमें प्रतिक्रिया हुए वजौर खियों की त्यिति सुधर नहीं सकती, परंतु मैं यह भी समझती हूँ कि यह प्रतिक्रिया कहुँ तरफ़ उचित सीभाज्ञों का उल्लंघन करती था रही है। इस प्रतिक्रिया करते हुए अपनी पाश्चात्य वहनों का अनुज्ञण करने लगी हैं। इस समझती है कि पुराना जो कुछ था, नहीं था, ज्ञान था, उसमें कुछ या हो नहीं। यह बात इतनी है। इस लिप्त आज्ञादः को चाहती हैं, वह भारत

की खियों को किसी समय प्राप्त थी । अबनी चतुर्मुख उन्नति करने की उन्हें पूरी सुविधा थी । पुरुष तथा स्त्री में जिस प्रकार के हस समय भेद समझे जाते हैं, हस प्रकार के भेद उस समय नहीं थे । आज्ञादी की दृष्टि से वैदिक युग की और बीसवीं सदी की स्त्री में रक्ती-भर फ़रफ़ नहीं था । खियों की स्थिति भारतवर्ष में बहुत पीछे जाकर गिरी । अब हम खियों की स्थिति में वर्तमान गिरावट को ही भारत में स्त्री की असली स्थिति समझने लगी हैं, और इन्हें हसमें लेने लायक कुछ नहीं मिलता, पारचात्य आदर्श में ही सब छुछ दिखलाई देता है । परंतु क्या पश्चिम की बहनें जिस सार्ग से जा रही हैं, उससे वे संतुष्ट हैं ? इसमें संदेह नहीं कि हमें आज्ञादा की भावना उनसे सीखनी है । पश्चिम की बहनें पतंत्र थीं, और फिर स्वतंत्र हो गईं; हम भी पतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र होना है ; परंतु स्वतंत्र होकर हमें आदर्श अपने ही रखने हैं—भारत के सध्यकालीन इतिहास के आदर्श नहीं, परंतु वैदिक युग के आदर्श, वे आदर्श, जो स्त्री को पुरुष के बराबर की स्थिति ही नहीं देते परंतु कहाँ अंशों में पुरुष से भी ऊँची स्थिति देते हैं ।

इन्हीं भावनाओं में यह पुस्तक लिखी गई है । पुराने तथा नए दोनों विचारों के लोग हसने पक दूसरे से उल्टी बातें पाएँगे । उन्हें परस्पर विरोध इसलिये दिखाई देगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में या पुराने विचार ही ठीक हो सकते हैं, या नए विचार ही । परंतु मेरा दृष्टिकोण यह नहीं है । मैं अपनी परिच्छमी बहनों की तरह आज्ञादी तो चाहती हूँ, और बड़े ज़ोर से चाहती हूँ, परंतु मुझे परिच्छमी आदर्शों से प्रेम नहीं है । हमें आज्ञादी की भावना उनसे सीखनी होगी, परंतु आदर्श अपने रखने होंगे । मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ पूर्व अथवा सिर्फ़ पश्चिम के पीछे भागने के बजाय दोनों में जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसका

समिमद्वय करके स्त्रियों की स्थिति की कवरना की जाए। इसी कवरना का विश्व इन पृष्ठों में दिया गया है। जहाँ मैंने अपनी वहनों में स्वतंत्रता की भावना को लगाना चाहा है, वहाँ मैंने यह भी प्रयत्न किया है कि वे मारतीय नारी के आदर्श को न मुला दें। मैं समझती हूँ, इस समय जब कि समाज प्रकृति स्त्रियों के प्रतीकों की उत्तम ध्यान देने लगा है, स्त्री-जाति के संर्थध ने पूर्ण तथा परिषम का मुंदर-मुंदर भावनाओं को मिलाने की आवश्यकता है। इस प्रयत्न में मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका नियंत्रण मैं पाठ्य-वादिकाओं पर छोड़ती हूँ।

चंद्रावती प्रभ० प०

लिखा याएँ लिखो लिखा लिंग

भारत में स्त्री-जाति का भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्

१. वैदिक काल

प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति किसी अंश में भी पुरुषों से कम न थी। वे पुरुषों के बराबर समझी जाती थीं। स्त्री पुरुष का आधा अंग मानी जाती थी। यह भाव 'अधींगिनी'-शब्द से भली भाँति व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार 'दंपति'-शब्द से भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से घर के पति माने जाते थे। 'दम'-शब्द वेदों में 'घर' के लिये प्रयुक्त होता है। उसके वे दोनों मालिक समझे गए थे। वैदिक साहित्य में स्त्री तथा पुरुष की। उत्पत्ति की कथा भी इस बात को पुष्ट करती है कि उन दोनों की स्थिति समानता की थी। शतपथ १४, ४. २, ५ में लिखा है—

“आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुष विधः । सोऽहमस्मि इत्यग्रे व्याहरत् ततः अहं नामाभवत् स वै ज रेमे । तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयः मैत्रैव । स द्वैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ । स इममा-रमानं इत्यापातय । सवः पवित्रं पक्षी आमवदान् ।”

“सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा ही था, उसी का नाम पुरुष था। वह इकला था, उसके अतिरिक्त दूसरा न था। उसने कहा, ‘मैं हूँ’ इसलिये उसका नाम ‘अहम्’ हो गया। अकेला रमण नहीं कर सकता था। उसने दूसरे की इच्छा की। वह इतना था, जैसे खी-पुरुष मिले होते हैं। उसके दो ढुकड़े कर दिए गए, और वे पति-पत्नी कहलाए।” इस कथा का यही अभिप्राय है कि खी-पुरुष एकाकार थे, उस एकाकार अवस्था के दो ढुकड़े हो गए। समानता के भाव को प्रकट करने के लिये इससे अच्छा दूसरा क्या अलंकार हो सकता है। यही वैदिक कथानक बाइबिल में भी पहुँचा प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ भी यही लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में आदम को पैदा किया गया। वह अकेला था; इसलिये उसका जी नहीं लगता था। उसी के दो हिस्से किए गए, जिसमें से ‘आदम’ तथा ‘हौवा’ पैदा हो गए। वैदिक धर्म का यह अलंकार, जो दूसरे धर्मों में भी गया, वैदिक काल में खी की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।

प्राचीन भारत में खियों की स्थिति बहुत ऊँची थी। भारत-वासियों के सब आदर्श खी-रूप में मिलते हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का लक्ष्मी में, पराक्रम का महामाया में, सौंदर्य का रति में, पञ्चिता का गंगा में। यहाँ तक कि भारतवासियों ने परम शक्तिशाली भगवान् को भी जगज्जननी के रूप में देखा है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि

प्राचीन वैदिक युग में लियों को किन पवित्रतम, उच्च तथा सम्मान-पूर्ण भावों के साथ देखा जाता था। आज भी भारतवर्ष के अंदर जगह-जगह देवी के मंदिर बने हैं, और हजारों नर-नारी देवी की पूजा करने मंदिरों में जाते हैं।

वैदिक काल में लौ का परिवार में भी बहुत ऊँचा स्थान था। विवाह-संस्कार के समय कुल-वधू को संबोधन करके कहा जाता था—

“साम्राज्येभि शवशुरेषु साम्राज्युत देवपुः
ननान्दु साम्राज्येभि साम्राज्युत शवधूः ।”

“हे नववधू ! तू जिस नवीन घर में जाने लगी है, वहाँ की तू समाजी है। वह राज तेरा है। तेरे शवशुर, देवर, ननद और सास तुझे समाजी समझते हुए तेरे राज में आनंदित रहें।” वेद में लौ को घर की रानी कहा गया है। इसी से उस समय में परिवार के अंदर लौ की ऊँची स्थिति का अनुमान किया जा सकता है।

वैदिक समय की लियों में पर्दे की प्रथा न थी। विवाह के उत्तरार्ध के समय जो मंत्र पढ़ा जाता था, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। वेद में लिखा है—

“सुमङ्गलीरिथं वधूरिमां समेत पश्यत”

“इस सौभाग्यशालिनी वधू को सब लोग आकर देखो।” इस वेद-मंत्र से यह स्पष्ट है कि उस समय पर्दा न था। संपूर्ण वैदिक साहित्य का अवलोकन करने पर भी कहाँ पर्दे

का चिक्र नहीं मिलता। बृहदारण्यक में गार्गी की कथा आती है। वहाँ लिखा है कि राजा जनक ने यह जानने के लिये कि उस समय का सबसे बड़ा विद्वान् कौन है, एक भारी सभा की। एक हजार गौओं को, जिनके सांग सोने से मढ़े हुए थे, एक जगह खड़ा कर दिया, और यह घोषणा कर दी गई कि जो सबसे अधिक विद्वान् हो, वह इन गौओं को हाँक ले जाय। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को गौएँ हाँक ले जाने का आदेश दिया। उस समय गार्गी वाचकनवी ने भरी सभा में खड़े होकर याज्ञवल्क्य की विद्वत्ता की परीक्षा करने के लिये बहुत-से प्रश्न किए। गार्गी के इस व्यवहार से जहाँ उसकी विद्वत्ता तथा साहस का प्रमाण मिलता है, वहाँ यह भी सिद्ध होता है कि उस समय लियों में पर्दे का रिवाज न था। यदि होता, तो गार्गी का भरी सभा में उपस्थित होना तथा पुरुषों के बीच में खड़े होकर वाद-विवाद करना कभी सुन्मवन होता। पर्दा तो भारतवर्ष में महाभारत-काल तक भी नहीं आया था। महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन को श्रीकृष्ण से युद्ध न करने के लिये भीमपितामह, द्रोणाचार्य आदि ने बहुत समझाया। जब वे कृतकार्य न हुए, तो उसे समझाने के लिये माता गांधारी को राजसभा में बुलाया गया। इससे यही प्रकट होता है कि उस समय लियों के राजदरबार में आने तथा राज्य-कार्यों में परामर्श देने की प्रथा विविधान थी।

वैदिक काल में लियों ऊँची-से-ऊँची शिक्षा ग्रहण करती

थीं। यजु० १४।४ में खी को 'सोमपृष्ठा' कहा है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह वेद-मंत्रों के विषय में जिज्ञासा करती रहती है। प्राचीन इतिहास में सुलभा का नाम प्रसिद्ध है। सुलभा का संकल्प था कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा, उसी से विवाह करेगी। सुलभा का यह निश्चय उसके अगाध पांडित्य का घोतक है। खियों का मानसिक विकास चारों दिशाओं में हुआ था, इसका उदाहरण प्रत्यक्ष वेदों में ही मिलता है। वेदों के विषय में जिन्हें थोड़ा-सा भी ज्ञान है, वे जानते हैं कि वेद-मंत्रों के अर्थों को स्पष्ट करनेवालों को शृणि कहा जाता है। भिन्न-भिन्न मंत्रों के अर्थ भिन्न-भिन्न शृणियों ने खोले हैं। कई वेद-मंत्रों को खोलनेवाली खी शृणिकाएँ भी हुई हैं। लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि खी शृणिकाएँ हैं, जिन्होंने वेदों के गूढ़ रहस्यों का साक्षात्कार किया था।

वैदिक काल में बाल-विवाह नहीं था, और कन्याओं को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। वेद में लिखा है—“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।” “पूर्ण ब्रह्मचर्य-ब्रत लेकर कन्या शिक्षा प्रहण करती हुई विवाह करे।” इस वेद-मंत्र से ज्ञात होता है कि उस समय बालिकाओं के लिये शिक्षा प्रहण करना उतना ही आवश्यक माना जाता था, जितना कि बालकों के लिये। ब्रह्मचर्या-श्रम के सब नियमों को, जिनमें शिक्षा प्राप्त करना प्रधान था, पूरा करके ही कन्या को विवाह करने का अधिकार था। दुध-मुँही बच्चियों का विवाह रचना वैदिक काल की प्रथा न थी।

उस समय पूर्ण युवती होने पर ही कन्या का विवाह होता था ।
यह मात्र निम्न-लिखित मंत्र से भर्ती भाँति स्पष्ट हो जाता है—

“सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वोऽविविद उत्तरः ;

दृढीपो अग्निष्टे परिस्तुरीपस्ते मनुष्यनाः ।”

(अ० १०, द४, ४०)

इस मंत्र में लिखा है कि कन्या के चार पति होते हैं । पहला सोम, दूसरा गन्धर्व, तीसरा अग्नि और चौथा मनुष्य । सोम से अमिग्राय बनस्पति से है । पहले कन्या की शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए । इस कथन को वेद ने इस प्रकार कहा है कि उसका पहला पति सोम है । शारीरिक वृद्धि के बाद कन्या का मानसिक विकास होना चाहिए । इसी मात्र को विशद करने के लिये वेद ने कहा है कि कन्या का दूसरा पति गन्धर्व है । गन्धर्व का काम उल्लिखित कलाओं का ज्ञान देना है । शारीरिक वृद्धि के अनन्तर कन्या को सामाजिक व्यवहार, मिलना-जुलना, गाना-बजाना आदि आना चाहिए । इसके बाद कन्या का तीसरा पति अग्नि है । अग्नि का अमिग्राय स्पष्ट है । कन्या की शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के बाद उसमें मनोभाव (Emotions) भी उत्पन्न हो जाने चाहिए । तब कन्या का विवाह मनुष्य से किया जाय । यह वेद का आदेश है । इस आदेश में कन्या की कोई खास आयु निश्चित नहीं की गई । जिस समय उसकी आयु परिपक्व अवस्था पर पहुँचे, उस समय उसका विवाह हो । गर्म देशों में कन्याएँ शीघ्र विवाह के योग्य हो जाती हैं । सर्द देशों में २० वर्ष की

आयु का विवाह भी बाल-विवाह समझा जाता है। इसलिये वेद ने आयु की कोई सीमा नहीं बाँधी। परंतु एक नियम का विधान कर दिया है। यह नियम जिस समाज में लागू होगा, उसमें बाल-विवाह की प्रथा नहीं रह सकती।

वैदिक काल में आत्मिक विकास की दृष्टि से भी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ एक ही क्षेत्र में विचरण करती थीं। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी का संवाद आता है। याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति तथा घर आदि छोड़कर स्वयं जंगल में जाकर अध्यात्म-विद्या में अपना समय देना चाहते हैं, वह मैत्रेयी से अपना विचार कहते हैं। मैत्रेयी कहती है, यदि संसार का सारा धन एकत्रित करके उसको दे दिया जाय, तब भी वह घर रहने को तैयार न होगी। उसका यह विचार जानकर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को अपने साथ ले जाने से पूर्व आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। इस ऊँचे उपदेश को जिस सरलता के साथ मैत्रेयी हृदयंगम कर लेती है, उससे मैत्रेयी के मानसिक तथा आत्मिक विकास की ऊँची अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान रखने के साथ-ही-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी स्त्री का पुरुष के बराबर ही स्थान था। कोई यज्ञ स्त्री के भाग के बिना पूरा न समझा जाता था। रामचंद्रजी के राज्याभिषेक पर, सीता के परित्याग के पश्चात्, जब राजसूय-यज्ञ होने लगा, तो सीताजी का यज्ञ में होना अत्यावश्यक समझा गया। उस समय सीताजी की स्वर्ण-मूर्ति को उनके स्थान पर रखकर यज्ञ की पूर्ति की गई

थी। वैदिक काल में राजा के अभिषेक के साथ उसकी रानी का भी राज्याभिषेक करने की प्रथा रही है। विशाह के समय माता-पिता दोनों मिलकर कन्या-दान करते थे। यह प्रथा आज तक अविकल रूप से चली आ रही है। हिंदू-धर्मशास्त्रों के अनुसार अब भी कन्या-दान के लिये माता का रहना आवश्यक होता है। अकेले पिता को कन्या-दान का अधिकार नहीं। वेदों का युग स्वतंत्रता का युग था। इसमें कोई किसी से न ऊँचा था न नीचा; जी-पुरुष समान थे। लियों को चारों दिशाओं में उन्नति करने का पूरा अवसर मिलता था, इसलिये जिस क्षेत्र में भी लियाँ कदम बढ़ाती थीं, उसी को वे अपनी अपूर्व प्रतिभा के तेज से आलोकित कर देती थीं। जिस वस्तु को भी वे हाथ लगाती थीं, उसी पर वे अपने विलक्षण व्यक्तित्व की गहरी छाप लगा देती थीं। उनके अंदर जहाँ विद्वता, प्रतिभा, विचार-शक्ति तथा आत्म-बल था, वहाँ उनके सारे व्यवहार में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की विधमानता का अनुभव होता है। जब तक स्वतंत्रता तथा समानता का वायुमंडल रहा, जब तक लियों की ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा को फलने-फूलने का अवसर मिलता रहा, तभी तक लियाँ समाज तथा देश के साहित्य पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव ढालती रहीं, तभी तक वे अपने आत्म-बल तथा सतीत्व के द्वारा देश के आदर्शों को ऊँचा उठाती रहीं, और तभी तक वे अपनी विचित्र संजीविनी शक्ति से जाति के अंदर जीवन-संचार करती रहीं।

२. मध्यकाल (पूर्वार्ध)

खियों की वैदिक समय में जो स्थिति थी, वह बहुत देर तक क्रायम न रखी जा सकी। प्राचीन वैदिक काल में खी को जिन उच्च, पवित्रतम भावों से देखा जाता था, वे धीरे-धीरे शिथिल पड़ने लगे। उस समय खी 'देवी' थी, 'सप्ताङ्गी' थी, पुरुष की योग्य सहचरी थी, पथ-प्रदर्शिका थी, जाति के भविष्य की निर्मात्री थी। पहले पुरुषों की दृष्टि में खी यह सब कुछ थी, किंतु खी-संबंधी यह उच्च आदर्श, खी के संबंध में विचारों की यह ऊँची उड्डान, देर तक जारी न रह सकी। पुरुष की खी के प्रति वह दृष्टि, जिसका परिणाम देश तथा समाज के लिये कल्याणकारी हुआ था, अब धीरे-धीरे विपरीत दिशा में बदलने लगी। समय के व्यतीत होते-होते ऊँची विचार-धारा और पवित्र आदर्श इतने बदले कि इन्होंने युग ही बदल दिय । भारतवर्ष अब धीरे-धीरे मध्य युग की ओर कदम बढ़ा रहा था। नया युग था, नया दृष्टिकोण । खी अब भी दिव्य गुणों से युक्त थी, किंतु जो कमज़ोरियाँ पहले खी के आभूषण तथा गुण बने हुए थे, अब उसके अवगुण बन गए। उसकी स्वाभाविक तथा शारीरिक दुर्बलताएँ जो पहले उसकी सरलता, शोभा, लालित्य तथा सौंदर्य को बढ़ानेवाली थों, अब उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी के रूप में सामने आने लगीं। खी शरीर में पुरुष की अपेक्षा कमज़ोर थी, पुरुष बलवान् था; इसलिये पहले तो वह खी की रक्षा करना अपना गौरव समझता था, परंतु पीछे उसकी शारीरिक

निर्वलता पुरुष को अपने ऊपर एक बोझ-सी प्रतीत होने लगा। कुछ दिनों बाद नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। पुरुष छी की रक्षा करता है, इसलिये उसके पुरस्कार-स्वरूप बदले में स्वयं ही उसने छी के अधिकारों पर कङ्गा जमाना शुरू कर दिया। पुरुष को आर्थिक दृष्टि से भी छी अपने ऊपर आश्रित दिखलाई देने लगा। पुरुष बन कर उपार्जन करके लाता था, छी वर में रहकर संतान का पाञ्च तथा गृह-प्रवंच ऋती था। दोनों के कांय-क्षेत्र मिल होते हुए, भी एक दूसरे से कस महत्व के नहीं थे। किंतु पुरुष का छी के प्रति पहले का दृष्टिरूप, जैसे पहले कहा जा चुका है, अब बदल चुका था। अतः वही छी, जो उसके लिये पहले 'सम्राज्ञ' था, अब एक सावारण-सी आश्रिता पर्णा प्रतीत होने लगा। गृह-चर्मी पांचिका के नूप में नजर आने लगा, माता संविका बन गई। जावन और शक्तिप्रदायिनी देवी अब निर्वलताओं की खान बन गई। छी जो किसी समय अपने ग्रवल व्यक्तित्व के द्वारा देवा के साहित्य तथा समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतंत्र, परावीन, निस्स-हाय, निर्वल बन चुकी थी। वैदिक युग का दृष्टिकोण, जो छी के प्रति दिव्य कल्पनाओं तथा पुर्णात् भावनाओं से परिवैष्टित था, अब पूर्णतया बदल चुका था। असावारण सावारण बन चुका था, अलौकिक लौकिक। आवास्मिकता का माप ही नीचे गिर रहा था। अन्य लोंचे आदर्शों का भी अवधितन शुरू हो चुका था। इस अवधितन के युग के ग्रारंभ में ही छी की

स्थिति काफी बदल चुकी थी। लड़ी को न अब वैसी स्वतंत्रता थी और न पहले-से अधिकार। पुरुष ने लड़ी को शारीरिक तथा धार्मिक दृष्टि से अपने ऊपर आश्रित पाकर उसके कई अधिकारों को छीन लिया था। लड़ी की कमज़ोरी पुरुष के उच्छृंखल होने का साधन बन गई थी। जब कोई जाति किसी आदर्श से एक बार गिर जाती है, तो वह गिरती ही जाती है। शक्ति का लेभ और अधिक बढ़ता गया, और यहाँ तक बढ़ा कि एक समय आया, जब कि लड़ी के ऊपर पुरुष का पूरा अधिकार हो गया। उसकी स्वतंत्र विचार-शक्ति, उसका व्यक्तित्व सब कुछ लेप हो गया। उसके लिये पुरुष ने नए आदर्श तथा नई मर्यादाओं का निर्माण किया; जिनसे लड़ी की सामाजिक तथा पारिवारिक दशा बहुत ख़राब हो गई। लड़ी की स्थिति मध्ययुग के पूर्वार्ध में जो कुछ रही, उसका प्रतिबिंब मनुस्मृति में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वहाँ लिखा है—

“अस्वतंत्राः लियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् ;
 विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्याः धात्मनोवशे ।
 पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ;
 रक्षन्ति स्थविरे पुन्ना न लड़ी स्वातंत्र्यमहंति ॥”

“लियों को परतंत्र रखना चाहिए। पुरुषों का कर्तव्य है कि लियों को रात-दिन अपने वश में रखें। कुमार अवस्था में लड़ी की पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र। लड़ी कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं।”

नव्युग का ग्राम सब प्रकार से लियों की गिरवत का ग्राम था। लियों को अविद्यासु की दृष्टि से देखा जाने गया। उनकी सततत्रिता का अमरण कर लिया गया। उन्हें पुरुषों के सामान अविद्यारों का उपनाम करने में अधोग्र समझा गया। उनके नानाप्रकृति तथा आत्मिक विकास के द्वारा पर ताङ ठोक दिया गया। उनकी साहित्यिक उभारि के नार्ग पर अनेकों प्रतिवंश लगा दिए गए। उपनयन के संस्कार से बां को वैचित रख-कर उनको सदियों के लिये अविद्या तथा अंवकार के गड़े में ढकेल दिया गया। जो लियों वैदिक काष में वर्ण की ग्राण थीं, उन्होंने लियों को श्रुति का पाठ तक करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। “र्द्वावृद्धौ नार्वायतान्”-जैसे बाक्यों की नन-गड़त रचना करके लियों को वर्ण के क्षेत्र से निकाल फेंका गया। लियों के लिये संस्कारों की मी कोई आवश्यकता न समझी गई। महुल्लति ने व्रेष्टगा कर दी कि बां के लिये विवाह ही पक्ष-मात्र संस्कार है। बां को विवाह-संस्कार के अतिरिक्त और किसी संस्कार की ज़हरत नहीं। “ऐनाहिको विविः र्द्वागां संस्कारो वैदिकः स्तूपः।”¹ नसु के बाउ प्रकार के विवाहों में से बासुर, राज्ञस तथा पैद्याच विवाह मी हैं। इनके अद्यसार, याँ कोई पुरुष किसी बां को चुपकर मी ले जाय, तब नी वह उनका पति-पुरुष में प्रवृण करे, ताहे वह बां उस व्यक्ति को दृण की दृष्टि से ही क्यों न देखती हो। विवाहोंके इस प्रकार के वर्गांकरण से वही प्रतीत होता है कि उस समय बां की स्थिति बही अत्यिर तथा नीची बना दी गई थी।

बौद्ध-धर्म-पुस्तकों से भी उस समय की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बौद्ध-संघों में पहले तो स्त्रियों के लेने की मनाही थी। पीछे जब स्त्रियों भिक्षुणी होने लगे, तो उनके लिये भिक्षुओं से कहाँ अधिक कड़े नियमों का निर्माण किया गया। बौद्ध-पुस्तक चूलवग्ग में लिखा है कि बुद्ध की माता महा प्रजापति गौतमी ने तीन बार संघ में प्रवेश किए जाने की आज्ञा माँगी, किंतु तीनों बार उसे इनकार कर दिया गया। बहुत कुछ कहन-सुनने के उपरांत जब उसे प्रवेश होने की आज्ञा मिली, तब कड़े-कड़े आठ नियम स्त्रियों के प्रवेश के लिये बनाए गए। उनमें से एक यह भी था कि वृद्धा-से-वृद्धा १०० वर्ष की आयुवाली भिक्षुणी को भी उसी दिन के नवदीक्षित भिक्षु के लिये अभिवादन, प्रत्युत्थान आदि करना चाहिए। एक दूसरा नियम यह था कि भिक्षुणी किसी प्रकार भी भिक्षु को गाली न दे; और न कोई भिक्षुणी किसी भिक्षु से बात करे। यद्यपि महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षु-जीवन स्वीकृत करने की अनुमति दे दी थी, किंतु वे इसको अच्छा न समझते थे। स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने का क्या परिणाम होगा, इस संबंध में उन्होंने स्वयं अपने शिष्य आनंद से इस प्रकार कहा था—“हे आनंद! यदि तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म-विषय में स्त्रियाँ प्रवृज्या न पातीं, तो यह धर्म चिरस्थायी होता; सद्धर्म सहस्र वर्ष तक ठहरता। लेकिन क्योंकि, आनंद, स्त्रियाँ प्रवृजित हुईं, अतः अब यह धर्म चिरस्थायी न होगा।

सद्गुर्म ५०० वर्ष तक ही छहरेगा।” आगे चलकर बुद्ध ने खी मिक्षुणियों की रोग से उपमा दी है। इस सबसे यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि खी की स्थिति इस समय काफ़ी गिर चुकी थी। इस समय के साहित्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस समय तक वैदिक काल का एक पली-न्रत का आदर्श लुप्त हो चुका था, उसके स्थान में वहुविवाह का खुल्मखुल्ला प्रचार हो गया था। वहुविवाह के बहुत से दृष्टांत वौद्ध-साहित्य में उपलब्ध होते हैं। महावंश के अनुसार बुद्धोदन का विवाह माया और महामाया नाम की दो वहनों से हुआ था। राजा विंव-सार की सोलह हजार रानियों का जातक-कथाओं में जिक्र आता है।

वैदिक युग में लियों खुले, स्वतंत्र, ऊँचे, पवित्र वायुमंडल में विचरती थीं। उस वायुमंडल में न तो ऊँचनीच का मेद-माव था और न संदेह तथा अविश्वास के नीचे विचार। किंतु मध्ययुग का वातावरण तंग, घुटा हुआ, विषमता के विष से भरा हुआ, अविश्वास-भूर्ण तथा संकुचित दृष्टिकोण से दूषित था। इस युग में जो सबसे बड़ा परिवर्तन खी की स्थिति में हुआ, वह उसके कार्य-क्षेत्र का सीमित होना था। खी की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सब प्रकार की उन्नति को रोककर उसकी स्थिति घर में परिमित कर दी गई। पति की सेवा करना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। “पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया।” “पति-सेवा ही

खी के लिये गुरु के घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करना है, और घर का काम-धंधा करना ही उसका यज्ञ या अग्निहोत्र है।”

किंतु काले मेघों के अंदर भी विद्युत् रेखा झिलमिला जाती है। मध्ययुग की गिरावट के बीच में भी हमें पुराने, उच्च, पवित्र आदर्शों की झलक कहाँ-कहाँ दिखलाई पड़ जाती है। तभी तो जिस मनुस्मृति में यह बतलाया गया है कि ख्रियाँ विश्वास करने योग्य नहीं, स्वतंत्र रहने लायक नहीं, उसी मनुस्मृति में खी को पूज्य-चुद्धि से, आदर वा सम्मान की दृष्टि से देखने का आदेश भी दिया गया है। मनु का कहना है—“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।” “जहाँ ख्रियों का सम्मान होता है, उस स्थान में देवता वास करते हैं। मनु के इस वाक्य में उसी पुराने वैदिक आदर्श की झलक है, जिसे सामने रखकर एक समय भरतवर्ष खी को ‘देवी’, ‘सम्राज्ञी’ के रूप में देखता था। मध्ययुग की गिरावट के समय में भी अर्ध-नारीश्वर का भाव पाया जाता है। शिव तथा पार्वती का जोड़ा खी की स्थिति को लक्ष्य में रखकर ही बनाया गया था। परंतु इस समय की धार्मिक कल्पना में वैदिक विचार का प्रतिबिंब-मात्र ही शेष रह गया था। असली विचार छुप्त हो रहा था।

बौद्ध-काल की पुस्तकों को गंभीर दृष्टि से देखने से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मध्ययुग के पूर्वार्ध में ख्रियों की स्थिति यद्यपि वैदिक युग की अपेक्षा बहुत अधिक गिर चुकी थी, किंतु फिर भी इतनी गिरावट नहीं हुई थी, जो उस युग के

उत्तरार्ध में दिखाई देता है। इस समय तक यद्यपि लियों की विद्वता, पांडित्य तथा स्वतंत्र विचारशक्ति का पर्याप्त मात्रा में हास हो चुका था, तथापि उनमें अलौकिक श्रद्धा, आत्मबल तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व का अभी तक कुछ अंश बाकी बचा हुआ था। उसी श्रद्धा, बल और प्रभाव के द्वारा उस समय की लियों महात्मा बुद्ध-जैसे महान् व्यक्ति को बाहित कर सकी थीं कि उनको धर्म-संवर्णों में प्रवेश होने की आज्ञा मिले। संघ में ५०० के लगभग लियों ने स्थान प्राप्त कर लिया था। और, जिस योग्यता के साथ उनमें से कुछ ने संघ के नियमों को पूरा किया, और संघ के उद्देश्यों का समस्त देश में प्रचार किया था, उससे उनकी शिक्षा तथा उच्च कोटि की योग्यता का पर्याप्त परिचय मिलता है। बौद्ध-ग्रंथों में अनेकों विदुषी लियों का उल्लेख है, जो बुद्धिमती, सुशिक्षिता और प्रतिष्ठान्युक्त थीं। संयुक्तनिकाय में सुका नाम की एक महिला का नाम आता है, जिसकी वकृत शक्ति अपने समय में अद्वितीय समझी जाती थी। जिस समय वह राजगृह में व्याख्यान देने गई, तो संपूर्ण नगर-निवासियों को उसके व्याख्यान की सूचना इस प्रकार दी गई—“सुका अमृत-वर्षा कर रही है। जो लोग बुद्धिमान् हैं, वे जावें, और अमृत-रस का पान करें।” श्रद्धा, खेमा, विशाखा आदि कई विदुषी महिलाओं का परिचय भी बौद्ध-ग्रंथों में मिलता है। मंडन मिश्र की द्वी विद्याधरी का शंकराचार्य-जैसे विद्वान् के समुख मन्त्रस्थ बनना और फिर उनसे शाकार्थ करना भी सिद्ध

करता है कि मध्ययुग में लियों ने अपने सब अधिकारों को नहीं छोड़ा था।

बौद्ध-काल के अनंतर जब हम राजपूतों के समय की तरफ आते हैं, तब भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि खी-जाति का भाग्य-सूर्य यहाँ भी अभी पूर्णतया अंतर्हित नहीं हो गया था। अब भी प्रकाश की अंतिम रश्मियाँ राजपूताने की मरु-भूमि को अपने तेज से आलोकित कर रही थीं। यद्यपि सूर्यस्ति समीप आ रहा था, तथापि इस गोधूलि की लालिमा में खी-जाति का भाग्य-सूर्य अंतिम बार चमक उठा था। राजपूत-नारियों के देश-प्रेम, श्रद्धा-भक्ति तथा वीरता ने अस्ताचल की ओर जाते भाग्य-सूर्य में एक बार पुनः ज्योति का संचार किया था। रानी दुर्गावती का दृष्टांत किससे छिपा है। वह गढ़-प्रदेश की छोटी-सी रानी थी। उसके पुत्र पर अक्षवर ने आक्रमण कर दिया। अपने छोटे-से शिशु की रक्षा करने के लिये रानी दुर्गावती ने अपनी सेना तैयार की, और स्वयं उसकी सेनापति बनी। यद्यपि वह युद्ध में परास्त हो गई, तथापि उसका भारत के सप्तांश के साथ युद्ध करने के लिये उघत हो जाना, उस शिरावट के समय में भी, खी-जाति के अदम्य साहस पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। जिस समय उसने देख लिया कि वह जीत न सकेगी, उस समय अपने को शत्रुओं के हाथ में छोड़ने की अपेक्षा उसका आत्मशत कर लेना सिद्ध करता है कि लियों में आत्म-समर्पण का भाव किस उच्च कोटि में वर्तमान था। इसी

प्रकार धनेसर-युद्ध में, चित्तौड़ की लड्डाई में जिस समय राजपूत-देवियों को किले के गिरने के समाचार मिले, उस समय किस भारत-समर्पण के भाव से चार-पाँच सौ राजपूतनियाँ के सरिया पहनकर जल्दी चित्ताओं में जा चैठी थीं। परास्त होते हुए सिपाहियों को उत्साहित करना, भागते हुओं को फिर से बापस कर देश के लिये मर मिटने का उपदेश करना, पुत्र को, पति को भारत-माता के शुभ मल्क पर कलंक का टीका न लगाने देने का आदेश करना उस समय की वीरांगनाओं का सहज स्वभाव था। ये कथाएँ भारत के मेवाच्छन्न मध्यकाल में—उस काल में, जब श्री-जाति अपने ऊंचे पद से गिराई जा रही थी, जब उसके अधिकार चारों तरफ से छीने जा रहे थे—विद्युत् की रेखाओं का काम कर रही हैं। लियों की स्थिति गिर रही थी, शायद बहुत तेजी से गिर रही थी, किंतु वैदिक युग के बहुत अविक्ष नजदीक होने के कारण उस समय की झलक इस युग में साफ़ तौर पर नज़र आ रही थी। सनातन वैदिक युग के उच्च, मुद्दे आद्दों की इमारन कर्ताव-कर्तीव द्वह चुकी थी, फिर भी उसका दृष्टान्त ढाँचा, उसके खंडहर अब भी मौजूद थे।

मध्यकाल (उत्तरार्ध)

किंतु खँडहर आखिर खँडहर ही थे। समय की कड़ी चपेट को वे कब तक दुक्ता सकते थे। शीघ्र ही वह समय आया, जब कि ऊंचे आद्दों के बचे हुए मग्नावशेष भी धराशायी

हो गए। लौ-जाति का भाग्य-सितारा बढ़ते हुए अंधकार में छिप गया, लौ-जाति की अधोगति चरम सीमा तक पहुँच गई। उनके वर्तमान ने उनका भविष्य भी अंधकार में ढक लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग मध्ययुग का उत्तरार्ध कहा जा सकता है। मध्ययुग के उत्तरार्ध को ऐतिहासिक दृष्टि से कालायुग कहना चाहिए। ख्रियों पर समाज के अत्याचार और अन्याय ने इस युग को इतना काला कर दिया कि इस समय के इतिहास के पन्ने समाज की स्वेच्छाचारिता की कालिमा से सदा काले रहेंगे। इस समय भारतीय लौ को मनुष्य की कोटि में नहीं गिना जाता था। उसके सब अधिकार छीन लिए गए थे। उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व सब प्रकार से नष्ट हो चुका था, समाज में तो उसकी स्थिति थी ही नहीं; परिवार में भी उसकी स्थिति गिर चुकी थी। एक लौ के होते पनि अनेकों शादियाँ कर सकता था। ख्रियाँ पैर की जूती के समान समझी जाती थीं। जिस प्रकार पैर की जूती पुरानी होने पर बदलने योग्य हो जाती है, इसी प्रकार एक लौ के बूढ़ी हो जाने पर दूसरी को उसका स्थान मिल जाता था। कहाँ यह निकृष्ट कोटि की विचार-धारा और कहाँ वैदिक काल की वह उच्च श्रेणी की विचार-धारा, जिसमें लौ में ‘देवी’ तथा ‘सप्त्राङ्गी’ का स्वरूप देखा गया था। दोनों में जमीन-आसमान का अंतर था। इस समय घर के अंदर लौ की स्थिति पतन की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। लौ मनुष्य है, यह लोगों ने समझना

ही भुला दिया था। जी पुरुष के लिये थी। वह उसकी मोर्य
वस्तु थी; विनोद की सामग्री थी, पशु के तुल्य पराधीन थी। उस
समय के विद्वान् तथा भावुक कवि तुलसीदास के निम्न-लिखित
बाक्यों से उस काल के जी-जाति के ग्रति ग्रन्थित विचारों
का दिर्दर्शन भर्ती भाँति हो जाता है। तुलसीदासजी लिखते
हैं—“दोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी ; ये सब ताड़न के अधि-
कारी।” शिक्षा तो लियों में छुप हो चुकी थी, क्योंकि “खी-
शूद्रौ नाधीयताम्” का पूरे वेग के साथ ग्रन्थार हो रहा था।
वाल-विवाह पूरी तरह फैल चुका था। “अष्टवर्षा भवेद्गौरो
नववर्षा तु रोहिणी ; दशवर्षा भवेत् कन्या अत ऊर्बं रजस्वला”
के नाद से भारत का कोना-कोना गूँज उठा था। छोटी-से-
छोटी कन्या का विवाह कर देना माता-पिता के लिये सम्मान-
रक्षा का ग्रदन हो गया था। दुश्मुँही वज्रियों के विवाह
प्रतिदिन रचे जाते थे। जब एक-दो वर्ष की बालिका वधू बनने
लगी, तो आठ-दस वर्षवाली कन्या विवाहाओं की भी कमी न रही।
पहले जब भारतीय रमणी सुशिक्षिता थी, तब वह उच्च पाति-
व्रत्य के आदर्श को समझती थी। तब अनेकों उच्च कुल की
लियों पति के मरने पर जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु को
अच्छा समझती हुई अपने को जीवित ही जला देनी थीं।
पहले सती-प्रथा का आधार स्वेच्छा थी, पीछे वापिन होकर
सती हो जाने की प्रथा चल पड़ी। अनेकों अबोध बालिकाओं
को पति के साथ जीवित जलाया जाने लगा। एक और भारत

की दुधमुँही बच्चियों का विवाह-निंधन, पढ़ें की बेड़ियों तथा अविधा का अंधकार समाज को रसातल त्री ओर खाँच रहे थे, दूसरी ओर विधवाओं के रुद्धन तथा चिता पर बैठी अबोध बालिकाओं की तोत्र चीत्कार से भारत का कोना-कोना ब्याकुल हो उठा था। स्वेच्छाचारिता तथा अमानुषिकता की पराकाष्ठा हो गई थी। स्वार्थ, अन्याय तथा अत्याचार जब अंतिम सीमा पर पहुँच जाते हैं, तो इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है। मानव-समाज की इन अमानुषिक प्रवृत्तियों के खिलाफ़ भी शीघ्र प्रतिक्रिया का प्रारंभ हो गया।

३. वर्तमान काल

इन्हीं अत्याचारों के प्रतिक्रियान्वय में वर्तमान युग का प्रारंभ हुआ। सबसे प्रथम राजा राममोहनराय ने सती-ग्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। धर्म के नाम पर अबोध बाल-विधवाओं को जीवित जला देना इस समय की मानव-समाज की धनेकों क्रूरताओं में से एक थी। परंतु यही भारतीय समाज के ऊपर कलंक का टीका लगा देने को पर्याप्त थी। राजा राममोहनराय ने यह ब्रात अनुभव की, और भारत-सरकार को सती-ग्रथा के विरुद्ध क्लानून बनाने को विवश किया। राजा राममोहनराय ने जहाँ सती-ग्रथा को रोका, वहाँ जियों के लिये शिक्षा का भी आयोजन किया। किंतु राजा राममोहनराय और ब्रह्मसमाज ने जिस शिक्षा का भारतीय महिलाओं के लिये प्रबंध किया था, वह पश्चिमी शिक्षा-पद्धति पर थी,

जो आदर्श उनके सामने रखे थे, वे पश्चिमी सम्यता के रंग में हँगे हुए थे। उस समय की प्रचलित प्रगाढ़ अविद्या को दूर करने के लिये इनके अतिरिक्त ईसाई-मिशनरियों और सरकार द्वारा भी अनेकों प्रयत्न हुए। हर बड़े जिले में गल्स्ट-स्कूल खोले गए, परंतु इस सभी का उद्देश्य भारतीय ली-समाज को भारतीय आदर्शों से दूर ले जाना था। कुछ समय के लिये तो इस आर्य-भूमि के पुर्णात उच्च आदर्श पश्चिमी सम्यता की चमक-दमक से आँखों से ओक्ल होते दिखाई पड़ने लगे थे। इस समय आर्य-समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने लड़कियों के लिये प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर ही शिक्षा देने का विधान किया। ब्रह्मसमाज तथा सरकारी ईसाई-स्कूलों से शिक्षा का प्रचार तो बढ़ने लगा था, परंतु उनका रुख पश्चिमीय ढंग का हो गया था। ऋषि दयानंद ने इस प्रतिक्रिया को भारतीय मानवा का रंग दे दिया। जो प्रतिक्रिया अब से पचास वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, वह कैसे ही वेग से अब भी जारी है। अनेक समाज-सुधारकों ने देश के कोने-कोने से कुर्जानियों को मिटाने की प्रतिज्ञा ले ली हैं। सनातन धर्म-समाजों का तरफ से भी ली-समाज की सुधारणा की आयोजनाएँ पेश की जा रही हैं। अभी हांल ही में वाल-विवाह-निवारक विल बड़ी व्यवस्थापिका समा में पास हुआ है। सर गंगाराम-जैसे उदार धनियों के परिश्रम से अनेक ल्यानों पर विवाह-सुहायक आश्रम खुल गए हैं। देश या समाज के किसी कोने में भी यदि अन्याय

की हल्की-सी रेखा दिखलाई देती है, तो उसे मिटाने के लिये देश का हरएक उदार विचारक ब्याकुल होता दिखाई देता है। अभी हाल में हरीसिंह गौड़ ने तलाक्क-संवंधी बिल व्यवस्थापिका समा में रखखा था। लियों का दायमांग और पैत्रिक संपत्ति में अधिकार-प्राप्ति का प्रश्न भी देश के उच्चत मस्तिष्कों को आंदोलित कर रहा है। वर्तमान युग को यदि प्रतिक्रिया का युग कहें, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। खीं-जगत् के अंदर भी प्रतिक्रिया की भावना ने तीव्र रूप में प्रवेश कर लिया है। अन्याय, अत्याचार और असमानता के भावों को लियाँ अब बरदास्त नहीं कर सकतां। लियों की पराधीनता का मूल-कारण खीं का पुरुष पर आश्रय और अवलंबन था। इसलिये अब लियाँ हर दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहती हैं। पढ़ी-लिखी लड़कियों में आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। हर क्षेत्र में लियाँ बढ़ रही हैं। अब वे केवल अपने ही प्रश्नों को हल करना नहीं चाहतीं, किंतु पुरुषों के साथ मिलकर समाज, जाति तथा देश के विस्तृत प्रश्नों के हल करने में भाग लेना चाहती हैं। साम्य तथा स्वातंत्र्य की यह भावना शिक्षित लियों तक ही सीमित नहीं, किंतु साधारण शिक्षित लियाँ भी देश के भाग्य-निर्माण में हिस्सा लेना अपना अधिकार समझने लगी हैं। आधुनिक राजनीतिक अंदोलन में छोटी-बड़ी, अमीर-न्यरीब, शिक्षित-अशिक्षित हर प्रकार की लियों का भाग लेना उनकी इसी मनोवृत्ति का प्रतिविवर है। सदियों से सोई हुई खीं-जाति

की प्रसुत ग्रनिमा का जाग्रत होना, स्वनंत्रता तथा स्वावलंबन के भावों का उदय होना देश तथा समाज के कल्याण के सूचक हैं, क्योंकि जाग्रत्, उन्नति पर अप्रसर, स्वनंत्रता-प्रिय महिला-समाज को साथ लेकर ही समाज, जानि तथा देश त्रौमुखी उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

४. भविष्य

स्वनंत्रता की भावनाएँ किसी भी जानि के लिये उत्तमी अनूल्य निधि हैं। स्वनंत्र वायुमंडल में सौन्न लिप् बगैर कोई जाति पनप नहीं सकती। सच्ची स्वनंत्रता से ही समाज के अंदर व्यवस्था, सुख तथा द्वार्णि की स्थापना हो सकती है। कई लोगों का कहना है कि आजकल की स्वनंत्रता की मनोवृत्ति अनुचित ग्रनिक्षिया की भावना का परिणाम है। यदि वास्तव में यह ठीक है, तो भी यह स्वाभाविक है, और इस कारण खी-जगत् की स्वतंत्र होने की भावनाएँ दृष्टिन नहीं कही जा सकतीं। स्वनंत्रता अपने में दृष्टि नहीं है। किंतु यदि यह स्वनंत्रता वी लहर पश्चिमी दृष्टि पर ही बहती रही, तो अवश्य यह भारतीय संस्कृति के लिये धानक सिद्ध होगी। स्वनंत्रता के पूर्वीय और पश्चिमीय आद्यों में बहुत भेद है। पश्चिम में स्वनंत्रता, अमर्यादित, अनियंत्रित तथा ऊचे आद्यों से रहित है। वहाँ की स्वनंत्रता एक और्धी के समान है, जिसमें लियों के स्वाभाविक गुण—धर्म, लंजा, विनय, आत्मस्थान—वहे जा रहे हैं। वहाँ जो खी स्वेच्छा से आज अपना पति छुनती है, वह कल उसे तलाक़ देने की

सोच सकती है। आत्मिक सौदर्य को ठुकराकर शारीरिक सौदर्य को प्रदर्शन ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यह स्वतंत्रता नहीं, उच्छृंखलता है। भारत में भी उच्च शिक्षित खी-समाज की एक अच्छी संख्या इसी ढंग की स्वतंत्रता की अनुगमिनी बन रही है। वे पश्चिम के आदर्शों पर अंध-विद्वास रखकर उनका अनुसरण कर रही हैं। इसी अनुकरण-प्रियता के जोश में अनेक बहनों ने सिगरेट तक पीना शुरू कर दिया है। पश्चिमी ढंग पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को विलास-प्रियता के बढ़ाने में लगाया है। जो स्वतंत्रता मर्यादा के भीतर रहने की अपेक्षा अमर्यादित होना सिखाती है, जो स्वतंत्रता आत्मोन्नति से विमुख करके विलास-प्रियता सिखाती है, जो स्वतंत्रता अपनी संस्कृति तथा अपने आदर्शों को ठुकराकर दूसरों का अंधे होकर अनुकरण करना सिखाती है, वह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता की छाया है, स्पष्ट शब्दों में उच्छृंखलता है। ऐसी स्वतंत्रता भारतीय उच्च आदर्शों के विपरीत है।

योरप में समाज का संगठन ऐसा है कि वहाँ कुमारी लड़की को पिता, भाई तथा अन्य संबंधियों के होते हुए भी अपनी आजीविका की चिंता शुरू कर देनी पड़ती है। इस कारण वहाँ की उच्च शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर धनोपार्जन हो गया है। इस उद्देश्य को सामने रखकर लियाँ आजीविका के क्षेत्र में भी पुरुषों के मुक्काबिले में घुस पड़ी हैं। जिस समाज में छी और पुरुष प्रतिस्पर्धी के रूप में हैं, वहाँ उन दोनों वे आदर्शों का एकी-

करण कैसे हो सकता है? इसी कारण वहाँ के कुदुंव तथा समाज में शांति और सुख दोनों का अभाव है। पुरुष और लीं की स्पर्धा ने दोनों में ही स्वार्थ को उप्र रूप में प्रकट कर दिया है। न पत्नी पति के लिये स्वार्थ त्याग कर सकती है, न पनि पत्नी के लिये। माना तथा पुत्र तक में स्वार्थ की दीवार उठ खड़ी हुई है। यह माना कि योरप की लिंगों आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता पाकर जीवन को सरस बनानेवाले आत्मसमर्पण के भाव को खो देना गृहस्थ को कहाँ तक सुखी बना सकता है? लीं की सामाजिक स्वतंत्रता ने भी वहाँ पेसा राला पकड़ लिया है, जिससे पारिवारिक सुख और शांति दूर होती जा रही है। लीं की स्वतंत्रता ने योरप के समाज में सुख के स्थान में कटुना, शांति के स्थान में अव्यवस्था फैला दी है। वहाँ के समाज में शांति तथा अव्यवस्था की किस प्रकार स्थापना की जाय—योरप के विचारकों के सामने यह एक ग्रन्थ है, जिसे हल करने में वे अपनी संपूर्ण शक्तियाँ खर्च कर रहे हैं। वहाँ की सामाजिक अवस्थाओं के विरुद्ध योरप में प्रतिक्रिया का प्रादुर्भाव हो चला है। ऐसी अवस्था में क्या भारत का दिक्षित लीं-समाज पाश्चात्य वहनों के जीवन का अनुकरण ही करेगा, या जीवन-संग्राम में किसी नवीन मार्ग का निर्माण करेगा।

अर्मा तक तो यही दिखलाई पड़ रहा है कि भारत में लीं-शिक्षा परिचमीय आदर्शों की तरफ ही जायगी, और कोरे आर्थिक दृष्टि-कोण से जीवन में जो निल्पारता तथा कर्कशता आ सकती है, वह

यहाँ के जीवन में भी आएगी। संभवतः खी के शिक्षित होकर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाने पर उसका जीवन वर्तमान जीवन से तो बेहतर हो जायगा, परंतु उस जीवन में भी खी को सुख तथा शांति प्राप्त नहीं होगी। खी के आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के साथ-साथ उसका दृष्टिकोण स्वार्थमय न हो जाय, वह जीवन के गहरे तथा असली रूप को न भूल जाय, वह आत्मसमर्पण की उच्च भावनाओं के अयोग्य न हो जाय, इसका हमें भरसक प्रयत्न करना होगा। हम लोग इस बात को तो अनुभव करने लगे हैं कि खी-जाति की मुसीबतों का एक-मात्र कारण उसका आर्थिक दृष्टि से परतंत्र होना है, परंतु शायद हम इसके साथ-साथ इस बात को अभी नहीं अनुभव कर रहे कि खी के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में घुस पड़ने से उसके दृष्टिकोण के इतना अधिक स्वार्थमय हो जाने की संभावना है कि वह उन चीजों को भी आर्थिक दृष्टि से ही देखने लोगी, जिन्हें अब तक वह केवल खी की दृष्टि से ही देखती रही है। खी स्वार्थ-त्याग, आत्मसमर्पण तथा प्रेम की प्रतिमा है। इन भावों के समुख आर्थिक स्वतंत्रता एक बहुत तुच्छ वस्तु है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता पाकर जीवन की इन निधियों को खो दिया, तो कुछ नहीं पाया। इन आदर्शों को जीवन में पाकर जो सुख तथा शांति मिल सकती है, वह संसार की कशमकश में पड़कर और बहुत-सा रूपया कमाकर नहीं मिल सकती। खी-जाति का दृष्टिकोण वर्तमान सम्यता के प्रभाव से बदलता जा रहा

है। ग्रन्थातेवाद के जाल में फँसकर रूपण्मैने को ही सब कुछ समझा जा रहा है। यह पुरुषों की बांमारी खियों में भी फैलती जा रही है। श्री-जानि को इससे बचाने की आवश्यकता है। जीवन के हरएक पहलू को आर्थिक दृष्टि से देखने के बजाय प्रेम, त्याग, सेवा, निःस्वार्थ भाव तथा आत्मोत्सर्ग की दृष्टि से जितना श्री-जानि देख सकता है, उतना पुरुष-जानि नहीं। श्री की इस विदेशता को खो देना एक अपूर्व संयति को छुटा देना है। श्री को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र कर देना बहुत अच्छा है, परंतु श्री-जानि का भविष्य उसके आजीविका की दृष्टि में स्वतंत्र हो जाने में ही नहीं है, उसका भविष्य आर्थिक स्वतंत्रना ग्रास करने के बाद भी श्री-जानि के उन स्वामाविक उच्च आदर्शों को बनाए रखने में है, जो आदर्श जीवन को जीवन का रूप दे सकते हैं, और जिन आदर्शों को क्रियात्मक रूप देने में श्री-जानि स्वामाविक तौर पर अत्यधिक योग्य है।

विवाह का प्राचीन भारतीय आदर्श

१. मनुष्य-जीवन का महत्व

भारत के ग्रामीण लोगों की मजलिस में बैठकर वहाँ की चर्चाओं को सुना जाय, तो उनमें कई रहस्यमय गुर सुनाई पड़ते हैं। वे लोग अक्सर कहा करते हैं कि मनुष्य-जीवन ८४ लाख योनियों के बाद मिलता है। एक अंधे का दृष्टान्त दिया जाता है, जो ८४ लाख दरवाजोंवाले मकान के भीतर उसकी दीवार के साथ-साथ रास्ता टटोल रहा है, इनमें से केवल एक कोर्टी का दरवाजा खुला है, जिसमें से बाहर निकला जा सकता है, वाकी सब दरवाजे बंद हैं, परंतु जब वह अंदर हाथ से टटोलता-टटोलता खुले दरवाजे के समीप पहुँचना है, तो उसे खुजली उठती है, और वह आगे निकल जाता है, और फिर ८४ लाख दरवाजों को खटखटाने के फेर में पड़ जाता है। जिन लोगों ने हमारे समाज में ऐसे कथानकों को एक-एक शोपड़ तक पहुँचाया था, मालूम नहीं, उन्होंने ८४ लाख योनियों की गिनती की थी, या यों ही इस संख्या को निश्चिन कर दिया था, परंतु इससे इतना अवश्य प्रतीत होता है कि वे लोग जीवन को एक खिलबाड़ नहीं समझते थे, हसे एक समस्या समझते थे, और खासकर मनुष्य-जीवन को तो बड़ी विपल

समस्या समझते थे। उनका कहना था कि मनुष्य की योनि वड़ी दुर्लभ है, इसे पाकर उसके साथ खिलवाड़ करना मूर्खता की परा काष्ठा है।

मनुष्य-जीवन को इतना दुर्लभ माननेवालों की दृष्टि उन लोगों की दृष्टि से अत्यंत भिन्न होती, जो जीवन को एक आकस्मिक घटना-मात्र समझते हैं, इसे पांच तत्त्वों के पुनर्ले के सिवा और कुछ नहीं समझते। मनुष्य-जीवन यदि भिन्न-भिन्न जन्म-जन्मांतरों की शृंखला में केवल एक कड़ी है, और यदि इस कड़ी की मजबूती पर सारी जंरीर का मजबूत होना निर्भर है, तो इस जीवन के ग्राह छोते होते ही एक-एक क्षण अमूल्य हो जाता है। इसमें खोए हुए एक भी पल का परिणाम फिर से ८४ लाख योनियों में भटकना हो सकता है। परंतु इसके विपरीत, यदि यह जीवन एक आकस्मिक घटना है, तो इसका मूल्य एक अद्भुत खिलौने से अधिक नहा रहता। एक गुड़िया को देखकर हम खुश होते हैं, और ऐसे लोगों की नजरों में मनुष्य का शरीर एक चलने, फिरने, बोलनेवाली दर्काट की गुड़िया है, और कुछ नहीं। इसीलिये जीवन पर उथला विचार करनेवाला, उसे आकस्मिक घटना-मात्र समझनेवाला व्यक्ति दुःख में पड़कर आत्मघात कर लेना अनुचित नहा समझता। योरप में खुदकर्ता की तादाद दिनोदिन बढ़ती जा रही है, परंतु ८४ लाख योनियों के फेर में पड़ने से ढरनेवाला भारतवासी भूख से तड़फ़ता हुआ, सर्दी से व्याकुल होता हुआ

और बीमारी से छटपटाता हुआ भी आत्मघात करने की नहीं सोच सकता। नहीं तो इस देश की तो ऐसी अवस्था है कि ३५ करोड़ में से ३० करोड़ कभी के आत्मघात कर चुके होते। “असुर्या नाम ते लोका अन्धे न तमसावृता; तांस्ते ग्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः”—आत्मघात कर इस जन्म के दुःख से बचने का प्रयत्न करनेवाला अगले जन्म में इससे भी भयंकर दुःख भोगता है, यह प्राचीन ऋषियों का मंतव्य है।

उक्त कथन का अभिप्राय केवल इतना है कि प्राचीन काल के ऋषि मनुष्य-जीवन को एक विशाल समस्या समझते थे, और उसके हल करने में उन्होंने अपने ऊँचे-से-ऊँचे विचारक लगा दिए थे। मनुष्य-जीवन की समस्या का उन्होंने जो हल किया था, उसी को आधार बनाकर यहाँ के समाज की रचना की गई थी। उन्होंने जीवन को सफल बनाने के लिये जीवन का एक आदर्श निर्धारित किया था, जिसके अनुसार इस देश में उत्पन्न हुआ प्रत्येक व्यक्ति आचरण करता था।

२. वह आदर्श क्या था?

यदि जीवन सचमुच एक समस्या है, अचानक या आकस्मिक घटना नहीं, तो इस समस्या का हल अवश्य होना चाहिए, इसे एक खिलचाड़ की चीज़ नहीं समझना चाहिए। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस समस्या का हल जीवन को एक निश्चित आदर्श में बाँधकर किया था। वह आदर्श क्या था? यजुर्वेद में कहा है—“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु

चात्मानं ततो न विचिकित्सिति”—जो व्यक्ति सब आत्माओं को अपने अंदर देखता है, और अपने को सबमें देखता है, वह संदेहों से ऊपर उठ जाता है, निश्चयात्मक जीवन व्यर्णना करता है। अपने को अपने अंदर देखनेवाले तो सब हैं, परंतु दूसरे में अपनापन अनुभव करना जीवन का एक विलक्षण, विरला, भारतीय आदर्श है। भनुप्य की अंतरात्मा का विकास इनी को कहते हैं। आज हमारे शहरों की गलियों में संकड़ों भूखें, नंगे कराहते फिरते हैं, परंतु क्या उनके हुँख को देखकर किसी के हृदय में कराहना उद्यती है, क्या कोई उनकी तड़पन को अनुभव करना है, क्या कोई यह अनुभव करता है कि वे भी उनी मानव-समाज के अंग हैं, जिसके हम अपने को अंग समझते हैं। यदि सचमुच किसी के हृदय में ये भाव उटते हैं, तो ब्रेद की दृष्टि में उसकी आत्मा विकसित है, वह अपने आदर्श की नरक जा रहा है, नहाँ तो धन-धान्य से समृद्ध होने पर भी हन उस पथर के समान हैं, जिस पर हजारों प्राणियों का प्रतिदिन ब्रह्म होता है, परंतु आत्मा न होने के कारण उनका पक्ष आँखें भी नहाँ निरुक्तना। महात्मा सुकरान की आत्मा विकसित था, क्योंकि वह अपने को जहर देनेवालों पर रहम की नजर फेंते सकता था। हजरत नसीह की आत्मा ऊँची थी, क्योंकि वह अपने समय के दीन-दुष्क्रियों के चाहकारों को अपने हृदय में नूँजते हुए सुनते थे, और उन्हीं को तरह व्याकुल हो जाते थे। जो आत्मा ग्राणी-मात्र के हृदय के संदर्भ को अपने भीतर अनुभव कर सकती है, वह

बड़ी है, महान् है, विकासित है, और वह जीवन के भारतीय उच्च आदर्श तक पहुँच चुकी है, क्योंकि वेद की घोषणा है—“मित्रस्य त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीशन्ताम्”, “यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वंमनुपश्यतः।” इसी भाव के आवेश में हजरत मसीह ने कहा था—“Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.” जीवन का आदर्श दूसरे के बोझ को अपने हाथों से अपने कंधों पर लेना है, दूसरे के आँसुओं को अपने आँसुओं में बहा देना है, दूसरे के धाव को अपने हृदय के मरहम से चंगा करना है। जीवन को खिलवाड़ समझनेवाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य-जीवन को एक अमूल्य देन समझनेवाला व्यक्ति ऐसा किए बगैर रह नहीं सकता। इसी में आत्मा की उन्नति है, आत्मा का विकास है, और इसी में आत्मा अपने लक्ष्य को, अपने आदर्श को पाती है।

३. आदर्श की क्रियात्मकता

प्रश्न हो सकता है कि इस आदर्श को जीवन में क्रियात्मक रूप देने के लिये क्षमियों ने क्या उपाय सोचा था? इसका उत्तर ऋग्वेद (११०१) में इस प्रकार दिया है—“चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चाँखणि चक्रे यद्यत्तेरवर्धते।” सोम चारों भुवनों या आश्रमों को ‘अन्या निर्णिजे’ और ही कुछ बैना देतो है, उनमें जान डाल देता है। अर्थव (१४।१६०) में इसी

ग्रन्थ का उत्तर यों दिया है—“भगवान्नदेह चतुरः पादान् भग-
ल्लातक्ष चत्वार्यायुप्रवानि ।” परमात्मा ने जीवन को आयु के
चार भागों में विभक्त कर दिया है। शतपथ (१४ का०) ने
उन चार भागों का विस्तार करते हुए कहा है—“त्रस्त्रचर्याश्रमं
स्तमाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रवर्जेत् ।”
मनुष्य-जीवन के आदर्श को क्रियात्मक बनाने का नरकला यह है
कि : पहले ब्रह्मचर्य-त्रन धारण करे, ब्रह्मचर्य के उपरान् गृहस्थ,
बाद को बान्प्रस्थ और फिर संन्यास-आश्रम में प्रवेश करे। आत्मा
को अपने आदर्श तक पहुँचाने का, उसे पूर्ण न्यूप से विकसित
करने का यही उपाय है। ब्रह्मचर्यवस्था ‘त्व’ से, ‘Self’ से
प्रारंभ होती है। यह ‘त्व’ या अपनी आत्मा ही नो आनन्दी
आनेवाले विकसन का आवार है, इसलिये प्राचीन श्रद्धियों ने
इस ‘त्व’ का आवारन्दिता को इड बनाने के लिये ब्रह्मचर्य का
विवान किया है। इस आश्रम में ‘त्व’ के या अपने सिवा और
कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ब्रह्मचारी अपने इड-गिर्द बूमना है, वह
अपने शरीर की, अपने नन की और अपनी आत्मा की उन्नति
करता है, अपने से बाहर उसे देखने को नहीं कहा गया। परंतु जब वह अपने ‘त्व’ को इड बना चुका, तब उसे अपनी
आत्मा को अविक विकसित करने को कहा जाता है, और वह
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्यवस्था में ननुष्य की
दृष्टि केवल अपने तक सीमित थी, परंतु गृहस्थावस्था में वह अपने
'त्व' के अंदर दूसरों को शामिल करने का पाठ सीखता है।

वेद का कथन है—“इमां त्वमिन्द्र मीढ्यः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि ।” (ऋग् १०।८५।४५) —एक समृद्ध देश में स्वस्थ माता-पिता का दस संतानों का परिवार होना चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम में मनुष्य की दृष्टि अपने ही ऊपर रहती है, परंतु गृहस्थाश्रम में माता-पिता अपनी दृष्टि को अपने ऊपर से उठाकर कम-से-कम अपनी संतानों तक तो विस्तृत कर ही देते हैं। वे खुद भूखे रह सकते हैं, परंतु अपनी संतानों को भूखा नहीं देख सकते। खुद काँटों से लहूलुहान हो सकते हैं, परंतु अपने बच्चे की उँगली में एक काँटा भी चुमता हुआ नहीं देख सकते। त्याग के जीवन की पराकाष्ठा गृहस्थ में है, परंतु जीवन का भारतीय आदर्श गृहस्थ तक रुक नहीं जाता। गृहस्थ तो आत्मा के ‘सर्वभूत हिते रतः’ के क्रमिक विकास में एक सीढ़ी-मात्र है, एक मंजिल है, एक स्टेज है। जीवन का असली उद्देश्य तो आत्मा का ऐसा विकास है, जिसमें वह अपने को ही नहीं, अपनी पती को ही नहीं, अपने बाल-बच्चों को ही नहीं, परंतु प्राणी-मात्र को अपना समझने लगता है, विद्यात्मा में अपनी आत्मा को ओत-प्रोत कर देता है, घुलामिला देता है, ‘योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि’ का अनुभव करने लगता है, दूसरों की आत्मा में अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष करता है। ऐसे विकास का, ऐसे उदय का, सीमित, छोटा रूप गृहस्थाश्रम में दिखाई देता है, जहाँ वेद-मंत्र के अनुसार बारह व्यक्तियों के बुद्धिंब में माता-पिता अपनी

आत्मा को बारह तक फैला देते हैं। परंतु यहाँ पर रुक जाना, यहाँ पर छहर जाना और आगे कदम न रखना भारीतय आदर्श के विपरीत है। तभी गृहस्थ को एक आश्रम कहा जाया है। आश्रम का अर्थ है एक नंजिल, एक स्टेज। गृहस्थाश्रम आत्मिक जीवन के विकास में एक सीढ़ी है, एक मंजिल है, और यात्रा को अभी इससे बहुत आगे चलना है। अभी तो माता-पिता तथा दस संतानों में—कुछ १२ प्राणियों के परिवार में एकता की, ममता की, अहंत्व की अनुभूति हॉर्ड है, इस छोटे-से समूह में ‘एकत्रभनुपश्यतः’ की भावना का उदय हुआ है, परंतु जीवन का उद्देश्य प्राणी-मात्र में एकता के सूत्र का पिरो देना है। तभी तो भारतीय आदर्श के अनुसार ‘गृही भूत्वा वर्णा भवेत्’ गृहस्थाश्रम में आत्मा का जिनना विकास हो सकता है, उन्नाना करके बानप्रस्थी हो जाय, यह कहा है। आज हम पैदा होते ही गृहस्थाश्रम की सोचने लगते हैं, और जब तक चार क्रमों पर चढ़कर ‘रामनाम सत्य है’ की गँड़ में स्मशान नहीं पहुँच जाते, तब तक गृहस्थाश्रम के ही कीड़े बने रहते हैं, इससे ज्यादा गृहस्थाश्रम की दुर्गति नहीं हो सकती। प्राचीन आदर्श के अनुसार गृहस्थाश्रम तो आत्मा के विकास के लिये एक खास हृदय, एक खास सीमा तक आवश्यक है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में फँसे रहना आत्मा का सर्वनाश करना है। बानप्रस्थी गृहस्थाश्रम से गुजर चुका है, उसने दूसरों को अपना समझने का पाठ २५ साल तक सीखा है, अब वह अपने बच्चों की तरह दूसरों

के बच्चों को भी अपना समझने लगता है। वह जंगल में बैठ जाता है। उसके पास गाँव के, शहर के बालक पढ़ने को आते हैं। वह सबको अपना समझकर पढ़ाता है, और सबमें अपनी आत्मा को देखता है। सबमें अपनापन अनुभव करता है। इस अभ्यास के बाद संन्यास-आश्रम है। संन्यास में वह-सबको, प्राणी-मात्र को, अपना समझने लगता है। उसका लगाव सबसे समान हो जाता है। जीवन का सर्वोत्तम आदर्श यही है। इसे प्राचीन आर्य आश्रम-व्यवस्था कहा करते थे। ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास तक पहुँचते-पहुँचते जहाँ पहले उसकी दृष्टि अपने तक सीमित थी, वहाँ वह अपने से हटकर दूसरों तक फैलती जाती है। यहाँ तक कि चारो आश्रमों में से गुजर कर खुदी मिट जाती है, और खुदी ही बाकी रह जाती है। फर्क इतना है कि पहले खुदी खुद तक महदूद थी, और अब खुदी खुदा तक पहुँच जाती है। शायद इसी ऊँचे अनुभव को किसी दीवाने ने 'अहं ब्रह्मात्मि' के उद्गार से प्रकट किया था।

४. गृहस्थाश्रम का भारतीय आदर्श ‘ब्रह्मचर्य’ था

मैंने विवाह के भारतीय आदर्श पर कुछ लिखने से पहले 'जीवन के प्राचीन आदर्श' पर शायद कुछ जरूरत से ज्यादा कह दिया है, परंतु वेद तो गृहस्थी के आदर्श को जीवन ही के आदर्श की पूर्ति में एक साधन-मात्र समझता है, गृहस्थी का

आदर्श जीवन के आदर्श का ही केवल एक चौथाई हिस्सा है। इसलिये मैं समझती हूँ कि हमारे समुख जीवन का आदर्श जितना स्पष्ट होगा, गृहस्थी का आदर्श उसी मात्रा में स्वयं स्पष्ट हो जायगा। इसलिये विवाह के आदर्श पर विचार करते हुए मैंने जीवन के आदर्श पर इतना विचार किया है।

गृहस्थाश्रम में अपनेपन का केंद्र अपने से हिलकर दूसरों में जाना प्रारंभ करता है, स्वार्थ का अंदा पट्टे की ओट में होने लगता है, और उसकी जगह परार्थ का भाव सामने आने लगता है, अतः यह बड़ा जिम्मेदारी का आश्रम है। जिसने पहले अपने केंद्र को अपने अंदर नहीं पहचाना, उसे अपने अंदर ढढ़ नहीं बनाया, अपनी ही उन्नति नहीं ली, वह दूसरों का क्या ख्याल कर सकता है। इसलिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले, ‘परार्थ’ को ‘स्वार्थ’ बनाने से पहले, ऋषियों ने ब्रह्मचर्याश्रम का विधान किया है। इस आश्रम में अपनी पूर्ण रूप से उन्नति करना अर्माए है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर, मन तथा आत्मा की उन्नति कर ली है, वही उस उन्नति को दूसरों की उन्नति के लिये आवार बना सकता है। यही कारण है कि ऋषियों ने अब्रह्मचारी या अब्रह्मचारिणी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया। मनु ने कहा है—“अविष्टुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेष्”—जिसके ब्रह्मचर्य का भंग न हुआ हों, वही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। कन्या के विषय में भी वेद का वचन है—“ब्रह्मचर्येण कन्या चुवानं विन्दते पतिम्”

इसी भाव को वेद में अन्यत्र इस प्रकार कहा है—“सोमः प्रथमो
विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते
मनुष्यजाः । सोमोऽदददूगन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददग्नये । रथिं च
पुत्राँश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् ।” पहले कन्या सोम के पास
रहती है । सोम का अर्थ है ‘वीरुधां पतिः’, वनस्पतियों का
राजा । अर्थात् फल आदि के उत्तम आहार से कन्या का शरीर
पुष्ट होता है । तदनंतर कन्या गंधर्व को दे दी जाती है । गंधर्व
का काम गाना-बजाना है । कन्या गाना-बजाना सीखती है, उसका
मानसिक विकास होता है । मानसिक विकास हो जाने के
बाद वह अग्नि के सुपुर्द्द होती है, उसके शरीर में उष्णता
उत्पन्न होती है । इसके बाद वह पुरुष से विवाह दी जाती है ।
कैसा स्वाभाविक तथा स्पष्ट वर्णन है । यह वेद का शारदा-
ऐकट है । इस मंत्र का स्पष्ट अभिप्राय है कि कन्या का
विवाह पकी हड्डी आयु में होना चाहिए, उससे पूर्व नहीं । आज
जो कच्ची आयु में कन्याओं का विवाह हो जाता है, वह विवाह
प्राचीन आदर्श से सर्वथा विपरीत है । वेद का आदर्श तो
यह है कि जो गृहस्थ होना चाहे, वह पहले अपने ब्रह्मचारी
होने का प्रमाण-पत्र पेश करे, और जो ऐसा प्रमाण-पत्र न दे-
सके, उसके साथ कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह न करे ।
आज अखबारों में इश्तिहार निकलते हैं—“लड़का चाहिए, जो
२५०) महीना कमाता हो, विलायत से लौटा हो ।” यदि वैदिक
काल में अखबार होते, और उनमें भी इश्तिहार निकलते

लिखों की स्थिति

होते तो उनमें लिखा होता—“एक ब्रह्मचारी चाहिए”, और यदि उस समय भी विलायत ऐसा ही होता, जैसा आज है, तो इंगितहार में साक लिखा होता कि ‘विलायत से लौटा हुआ नहीं होना’ ‘चाहिए’। आज जो लड़का विगड़ने लगता है, मातानपिता उसका जल्दी विवाह कर देते हैं। परंतु प्राचीन आदर्श के अनुसार जो लड़का विगड़ने लगे, उसके विवाह की कोई ‘आशा’ नहीं रहती; उसे विवाह का कोई अधिकार नहीं रहता। विगड़े हुए इंसान को अपने जैसी विगड़ी हुई संतानें उत्तर करके समाज को नंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस आदर्श के अनुसार अब्रह्मचारी चाहे २५ वर्ष का भी क्यों न हो, शारीरी भी नहीं कर सकता, उसके अनुसार लिया टेक्कर चलनेवाला बुड़ा शारीर कैसे कर सकता है? धैदिक आदर्श के अनुसार केवल ब्रह्मचारी विवाह का कानूनी है, दूसरा नहीं।

४. विवाह में ‘प्रेम’—स्वयंबर

विवाह पक्की हुई आयु में होना चाहिए, ब्रह्मचारी का ही होना चाहिए, अब्रह्मचारी का नहीं होना चाहिए—यह हमने देख लिया। परंतु विवाह कैसे हो? क्या विवाह के मामले में लड़के-लड़की की भी कुछ सुनी जानी चाहिए, या यह ऐसा मानूली काम है कि इसे एक अमढ़ नाई के मरोसे ही छोड़ा जा सकता है? वेद की इस विषय में दृढ़ तथा निश्चित सम्मति है। ऋग्वेद (७ अ०, ७ वर्ग, १७ मं०, १२ नं०) में लिखा है—

“कियती योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित् ।” — “वधू की इच्छा करनेवाले किस पुरुष की लड़ी प्रेम करनेवाली होगी ?” इस प्रश्न को स्वयं उठाकर वेद उत्तर देता है—“(सुपेशाः) सुंदर रूपवाली वह वधू अच्छी है, जो (जने चित्) अनेक जनों में (मित्रं स्वयं वनुते) अपने मित्र को स्वयं चुनती है ।” इस मंत्र में लड़ी के लिये अपने पति को स्वयं चुनने का विधान है, इसी को ‘स्वयंवर’ कहते हैं । आज हमारे समाज में लड़का अनेक लड़कियों में से एक लड़की को चुनता है, परंतु प्राचीन भारतीय आदर्श ठीक इससे उल्टा है । चुनने का अधिकार लड़के को नहीं, लड़की को दिया गया है । इस प्रकरण में मुझे १५ जून १९३१ के ‘लीडर’ अखबार का एक इतिहार स्मरण हो आता है । इतिहार में लिखा था—

“Wanted:—An exceptionally fair complexioned (Matching Europeans) and good featured Bengali Brahman girl for marriage with a Bengali (Bachelor) doctor practising at Lucknow, besides having independent income from properties and employment. No dowries will be accepted. Caste will be no bar, but guardians of dark-complexioned girls need not write.”

शायद इस इक्षितहार को पढ़कर लोग हँसें। हँसने की बात भी है। डॉक्टर साहब अपने विषय में तो इतना ही बतलाते हैं कि वह निखट् नहीं हैं, और अविवाहित हैं। परंतु आजकल के युग में अविवाहित होने का अभिप्राय ब्रह्मचारी होना भी हो, यह बात नहीं है। अविवाहित व्यक्ति गृहस्थी से भी ज्यादा गिरा हुआ हो सकता है। परंतु हाँ, यह डॉक्टर महाशय यह जरूर चाहते हैं कि हिंदोस्तान-भर के ऐसे माता-पिता जिनकी लड़कियों का रंग योरपियनों-जैसा हो, अपनी लड़कियों की दरख्त्वास्ते लेकर इनका दरवाजा खटखटाएँ। इन डॉक्टर पर हमें हँसने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह महाशय तो इस युग में फैली हुई मनोवृत्ति के एक उदाहरण-मात्र हैं। आजकल के ज्यादा-से-ज्यादा सुधरे हुए आदर्श के अनुसार भी चुनने का अधिकार लड़के को ही प्राप्त है, और कहीं-कहीं स्वीकृति लड़की से भी ले ला जाती है। परंतु वैदिक आदर्श के अनुसार चुनने का अधिकार लड़की को प्राप्त था, स्वीकृति लड़के की भी होती थी। तभी तो लड़की के घर बहुत-से विवाहेष्टु जाते थे, और उनमें से किसी एक के गले में वर-माल ढाली जाती थी। दमयंती के स्वयंवर में दूर-दूर से राजकुमार आए थे, सीता के स्वयंवर में भी रामचंद्र राजा जनक के यहाँ अपनी परीक्षा देने पहुँचे थे, द्रौपदी का स्वयंवर भी ऐसा ही था। उसी का अवशेष आज भी बचा हुआ है। वर वधू के घर पर चलकर आता है, और वधू के घर पर ही विवाह-

संस्कार होता है। यह प्रथा स्वयंवर-प्रथा का ही टूटा-फूटा रूप है।

वैदिक आदर्श में विवाह होने से भी पहले ली के एक बड़े भारी अधिकार को माना गया है। ली को अधिकार है कि वह किसे अपनी भावी संतान का पिता बनाए या किसे न बनाए। यह छोटा-मोटा अधिकार नहीं है। इस अधिकार को पाकर ही ली पति की आज्ञाकारिणी हो सकती है, नहीं तो छड़े के जोर पर तो आज्ञा चलती ही है। आज माता-पिता जिस लड़के से चाहते हैं, लड़की को बाँध देने हैं। क्या इस प्रकार बैवकर पति-पत्नी प्रेम के उस एकता के सूत्र का विस्तार कर सकते हैं, जिसके लिये गृहस्थाश्रम एक साधन-मात्र है? गृहस्थाश्रम तो अपनी आत्मा को विकसित करने के लिये है, परार्थ को स्वार्थ बनाने के लिये है। परंतु जहाँ प्रारंभ में ही ठीक चुनाव नहीं हुआ, वहाँ जीवन की धारा शांति से कैसे वह सकती है, उसका विकास कैसे हो सकता है? इसलिये विवाह में चुनाव एक जखरी चीज़ है। वेद के आदेश के अनुसार ली अपने पति को चुनती है, बरती है। यह अधिकार पति को न देकर पत्नी को क्यों दिया गया है? क्योंकि गृहस्थाश्रम का वास्तविक बोझ तो पत्नी पर ही है। संतानोत्पत्ति का महान् कष्ट पत्नी को उठाना पड़ता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता को पति में खोकर एक घर का केंद्र बनकर पत्नी को बैठना है। खेंटे की तरह अचिच्छल रूप से एक जगह उसी को गड़ जाना है। जब उस पर

इन्होंने दिनमेवारी है, और उसके लिये उसको इन्हा त्याग करना है, तो चुनाव उस पर न छोड़ा जाय, तो किस पर ?

३. क्री-पुरुष का मत्त्वि-भाव

जब पनियर्हा ने एक दूसरे को स्वयं चुना है, तो उनका पारम्परिक संवंश मित्रता के संवंश के अनिवार्य और कौन-सा हो सकता है ? दोनों एक दूसरे के सुख-दुःख के साथी (Companion) हैं। इसलिये मंत्र में 'मित्रं स्वयं बनुने' का प्रयोग हुआ है। अर्थात् कोई अन्य 'मित्र' को स्वयं चुनता है। आज-आज कितने पुरुष हैं, जो अपनी क्री को मित्र कह सकें। गृह सूत्र में लिखा है—“यदेतद् हृदयं तव नदन्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदन्तु हृदयं तव ।”—“जो तेरा हृदय है, वह मेरा हृदय हैं जाय, और जो मेरा हृदय है, वह तेरा हृदय हो जाय ।” विश्वाह-नंस्त्रार में 'भूक्षपदी' के सूच्य 'सत्त्वार्थं सत्पदी भव' यह पढ़ा जाना है, इसमें भी कोई को सत्त्वा कहा नया है। जैसा ग्राम्यमें कहा गया था—विश्वाह नं: जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये एक साधन-भाव है। जीवन का उद्देश्य नृसार के सब प्राणियों में अवनायन अनुभव करना है, मित्रता अनुभव करना है। इसलिये विश्वाह में भी पनियर्हा में मित्रता, नान्दि-भाव जल्दी हैं, नहीं तो विश्वाह का एक प्रवान उद्देश्य पूरा ही नहीं हो सकता ।

नृसार में ज्ञान से अज्ञात की नदी जाने का प्रयत्न होता है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमें ग्रान है, उसी के आवार

पर जो कुछ हमारे पास नहीं है, हमें अप्राप्त है, उसे पाया जा सकता है। खी-पुरुष में तो प्रेम स्वाभाविक है। उसके लिये कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाता, परंतु प्राणी-भात्र के लिये प्रेम का पाठ सीखना पड़ता है, वह बैठेबैठे नहीं आ जाता। खी तथा पुरुष के इसी स्वाभाविक प्रेम को प्राणी-भात्र तक ले जाने का, एक कठिन काम को आसान बनाने का प्रयत्न गृहस्थाश्रम द्वारा किया जाता है। परंतु यदि पति-पत्नी में प्रारंभ में ही सखि-भाव नहीं है, मैत्री नहीं है, नजदीकी नहीं है, तो यह आशा करना कि गृहस्थाश्रम ऐसे दंपति की आत्मा का विकास करेगा या उसमें प्राणी-भात्र के लिये प्रेम-उत्पन्न करेगा, मूर्खता है। इसीलिये विवाह के वैदिक आदर्श में खी-पुरुष का आपस में मैत्री भाव से खिंचे होना जरूरी है। इसी प्रेम का, इसी मैत्री भाव का तो आगे विस्तार करना है। यह है ही नहीं, तो आगे विस्तार किस चीज का होगा? मैं तो समझती हूँ कि वैदिक आदर्श की दृष्टि से वह विवाह विवाह ही नहीं, जिसमें खी-पुरुष का आपस में मैत्री भाव या सखि-भाव नहीं। विवाह में प्रेम ही तो एक तत्त्व है, जिसे संकुचित क्षेत्र से निकालकर हम विस्तृत क्षेत्र में विकसित करना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में यह चीज ही नहीं पड़ा, वहाँ संसार के प्रति मैत्री भाव का अंकुर कैसे फूट सकता है?

७. सत्तानात्पात्त

वैदिक आदर्श दो आत्माओं के परस्पर विवाह-वंधन में

जकड़ जाने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। दो आत्माएँ अपने को एक सूत्र में इसलिये बाँधती हैं, ताकि अन्य आत्माओं को भी इसी सूत्र में बाँध लिया जाय। इसलिये विवाह का सबसे लँचा आदर्श संतानोत्पत्ति है। वेद में जहाँ भी खी और पुरुष का इकट्ठा वर्णन आता है, वहाँ संतान का चिक अवश्य पाया जाता है। आजकल की सम्यता के कई लोग तो वारचार इस बात का वर्णन देखकर नाक-भौं सिक्कोइने लगते हैं। आजकल के लोग संतान-निग्रह का वर्णन वड़े चाव से पढ़ते हैं, संतानोत्पत्ति मानो उन्हें खाए-र्सा जाती है। विवाहित खी तथा पुरुष एक दूसरे में अपनी आत्मा को शुल्क-मिला देते हैं। वे 'धदलि हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम' का पाठ सीख लेते हैं। पुरुष खी को बचाकर सब कष्ट अपने ऊपर झेलना चाहता है, खी पति को बचाकर जीवन के कष्टों को अपने ऊपर लेना चाहती है। जब उनके संतान हो जाती है, तब दोनों सब कष्टों को अपने ऊपर लेकर बच्चे पर किसी तरह की आँच नहीं आने देना चाहते। एक संतान के बाद दूसरी संतान होती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। माता-पिता एक विचित्र पाठशाला में शिक्षा पाने लगते हैं। ऐसी पाठशाला में, जिसमें बच्चा कहीं जाग न जाय, इसलिये नाता रातभर स्वयं जागकर उसे गोदी में लिए बैठी रहती है। बच्चे को कहीं सर्दी न लग जाय, इसलिये माता अपना सूखा विछीना उसके नीचे करके स्वयं उसके पेशाब से नीले विस्तर

पर रात काट डालती है। वेद के अनुसार आठ-दस बच्चों को इस प्रकार पालकर माता-पिता की आत्मा का ऐसा विकास हो सकता है, जिससे वे दुनिया-भर के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देख सकते हैं, और अपनी आत्मा के तंतु को प्राणी-मात्र के मनकों में पिरो सकते हैं। गृहस्थाश्रम इस ऊँचे आदर्श का पाठ पढ़ाने के लिये, उसका अनुभव कराने के लिये और इस अनुभव को माता-पिता की रग-रग में रचा देने के लिये एक पाठशाला है। तभी कहा है—“केवलाधो भवति केवलादी।” जो गृहस्थ दूसरे को खिलाकर नहीं खाता, वह पाप खाता है। वैदिक आदर्श के अनुसार मैं खाने की तभी अधिकारिणी हूँ, जब खुद खाने के पहले दूसरे को खिला सकूँ। मैं जीने की तभी अधिकारिणी हूँ, जब दूसरे के लिये अपने जीवन को लगा सकूँ। यही पाठ गृहस्थ को अनुभव से सीखना है, दस-बारह की टोली में इस बात का अभ्यास करना है। आज तो यह पाठ पढ़ाया जाता है कि अपने जीवन के लिये दूसरे को हजम कर जाओ, परंतु गृहस्थ का वैदिक आदर्श यह है कि दूसरे के जीवन के लिये अपनी जान देने की जरूरत पड़े, तो उसे उठाकर फेक दो। गृहस्थ ने इसी आदर्श को सीखने के लिये विवाह किया है, इसलिये हिंदू-समाज में संतान न होने को एक महान् घट समझते हैं। गृहस्थ का वैदिक आदर्श संतानोत्पत्ति है, संतान-निग्रह नहीं। वहाँ लिखा है—“पुत्रान् विन्दाय है बहून्।” “हम दोनों खी-पुरुष बहुत-से पुत्र प्राप्त करें।” जिसके संतान नहीं, उसे माल्यम नहीं कि दूसरे के लिये किस

प्रकार जगा करते हैं, दूसरे के लिये किस प्रकार कोई पर चला करते हैं, दूसरे के लिये किस प्रकार सुखे चले चवाकर और पानी पर्वकर गुड़ा करते हैं। हाँ, जो व्यक्ति विना गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए यह सब कुछ करने के लिये हैशार है, वैदिक आदर्श के अनुसार उसके लिये विवाह का मीठा विवाह नहीं है। उसके लिये तो लिखा है—“यदहरेत् विरजेत् तदहरेत् प्रवर्जेत्।” जिस दिन उसमें नवाता का साव छूट जाय, सामित नवाता के स्थान पर विवाह नवाता का नाम का जाय, “प्रत्यनुभवतः” का साक्षात्कार हो जाय, उसी दिन मगवा रूपवा ले। परंतु ऐसा सुनके लिये सुनना नहीं है। सावाण लोगों के लिये इस उच्चे आदर्श को जीवन में संग्रहने का तरीका गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही है। वैदिक आदर्श के अनुसार विवाह तभी संतान कहा जा सकता है, जब उसका फल संतान हो। पहीं का लक्ष्य नहीं बनता है, जौर पक्कि क्षमा व्येष मिता बनता है। जो पहीं जाता नहीं बना, और जो पक्कि दिना नहीं बना, उसने गृहस्थी का पाठ ही नहीं कीखा।

८. संतान कैसी हो ?

वैद संतानोत्पत्ति पर वड़ देता है, परंतु संतान कैसी हो ? संतानि-सुवार के विज्ञान का तो धोरण ने अब प्रचार होने लगा है, परंतु वैद इस प्रकार के विचारों से भरा पड़ा है। जिनको वैद से सुवाणन्दा नी परिचय है, वे यह देखे वहैर तो रह नहीं सकते कि वैद ने संतानि-सुवार (Race-betterment)

का विचार एक-एक सूक्त में भरा पड़ा है। वेद में दूटी-झटी सतान उत्पन्न करने की सज्जन मनाही है। वेद में खी को 'वीरमू' कहा गया है, अर्थात् वीरों को उत्पन्न करनेवाली, कायरों और बुज्जदिलों को नहीं; युद्ध में छाती पर वार लेनेवाली संतान को पैदा करनेवाली, पीठ पर नहीं। वेद का कोई मंत्र ऐसा नहीं, जिसमें संतान का जिक्र तो हो, और उसमें यह न लिखा हो कि वह सौ साल तक जीनेवाली हो, हृष्ट-पुष्ट हो, उत्तम विचारों-वाली हो, माता-पिता से कहाँ आगे बढ़ी हुई हो। एक जगह फहा है—

"तं माता दशमासान् विभर्तु स जायतां वीरतमः स्यानाम्"

दश ग्रास के बाद जो पुत्र हो, वह (स्यानाम्) अपने सब संबंधियों में से (वीरतमः जायताम्) वीरतम हो, अर्थात् सबसे अधिक वीर हो। सस्कृत से साधारण-सा परिचय रखनेवाले व्यक्ति ने भी यह सूक्ति सुनी होगी—

"एवं नैष सुपुण्यं सिद्धं स्वपिति निर्भया :

सङ्गं दशभिः पुण्यं भारं वदति गदंभी ।"

शेरनी एक सुपुत्र रे निढ़र होकर आराम से लोती हैं, और गधी दस पुत्र होने पर भी भार ही दोरी है।

संनानोत्पत्ति वा आदर्श कुत्ते-विलियों की नरद झोल-नी-झोल पैदा कर देना नहीं है, वेदिक आदर्श यह है कि पिल्ली पीढ़ी (Generation) शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शुणों में जिस उच्चाई पर खड़ी थी, अगली पीढ़ी उससे दस

क़दम आगे बढ़ी हुई हो, और पिछलों से बहुत आगे निकल जाय। इस प्रकार हरएक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बहुत आगे निकलती जाय, और हरएक २५ साल के बाद मानव-समाज में एक आदर्श्य-जनक उल्टि दिखाई दे। आज अगली पीढ़ी पिछली से आगे बढ़ने के बजाय उससे दस क़दम पीछे हटकर जन्म लेती है, और पैदा होकर आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ वेतहाशा दौड़ पड़ती है। जो हमारे माता-पिता के क़द और शरीर थे, वे हमारे नहीं हैं। और, जो हमारे दादा-परदादा के शरीर थे, वे हमारे माता-पिता के नहीं हैं। यह दौड़ आगे को नहीं, पीछे को है। वैदिक आदर्श ठीक इससे उल्टा है। वहाँ तो लिखा है—‘स्वानां वीरतमः जायताम्।’ अर्थात् आनेवाली संतान इतनी वीर हो, जितनी पिछलों में से एक भी नहीं हुई। इसी प्रकार एक और मंत्र में लिखा है—

“अनूनः पूर्णे जायतां अश्लोयोऽपिशाचधीतः”

संतान ‘अनून’ हो, उसमें कोई न्यूनता न हो, कमी न हो; और ‘पूर्ण’ हो। इतना ही नहीं कि उसमें कोई कमी न हो, प्रत्युत वह सब वातों में पूर्ण हो। साथ ही वह ‘अपिशाचधीतः’ हो, अर्थात् वह पिशाच, (दुरे विचारों) की संतान न हो। वैदिक आदर्श यह है कि ऐसे विचारों को लेकर संतान उत्पन्न की जाय। वेद के अनुसार विवाह का आदर्श खी-पुरुषों की ऐसी श्रेणी को जन्म देना है, जो पिछलों की अपेक्षा ‘वीरतम्’ हो, ‘अनून’ हो, ‘पूर्ण’ हो, और ‘पिशाच’-विचारों से मुक्त हो;

इसके विपरीत आज ऐसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं, जो ‘कायरतम’ हैं, ‘न्यून’ हैं, ‘अपूर्ण’ हैं, और पिशाच-विचारों की हैं। आज बेसमझेन्वज्ञे में संतानें गले पड़ जाती हैं; ऐसी संतानों का भविष्य क्या हो सकता है ?

६. घर में लड़ी की स्थिति

विवाह के बाद लड़ी की घर में क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर भी वेद ने प्रकाश डाला है। आज लड़ी की घर में कोई स्थिति नहीं है। वह पर्दे में लिपटी रहती है, घर में रहती हुई भी वह घर में नहीं दिखाई पड़ती। परंतु वेद में पर्दे को कोई स्थान नहीं है। जैसे पुरुष अपना मुँह खोलकर चल-फिर सकता है, वैसे लड़ी भी खुले मुँह विचरण करती है। वेद का कथन है, “सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत”—“यह मंगल करनेवाली वधू है, इसे आकर देखो।” आज अगर पर्दे के जमाने में कोई अपने मित्रों से कह बैठे कि मेरी लड़ी को आकर देखो, तो लोग उसका नाक में दम कर दें। आज हम इनमें गंदे हो गए हैं कि वेद का यह ऊँचा भाव कि पति अपनी पत्नी का अपने मित्रों से परिचय कराए—हमारे गले के नीचे नहीं उत्तर सकता। वैदिक आदर्श के अनुसार पति-पत्नी का तो विवाह से पहले ही परिचय होना चाहिए। हमारा गंदा समाज यह समझता है कि किसी लड़ी का पति, पिता, पुत्र या भाई के सिवा किसी अन्य पुरुष से परिचय होगा, तो जन्मर गिरावट की आशंका रहेगी, परंतु वेद ऐसा समाज उत्पन्न करना चाहता है, जिसमें लियों पुरुषों से

और पुरुष खियों से ऐसे ही स्वतंत्र रूप से मिल-जुल सकें, जैसे पुरुष पुरुणों से मिलते हैं, या खियाँ खियों से मिलती हैं। घर में लाकर ली को कोटरी में बंद नहीं कर दिया जाता, वह पढ़े में ज़ैद नहीं रहती। वह ऐसे ही स्वतंत्र विचरती है, जैसे समाज में पुरुष, और इसके साथ उसके गिरने की कोइ आशंका भी नहीं रहती। वेद ऐसे ही समाज की कल्पना करता है।

येत्प में ली को पुरुष की Better half (उत्तमार्थ) कहते हैं; परंतु हमारे यहाँ उसे अर्वांगिनी या Equal half कहा गया है। वहाँ Better half होते हुए भी ली की यह स्थिति है कि दन्यादान के समय सारा कार्य लड़की का पिना अकेला करता है। वह न हो, तो लड़की का चचा दन्यादान का अधिकारी है, परंतु वैदिक विवाह में कन्यादान की विधि नव नक पूर्ण नहीं समझी जाती, जब नक कन्या के पिना के साथ उसकी माता भी चज्ज्वरेदी पर नहीं दैटती। वैदिक मर्यादा का कोई यज्ञ पूर्ण नहीं समझा जाता, जब नक यजमान और यजमान-पत्नी दोनों भाग न लें। जिन लोगों की नर्यादा किसी समय इतनी ज़ंची रही हो, उनके यहाँ लड़कियों की शिक्षा तक बंद कर दी जाय, यह समय का ही फेर है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि वैदिक आदर्श में खियों को खी होने से किसी बात की स्कृप्तवट नहीं। पुरुष तथा ली, ज़ंच तथा नाच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र, सबको राज्य की तरफ से

अपनी योग्यता के विकास के लिये समान अवसर मिलना चाहिए, उन्नति का एक-जैसा तथा पूरा-पूरा मौका मिलना चाहिए, यही वेद की घोषणा है। वहाँ कहा है—

“यथेमां वाचं कल्प्याणीमाधदानि जनेभ्यः ।”

वेद के अनुसार खी को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है, और उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष को। इसके सिवा उसे वे सब दूसरे अधिकार भी प्राप्त हैं, जो पुरुष को हैं। वेद में खी तथा पुरुष के अधिकारों में कोई भेद नहीं किया गया।

ऋग्वेद (१०।१५९) में तो यहाँ तक कहा है—

“अहं केतुरहं मूर्धा षड्मुग्रा विवाचनी ।”

अर्थात् मैं समाज को मार्ग दिखानेवाली पनाका हूँ, मैं समाज का सिर हूँ, मैं बड़ा अच्छा विवाद करनेवाली बक्कील हूँ। इसी सूक्त में आगे कहा है—

“यथाहमस्य धीरस्य विराजनि जनस्य च ।”

अर्थात् मैं इन वीरों की राज्ञी हूँ, इस सेना की अभिनेत्री हूँ। एक जो, जो विवाहिता है, अपने विषय में कहनी है—

“मम पुश्राः शत्रुघ्णाः श्रयो ने दुहिता विराद् ।”

(अथर्व १४।१।२२)

अर्थात् मेरे पुत्र शत्रुओं को नारनेवाले और मेरी लड़की ग्रदीप ज्योतिवाली थे।

इन नंत्रों में विवाहिता ती को समाज का गृह्य होने, उसके

वकील तथा सेनापति होने का वर्णन पाया जाता है। इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि वेद खी के अधिकारों को पूरा-पूरा स्वीकार करता है। परंतु यह अधिकार उसी खी को प्राप्त हैं, जो अपने वाल-बच्चों के ग्रन्ति अपने कर्तव्य का भले प्रकार पालन कर रही हो, या उसने इस प्रकार की कोई जिम्मेवारी ही अपने ऊपर न ली हो। वाल-बच्चों की देख-रेख खोकर किसी खी को इन आमों में हाथ ढालने का अधिकार नहीं है। आज योरप में लियों रोटी का टुकड़ा कमाने के लिये जीवन-संग्राम में जा पड़ी हैं, इससे उनका गृहस्थ-जीवन उजड़ गया है, क्योंकि गृहस्थी का चलाना और रोटी के लिये कठामकदा करना दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। वैदिक आदर्श में उसी पुरुष को विवाह करने का अधिकार हैं, जो विवाह से पहले 'नमेयमस्तु पोष्या' अर्थात् मैं इसका भरण-पोषण करूँगा, इस बात का एलान कर सके, वह एक सभा में खड़ा होकर यह वोषणा कर सके कि वह अपनी पत्नी का और वाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकेगा। शायद योरप में खी को पुरुष का उत्तमार्ध (Better half) इसलिये कहा जाता है, क्योंकि वह वाल-बच्चों की देख-रेख भी करनी हैं, और पुरुष के मुक्काबले में रोटी भी कमा लाती है। वह खुद ही पुरुष से उत्तम (Better) हो गई। वैदिक आदर्श के अनुसार तो वह अर्धांगिनी (Equal half) है। पुरुष रोटी कमाकर लाता है, और खी वाल-बच्चों की देख-रेख करती हैं। उन्होंने अपने काम का इस प्रकार बटवारा कर रखा है। वैदिक आदर्श के

अनुसार ली-पुरुष में एक दूसरे से अच्छा-बुरा होने का कोई मौका नहीं है। दोनों का क्षेत्र अपना-अपना है। दोनों ने श्रम-विभाग के अनुसार रजामंदी से भिन्न-भिन्न क्षेत्र चुन लिए हैं। पुरुष के क्षेत्र में ली दखल नहीं देती, और ली के क्षेत्र में पुरुष चुप रहता है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में काम करें, तो वे दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं।

१०. पत्नी घर की सम्बाजी है-

हमने देख लिया है कि प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार ली को घर में क्लैद नहीं किया जाता, वह स्वतंत्र रहती है। उसे पर्दे में क्लैद नहीं रखा जाता, वह पुरुषों के साथ भी स्वतंत्रता से मिलती है, और समाज को गंदा करने के बजाय उसे गंदा होने से बचाती है। उसकी नैतिक स्थिति (Moral tone) को ऊँचा बनाए रखती है। हमने यह भी देख लिया कि यदि वह बाल-बच्चों की परवरिश के कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रही है, या इस झगड़े में ही नहीं पड़ रही, तो उसे बकालन करने, सेनापति बनने और राज्य करने तक का भी पूरा अधिकार है, परन्तु अधिकतर वह इस कशमकदा में नहा पड़ती, यह काम पति के सुपुर्दे रहता है। पति नथा पत्नी दोनों अपने-अपने क्षेत्र में राज करते हैं। अब हमें यह देखना है कि पत्नी का अपने घर में किस प्रकार वह राज हैं।

आज हमारे घरों में ली-जाति की स्थिति दासी से बढ़कर नहीं है। लड़के वा विवाह होता है, नई बहू घर आती है,

परंतु उसके साथ उसकी सास का वर्तावा ऐसा होता है, जैसा नौकरानी के साथ। विवाह से पहले यदि नौकरानी होती हैं, तो वह आने पर यह समझा जाता है कि अब नौकरानी की क्या चखरत है, वह जो आ गई, वह सारा काम काज कर लेगी। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि वह को काम नहीं करना चाहिए, मेरे कथन का इतना ही अभिप्राय है कि वह पर काम का बोझ उसे नौकरानी समझकर डाला जाता है, घर की जिम्मेवार मालकिन समझकर नहीं। सास के हाथों भी का भरा कन्स्लर गिर जाय, तो कुछ नहीं, परंतु यदि वह से एक सुई भी टूट जाय, तो वह उसके सिर हो जानी हैं। तभी आजकल सास और वहुओं की नहीं बनती। वैदिक आदर्श ऐसा नहीं है। वेद में कहा है—

“यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुपुत्रे दृष्टा;

एषा त्वं सन्नाह्येषि पत्युरस्तं परेत्य।” (अथर्व० १४।१।४२)

जैसे समुद्र नदियों का राजा है, इसी प्रकार पति के घर में वह सन्नाह्नी अर्थात् महारानी होकर रह। सन्नाह्नी भी कैसी?

“सन्नाह्येषि शवश्चरेषु सन्नाह्युत देवपुः।

ननान्दुः सन्नाह्येषि सन्नाह्युतश्चश्रवाः॥” (अथर्व० १४।१।१४)

तुझे तेरा शवश्चर वर की महारानी समझो, तेरे देवर तुझे सन्नाह्नी समझो, तेरी ननदें तेरा शासन माने, और तेरी सास तुझे वर की महारानी मानें।

वेद वर में यह स्थिति खी को देना चाहता है। माता-पिता

का कर्तव्य है कि जब उनका पुत्र विवाहित हो जाय, तो अपने हाथों से घर का राज अपने पुत्र तथा पुत्र-वधु को दे दें। अपने पुत्र को वे घर का राजा बनाएँ, और पुत्र-वधु को घर की महारानी। इसके बाद वे उस घर में न रहें, और यदि रहें, तो अपने पुत्र तथा पुत्र-वधु की प्रजा होकर रहें। सास घर के खजाने की चाली नई वधु के हाथों में रखकर उसे घर की मालकिन बना दे। इस आदर्श को सुनकर आजकल की सासें शायद चौंक पड़ें और समझें कि इन बातों को सुनकर उनकी बहुपैं विगड़ जायेंगी। मैं पक्का बुढ़िया को जाननी हूँ, जो बेचारी अंधी है, चल-फिर भी ज्यादा नहीं सकती, परन्तु वह हरएक चीज़ की चाली अपने पास रखनी है। जब उसके पोते पैसा माँगते हैं, तो वह अपने सिरहाने के नीचे से चाक्रियाँ टटोलकर उन्हें पैसे देनी है। वह इन बात को बदाज़ नहीं कर सकती कि उसकी वह बच्चों को पैसे दे दे। जब कभी बच्चे लड़के माँगते हैं, तो वह संदूक खोलकर उन्हें लड़के देने में घंटा-भर लगा देती है, और शरारती लड़के गड़ देखकर कि दादी देख नहीं सकती, तुपके से पक्का-पक्का लड़के और उड़ा ले जाते हैं। यह बुढ़िया हमारी चानों का नमूना है, जो पर में वह का राज नहीं देख सकता। समानोनाइटियों में भी ऐसी सासों की कमी नहीं है। नंती, प्रधान के पांच को जो लोग जन्म-जन्मान्तरों की बर्पानी जापदाद समझते हैं, और नववर्षों को आगे नहीं आने देते, वे तो जाइटियों की समें

हैं। वैदिक आदर्श यह नहीं है। लड़का जब बड़ा हो जाय, तो अपना स्थान उसे दे देना वेद की मर्यादा है। वैदिक मर्यादा तो यह है कि पति-पत्नी अपनी आत्मा को इनना विकसित करें कि जब तक उनके लड़के की शादी हो, तब तक वे मोह के वंधन को घर से निकालकर घर के बाहर फैलाने लगें, परार्थ को स्वार्थ बनाने का पाठ सीखते-नीखते अपने क्षद्र स्वार्थ से सर्वथा ऊपर उठ जायें। जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके इसमें से निकलना नहीं सीखा, जिसने वंशनों में पड़कर उन्हें काटना नहीं सीखा, वह गृहस्थाश्रम को एक कीचड़ बना लेना है, और स्वयं उसका कीड़ा होकर उसमें रेंगने लगता है। जो पति-पत्नी इस प्रकार गृहस्थाश्रम के भीड़े हैं, वे अपनी बहू के सिर पर अपने ही हाथों से उस साम्राज्य के सेहरे को कैसे बाँध सकते हैं, जो अब तक उनके सिर पर बँधा था। परन्तु नहीं, गृहस्थ का वैदिक आदर्श यही है। वैदिक घर में नई बहू श्रृंगर करके प्रवेश करती है, और उस घर में उसके सास, ससुर, नन्दें और देवर उसे घर की रानी समझकर उसके सामने झुकने हैं। यह झुकना उस आदर्श के सामने है, जिस आदर्श का जीवन में क्रियात्मक पाठ सीखने के लिये इस दंपति ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है। अब तक इनके माता-पिता ने इस आश्रम में २५ वर्ष तक अपनी आत्मा के विकास का पाठ सीखा था, स्वार्थ की जड़ों में परार्थ का पानी संचकर परार्थ को ही स्वार्थ बना दिया था। अब ये नौसिखिए भी उसी क्रम में से

गुजरकर जीवन के लक्ष्य को अपने समीप लाने का प्रयत्न करेंगे।

११. गृहस्थ का आदर्श गृहस्थी छोड़ना है

हमने देख लिया कि विवाह का वैदिक आदर्श क्या है। विवाह खिलवाड़ नहीं है, यह विषय-भोग का साधन नहीं है। वेद पत्नी को संबोधन करके कहता है—

“परथुरनुद्रता भूत्वा सनक्षेस्व अमृताय कम् ।” (अथर्व० १४।१।४२)

पति के पीछे चलती हुई अमृत पाने की तैयारी कर ! विवाह अमृत पाने की तैयारी के लिये है। इस अमृत को अर्थर्व वेद के इसी कांड में (६४ मंत्र) एक दूसरे स्थल पर समझाया गया है—

“ब्रह्मापरं शुद्धतां ब्रह्मपूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ग्रस्य सर्वतः ;

अनाव्याधां देवपुरां प्रपञ्च शिवा स्योना पतिजोके विराज ।”

पत्नी के पीछे ब्रह्म हो, आगे ब्रह्म हो, आखीर तक ब्रह्म हो, बीच में ब्रह्म हो, और चारों तरफ ब्रह्म हो। इस प्रकार ब्रह्म से घिरी हुई पत्नी पति-लोक में राज्य करे। ब्रह्म वा अर्थ है वज्ञापन, महानता। यह महानता वही है, जिसका इस अस्याय के प्रारंभ में संकेत किया गया था। हम अब्रह्म हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, स्वार्थ में नड़े हुए हैं, अपने सिवा हमें कुछ नहीं दिखलाई देता। विवाह से पति-पत्नी ब्रह्म की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, धीरे-धीरे वे बहुत बड़े हो जाते हैं, स्वार्थ के नड़े से निकलकर परार्थ के समीप पहुँच जाते हैं, उन्हें अपनापन

भूल जाता है, और अपने सिवा सब कुछ दिखलाई देने लगता है। गृहस्थ, मनुष्य को जीवन के इसी आदर्श की तरफ ले जाता है; यदि गृहस्थ मनुष्य को जीवन के इस आदर्श की तरफ नहीं ले जाता, तो वह गृहस्थ गृहस्थ नहीं है, वह इस आश्रम की खिल्ली उड़ाना है। इसीलिये गृहस्थ के जिनने आदर्शों का ऊपर वर्णन किया गया है, उन सबमें कौचा आदर्श यह है कि गृहस्थ एक खास समय पर आकर, एक खास मंजिल पर पहुँचकर, ऐसी स्थिति में पहुँचकर कि जब उसने दूसरों के स्वार्थ को अपना स्वार्थ बनाना साख लिया है, गृहस्थाश्रम से भी ऊपर उठ जाय, इस आश्रम का भी त्याग कर दे। गृहस्थी में प्रवेश गृहस्थी से निकलने के लिये है, उसी में बैठे रहने के लिये नहीं। यह जीवन के उद्देश्य को नफल बनाने के लिये एक साधन है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं। यह एक सराय है, निज का मकान नहीं, गृहस्थी को किसी कैंचे टीले पर पहुँचना है, रास्ते में टहरना नहीं। गृहस्थ का यह आदर्श उसके सब आदर्शों का शिरोमणि आदर्श है, क्योंकि यदि गृहस्थ इस बात को नहो समझा, तो वह कुछ नहीं समझा।

प्राचीन काल में गृहस्थ का यही आदर्श समझा जाता था। उत्तर राम-वरित में एक दृश्य का वर्णन है। राम नया लक्ष्मणमुनियों के कपड़े पहने हुए हैं, और दोनों इक्ष्वाकु-वंश के प्राचीन राजाओं के चित्र देख रहे हैं। उन चित्रों में इक्ष्वाकु-वंश के सब राजाओं का चानप्रस्थ-आश्रम का चित्र है। इसे देखकर लक्षण कहते हैं—

“पुत्र संकान्त लक्ष्मीकैर्यद् वृद्धेष्वाकुभिर्भृतम् ;
धृतं यात्ये रादर्थेण पुण्यमारण्यकव्रतम् ।”

“इक्ष्वाकुन्तश में यह प्रथा थी कि जब वे वृद्ध हो जाते थे, तो लक्ष्मी को पुत्र के हवाले धर दिया करते थे । हे राम ! तुमने तो यदि जंगल में विचरने का वानप्रस्थियों का वाना वंचपन में ही पहन लिया ।” दिलीप ने जब वृद्धावस्था आने के कारण वानप्रस्थ लिया है, तो उसका वर्णन कालिदास ने इस प्रकार किया है—

“अथ स विषय व्याख्यातामा यथाविधि सूनवे ;
नृपति ककुदं दद्या यूने सितातपवारणम् ।
मुनिवनतरुद्धार्यां देव्या तथा सह शिश्रिये ;
गजितवप्यसामिष्वाकृणामिदं हि फुलव्रतम् ।”

“द्विषयों से अपने मन को ग्रांचकर दिलीप ने यथाविधि राजा के चिद को अपने पुत्र रघु के मुपुर्द किया, और म्यग्यं देवी के साथ जंगलों की क्षाया में चला गया । वृक्ष इक्ष्वाकुओं द्वातो यह फुल-व्रत है ।” इसी प्रकार जब भृगु वृद्ध हो गया, और उसका लड़का अज त्रिवाहू करके दर आया, तो कालिदास यहाँ लिखा है—

“प्रथमपरिगतार्पस्तं रघुः सज्जिषुनं
यिजिधिननभिनन्स दक्षाद्यजायामस्मेतम् ;
तदुपदितद्विभागः रान्तिमागोऽनुकोऽनृत
न हि सति शुक्लेण्यं गूर्वं वरदा गृहाद ।”

“यदि कुल की धुरी, कुल का स्तंभ पुत्र मौजूद हो, और माता-पिता वृद्ध हो जायें, तो सूर्यवंशी राजाओं में घर में बैठने की प्रथा नहीं है।” इसी ग्रन्थ के अमिद्वानशकुंतल में दुष्प्रयत्न अपने कुल की परिपार्दी का उल्लेख करता हुआ कहता है—

“भवनेषु रसाविकेषु पूर्वं वितिरायं मुश्चन्ति ये निमासम्;

नियतैङ्ग पतिव्रतानि परचादं समूद्भानि गृही भवन्ति तेषाम्।”

“जो लोग बड़े-बड़े भवनों में रहा करते हैं, वृद्धावस्था में जाकर वे वृक्षों की जड़ों में अपना आसन जमा लेते हैं।” जिस समय शकुंतला का दुष्प्रयत्न से विवाह हुआ है, तब जैसे लड़कियाँ विदाई के समय अपनी मां से पूछती हैं, अब मुझे कब बुलाओगी, जैसे शकुंतला ऋषि कण्व से पूछती है, आप मुझे कब बुलाएंगे? कण्व ऋषि उचर देते हैं—

“भूता चिराय चनुरन्दमहा सप्तवी

दौध्यन्तिमपतिरथं तनयं निवेशय;

भन्नं तदीपित कुदुम्बमरेय सावं

शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्नेऽहिमू।”

“दर तक दूर राज्य कर्ता-कर्ती जब अपने लड़के को गँड़ पर बैठा देगी, तब अपने पति के साथ बानप्रस्तिना बनकर इस आश्रम में आना।”

ग्राचीन काल के बानप्रस्तियों के ये वर्णन हैं। उस समय गृहस्थ २५ साल के बाद वर छोड़कर जंगल में धूर्णा जा रहा था। राजा-महाराजा भी वड़ी खुद्दी से रेशमी कपड़े उतारकर

वृक्षों की द्याल पहन लेते थे। भारत के बड़े-बड़े शहरों के इर्द-गिर्द वानप्रस्थियों के आश्रम हुआ करते थे। इन आश्रमों से मनुष्य-समाज के लिये आच्युत्मिकता का पवित्र स्रोत बहा करता था। संसार के नाना प्रकार के झंझटों से थके हुए गृहस्थ-समाज के लिये ये वानप्रस्थियों के आश्रम शांति का उद्घव-स्थान हुआ करने थे। वे गृहस्थियों को उनका आदर्श चिताते रहते थे। आज वह आदर्श सर्वथा लुप्त हो गया है। इसीलिये हमारा सामाजिक जीवन अत्यंत गंदा हो रहा है। जिन लोगों को घर छोड़ बनों में चला जाना चाहिए था, वे सभा-सोसाइटियों के मंत्री, प्रधान बनने के लिये लड़ रहे हैं, पार्टीवंदियों के चक्रर में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को पछाड़ने में और अपने झुटे गौरव को चार दिन तक और कायम रखने में दिन-रात पड़्यत्रों में लगे हुए हैं। यदि वैदिक आदर्शों की कोई स्टेट होती, तो इन सबको घर से निकालकर बाहर करती, और सामाजिक जीवन को गंदा होने से बचा लेती। गृहस्थ का आदर्श गृहस्थाश्रम को छोड़ देने में है, इसमें पड़े रहने में नहीं। महाराज 'रघु' अपने पुत्र 'अज' को सिंहासन पर बैठाकर जंगल में जा बैठे थे, मुनि याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति का बठवारा कर तपोवन में चले गए थे। वह दुनिया से भाग भार नहीं गए थे। वह दुनिया से गुजारकर गए थे, इसके मुख-दुःख का अनुभव करके गए थे। इसमें से गुजरने हुए उन्होंने जीवन के महान् आदर्श को

सीख लिया था, उनका जीवन द्वेषे क्षेत्र से निकलकर बड़े क्षेत्र में विचरने लगा था; उनकी आत्मा में स्वार्थ का वीज नष्ट हो चुका था, और परार्थ का वीज जड़ पकड़ रहा था; उन्होंने अपने लिये न नरकर दूसरों के लिये मरना साम्बद्ध लिया था। ऐसे महात्माओं के सम्मुख जब मृत्यु आनी थी, तो उनके चरण चूमने के लिये, न कि उनके सिर पर प्रढार बरने के लिये। ऐसा इत्य स्त्रि से देखने के लिये आज अँखें तरस रही हैं। आज उन प्राचीन तथोवतों से निकलते हुए संदेश की तरफ कान लगाकर सुनने की आवश्यकता है।

वेद के आदर्श के अनुसार गृहस्थाश्रम को नर्मा नफल कहा जा सकता है, जब आयु के एक खास मान में आकर जैसे सौंप कैंचुलां को उनार फेहता है, वैसे इस आश्रम को भी छोड़ दिया जाय, और अगले आश्रम में प्रवेश किया जाय। 'गृहस्थ जा आदर्श' तो 'जीवन के आदर्श' को पूरा करने की शृंखला में एक कड़ी है। विवाह का वैदिक आदर्श नर्मा नफल कड़ा जा सकता है, और वहाँ तक सफल कहा जा सकता है। जब नक और जहाँ तक वह जीवन के आदर्श को नकल बनाता है। जब गृहस्थ उस आदर्श तक पहुँच जाना है, तब अनायास उसके मुँह से निकल पड़ता है—

“योऽपावस्त्रौ पुरुषः स्तोऽइमन्ति”

इसी आदर्श का दूसरे शब्दों में वेद ने वर्णन किया है—

“नृथोः स चृत्युनाष्टोति य इदं नानेष पश्यति”

संसार में एकता देखने में जीवन है, भिन्नता देखने में मृत्यु है। गृहस्थ मनुष्य को भिन्नता की तरफ से खोचकर एकता की तरफ, जीवन की तरफ, अमरता की तरफ ले जाता है—तस, यही विवाह का प्राचीन भारतीय आदर्श है, परंतु हमारे समाज की वर्तमान रचना में स्त्री इस आदर्श को, इस ऊँची स्थिति को सदियों से खो दैठी है।

स्थियों की स्थिति

किसी मुसलमान भाई के घर जाकर दर्खाए। यदि पति घर में न हो, तो मजाल है, आप घर में अपने आने का संदेस दे सकें। क्या घर में कोई नहीं? क्या मकान सूना है? क्या किवाड़ों में ताला लगा है? नहीं—दर्वाजे खुले हैं, घर आवाद है, इस बज्जत भी कोई अंदर मौजूद है, परंतु आपके लिये घर सूना न होता हुआ भी सूना है, किवाड़ खुले होते हुए भी बंद हैं, आप अपने आने का कोई संदेस नहीं दे सकते! क्या कारण? कारण यही कि घर में जिस तरह मेज़-कुर्सियाँ मकान की शोभा बढ़ा रही हैं, जिस तरह झाड़-कानूस छत से लटकते हुए अलंकार हैं, उसी तरह इस घर में एक जीवित अलंकार है—शायद नया हो, शायद पुराना हो—वह मकानबाले की मिल्कियत है। मालिक-मकान के लिये उसकी खी उसकी संपत्ति है, एक चीज़ है—उन्हीं अर्थों में वह मिल्कियत और चीज़ है, जिन अर्थों में उसकी मेज़ और कुर्सी। वह उसे छिपाकर रखता है—शायद वह उसके चुराए, खोए या छीने जाने से ढरता है—घर के आखीरी कमरे के आखीरी कोने में गठरी-सी बनकर बैठे रहने का उसे हुक्म मिला हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उसे अच्छी तरह लपेटा जाता

है ; कोना-कोना, कपड़े से ढाँपा जाता है ; खूब पैक करके उसका पार्सल तैयार किया जाता है । स्टेशनों पर सवने देखा होगा । उसे गाड़ी में इसी तरह चढ़ाया जाता है, जिस तरह एक विस्तर को । यही कारण है कि इस खुले आवाद घर में, घर के मालिक के मौजूद न होते हुए, आप किसी तरह भी नहों जा सकते । यह आवश्यक नहीं कि इस घर की 'गृहिणी' नव-विवाहिता युवती हो—चाहे वह ८० वर्ष की बूढ़ी हों हो—परंतु वह तो दूसरे की चीज़ है, वह ढक्की रहनी चाहिए । इस सारे मकान में माल-असवाव हैं, उसका मालिक यहाँ नहों है । मकान में माल-असवाव बहुत कुछ है—मेज़े हैं, कुर्सियाँ हैं, गलीचे हैं, जाड़फ्लानूस हैं, मुर्गियाँ हैं, घोड़े हैं, लियाँ हैं—परंतु जिसके पास आप अपने आने का संदेस दे सकें, ऐसा यहाँ कोई नहीं है ।

पुरुष-जाति ने ली-जाति को अपनी जायदाद बना रखा है । कहते हैं, ली स्थभाव से ही दबती है—उसमें अपनी इच्छा नहीं होती, वह एक चीज़ है, भोग्य बस्तु है । सैमेटिक लोगों के यही विचार हैं । मुसलमान और यहूदी इसी दृष्टि से ली को देखते आए हैं । यहूदियों की मान्य पुस्तक बाइबिल के पुराने अहदनामे में लिखा है कि खुदा ने मट्ठी से गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को बना दिया—उनमें रुद्ध नहीं फूँकी । ली को भी बनाया, लेकिन उसमें भी रुद्ध नहीं फूँकी । आदम को बनावर उसमें रुद्ध फूँक दी । इसीलिये पक्के ईसाई-मुसाई और मुहम्मदी पशुओं तथा लियों में आत्मा नहीं मानते । यदि ली में आत्मा

नहीं, तो वह माल, मत्ता, असत्राव नहीं, तो और क्या है? इसी-लिये सुभेद्रिक्तज्ञाति के लोगों की छाड़ियों में हाथी-बोड़ों की लूट के सायन्साय क्रियों को भी लूटा गया! जिसके पास जितने अविक हाथी-बोड़े हुए, वही बड़ा—बड़े के पास अविक क्रियों का होना भी चल्हा हो गया। वहुविवाह का अवर्म होना तो दूर, वह अकिं के गौत्व की परख बन गया। अतिथियों का सत्कार अपनी उत्तमसे-उत्तम बस्तु के साथ किया जाता है। इतिहास की साक्षी है कि अनेक जातियों में अन्तिथियों का उनकी क्रियों पर भी पूरा अविकार था। जी तो पुरुष का खिलौना है। पुरुष को ली का चल्हत पड़ता है—‘की की चल्हत’—इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। पुरुष चाहे तो ली को जी-भरकर पाठ सकता है—वह उनकी मिल्कियत जो हुई। पुरुष को ली का मनोवाचित उपयोग करने का पूरा-पूरा अविकार है—पुरुष ली के साथ जैसा अवहार चाहे करे—ली का कर्तव्य है, वह सब कुछ आँखें मूँदकर सहन करे। पुरुष ली के गहने उत्तापकर वेच सकता है, उनका दुरेसे-दुरा इत्तेमाल कर सकता है। लोग क्रियों को वेचते हैं, वर्डी मारी तिजारत होता है। क्रियों खुद अपने जिस को कौड़ी-कौड़ी में वेचता हैं। यह सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि क्रियों की स्थिति माल-असत्राव से बढ़कर नहीं। ‘स्वतंत्रता’ शब्द का पुरुष ही उच्चारण कर सकता है, ‘ली’ और ‘स्वतंत्रता’ इन दोनों शब्दों में कोई साहचर्य नहीं।

अब चलिए किसी योरपियन के घर। यहाँ भी गृह-पति अनुपस्थित है, परंतु कोई फ़िक्र नहीं। पाँव की आहट सुनते ही नवयौवन-संपन्ना गृह-पत्नी शृंगार किए हुए बूटों की टप्पटप आवाज करती हुई आपके सामने आ खड़ी होती है। ‘चलिए, अंदर चलकर बैठिए, चाय पीजिए। आराम कीजिए। गृह-पति के आने तक पुस्तक लेकर पढ़िए !’ मुसलमान भाई के घर में ८० वर्ष की वृद्धा भी आपके सामने आने से हिचकिचाती थी, यहाँ १९ वर्ष की युवती बहुत खुलकर आपसे वार्तालाप करती है। क्यों ?

संमेटिक-जातियों से योरपियन-जातियाँ उन्नत अवस्था में हैं। उन्होंने अपने समाज में ली को ऊँचा दर्जा दिया है। यहाँ लियों को स्थिति ज्ञाइ-कानून या गाय-भैंस की-सी नहीं, बल्कि उनसे ऊँची है। ली पुरुष की संपत्ति नहीं—वह स्वतंत्र है। वे ली का बहुत आदर करते हैं। ली का पुरुष पर प्रेम का अधिकार है। धरण घरने जाते हैं, तो ली पुरुष से दो कदम आगे बढ़कर चलती है। वच्चा रोता है, तो ली बच्चे को पुरुष के द्वाले घर देती है। योरपियन लोग ली के लिये गान्धाप तक को छोड़ने के लिये तैयार हैं—वर से भागने के लिये उधन हैं। पुरुष लियों के साथ मिलकर नाचते हैं। जो पुरुष जिस दी से और जो ली जिस पुरुष से चाहे प्रेम करे—प्रेम की पूरी आजादी है, पूझनेवाला कोई नहीं। शादी होने-होते ही दर ने छुदा हो जाते हैं।

सैमेटिक-जातियों ने खीं को धन-दौलत समझा, उसे पुरुष कीं क्रांतदारी समझा, विषय-वासना-नृपति का एक सावन समझा—योरापियन-जातियों ने खीं के र्हात्व-रूप को देखा, उसे रलों से जड़ दिया, अलंकारों से विभूषित कर दिया, अपने जीवन को उसी के चरणों में समर्पित कर दिया, खीं में भोग्य दुद्रि को एक दूसरा रूप दे दिया। खीं का इसहन करने के लिये उत्पन्न नहीं हुई, वह अव-छिली चमेली की कली है; कष्ट-रूपी पाला लगाने से वह मुख्या जायगी। वह दिन-भर कोकिल-कंठ से गाया करे, बसन्त की शीतल पत्र के झकोरे से हिलते शालमली-पत्र की तरह नाचा करे। चंद्रमा समुद्र में ज्वार-भाद्रा उत्पन्न करता है—वह भी मानव-मानस में तरंगे उत्पन्न करती रहे। वह हँसती रहे, खेड़ती रहे, कूदती रहे, नाचती रहे, गाती रहे—योरापियन-जातियों इसी से संतुष्ट हैं। बूढ़ी ब्रियाँ भी इनके यहाँ शृंगार करती हैं, पाउडर लगाती हैं, दुनिया-भर की नौक-झोक करती हैं—अपने स्त्री-भाव को ज्ञायम रखने के प्रयत्न में उर्णी रहती हैं।

आइए, अब आपको वैदिक सम्यताग्रन्थी भारत के किसी ग्रामीण वर में ले ज़लें। हिंदुओं के आजकल के वरों ने जाने की उत्सर्जन नहीं—आज तो हमने मुसलमानों के सहवास में बहुत कुछ नवा सीख लिया और पुराना लुला दिया है। ग्रामीण काल के किसी ऐसे भारतीय गृह में प्रवेश कीजिए, जिसमें ग्रामीण ऋषियों की जगह ज्योति का प्रकाश धीमा नहीं पड़ा।

धर क्या है, देवन्स्थान है ! 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।' आपके दुर्मग्नि से आपके पहुँचने पर यहाँ भी गृह-पति बाहर गए हुए हैं । आपके आने की सूचना पाते ही एक नवोद्घातिता पोडशब्दीया युवती धीरे से कपाट के एक तरफ आकर खड़ी हो जाती है । देखते ही समझ में आ जाता है कि इसकी गणना माल-असबाब में नहीं की जा सकती ; और न यह उछल्ती-कूदती, विच्छा-भर उठी पँडी के बूटों को टपटपाती आंगल ललना के समान है । यह आपके सामने खड़ी है, परंतु इसकी आँखों में दैवी गंभीरता, नम्रता तथा प्रेम चिन्तित हैं । वही सत्कार-सूचक शब्द—'आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ ?' सारा व्यवहार हृदय में 'मातृत्व-भाव' को उत्पन्न कर देता है—हृदय 'मातृ-शक्ति' के समुख आदर-शूर्वक कुक जाता है ।

भारतीय वैदिक आयों के हृदय में खी का ऊँचा स्थान था । इंट, पत्थर, रोड़, पशु-पश्ची की स्थिति से ऊपर उटकर, 'खी-भाव' या समानता खी की स्थिति से भी ऊपर उठकर वह और ऊपर उटनी है—वह पुरुष से भी ऊपर की स्थिति में आ जाती है । उसमें आत्मा नहीं है, इस कल्पना की जगह शाखों में खी को 'शक्ति' का रूप दिया गया है । 'खी' एक अद्भुत शक्ति है—'शक्ति' माना है । आर्य लोग खी में सब भावों खी कल्पना करते हुए उसकी 'मातृ-शक्ति' को सदा प्रधानता देते थे । वे खी में शक्ति की पूजा करते थे, क्योंकि शक्ति-शब्द का उधारण

करते ही उन्हें दिव्य गुणों का स्मरण हो आता था। उनका व्येय था—‘मातृवत् परदारेषु’। पादचाल्य लोग इस भाव पर हँसते हैं, क्योंकि उन्होंने खी में ‘मातृ-भाव’ की कल्पना अभी नहीं की। उनकी लियों दूड़ी होकर भी अपने ‘खी-भाव’ को शृंगार आदि द्वारा काव्यम् रखने का प्रयत्न करती है—यहाँ ग्राम्य से ही तपस्या का पाठ सीखना पड़ता था। वहाँ ‘खी-भाव’ में अनिच्छित ‘मातृ-भाव’ आ पड़ता है—यहाँ ‘मातृ-भाव’ के साक्षात्कार के लिये अनिच्छित ‘खी-भाव’ की कल्पना करनी होती थी। वहाँ ‘खी-भाव’ उद्देश्य है—यहाँ वह ‘मातृ-भाव’ स्वप्नी उद्देश्य के लिये साधन था। यही कारण है कि भारतवर्ष के ग्रामीन आद्यों में चवाभृतीजे सब इकहे रहा करते थे, आपस में फटे हुए नहीं रहते थे। घरों में लड़ाइयाँ और बटवारे नभी होते हैं, जब नववृक्षों की आँखों के सामने भोग-विलास के स्वप्न फिरने लगते हैं। ‘खी’ में ‘खी-भाव’ देखनेवाला अंगस्वार्थी अपने बच्चोंन माला-पिता को छोड़, खी को साथ ले दूर निकल जाता है। खी में ‘मातृ-शक्ति’ के दर्शन करनेवाले ग्रामीन आर्य से यह आशा नहीं की जा सकती थी।

आद्यों की विवाह-पद्धति इस बात को और भी स्पष्ट कर देती है। विवाह हृदय का है—जिनके हृदय मिल गए, उनका विवाह स्वयं हो जाया, संल्कार तो उसी के बाद स्वरूप को दर्शने के लिये है। आदर्श तथा खेद की क्या इससे बढ़कर कोई सीमा हो सकती है कि जिन्हें सारी उम्र सुख-दुःख में साथ वितानी है,

उनकी कोई सलाह न ले, और माता-पिता ही अपनी संतानों के भाग्यों का सदा के लिये निपटारा कर दें। जिनके भाग्य का फँसला करने चले हो, उनकी सलाह विलकुल नहीं—जिनका कोई सरोकार नहीं, वे मगज-पच्छी करें! विवाह करने या न करने में संतान की सलाह न लेकर अपनी इच्छा प्रधान रखनेवाले माता-पिता धांगा-धांगी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, अनधिकार-चंपा करते हैं। यह प्रथा आया में नहां थी। आयों की विवाह-पद्धति अद्विनीय थी, उनमें 'स्वयंवर' से विवाह हुआ करना था। 'स्वयंवर' का अर्थ है—'अपने आप बरना'। योरप में प्रचलित स्वच्छुंद्र प्रेम (Free-love) की प्रथा को स्वयंवर कहना भूल है। स्वच्छुंद्र प्रेम में लड़का-लड़की आज्ञाद रहते हैं, उन पर निगरान रखनेवाला कोई नहां होता। स्वच्छुंद्र-प्रेम का प्रारंभ ही इस प्रकार होता है। पहले-पहल उसे छिपाया जाना है। जिस लड़के-लड़की का प्रेम हो, वे उसे गुप्त रखने की प्राण-पण से बेष्ट बरते हैं। 'स्वयंवर' में यद्य भाव कठिन नहां। लड़के-लड़की का प्रेम है, वे उसे छिपाते नहां। उनका हृदय-पट उनके माना-पिता के सामने खुला पड़ा है, माना-पिता से बुल छिपाया नहां जाना। स्वच्छुंद्र प्रेम में सारी कारेवाई—शुरू के आग्नीर नक—माना-पिता से छिपाई जानी है; स्वयंवर में सब खुल माना-पिता के समूल किया जाता है, उनके अनुग्रहों से जाग उठाया जाना है। इस भेद का आधार बूत कारण याही है कि योरप के स्वच्छुंद्र प्रेम ने दी की 'सी-भाव' को प्रशंस करने वा प्रयत्न किया जाना

है; भारत की स्वयंवर-प्रथा में लड़ी के 'मातृ-भाव' को लक्ष्य में रखकर, स्वयंवर को एक पवित्र कार्य समझा जाता था। पश्चिम में स्वच्छंद प्रेम नवयुवकों को गढ़े में गिराता है—यहाँ वह हाल नहीं। स्वच्छंद प्रेम की प्रथा यहाँ भी थी, परंतु यहाँ के स्वच्छंद प्रेम—स्वयंवर—का परिणाम तलाक (Divorce) नहीं था। यहाँ के स्वच्छंद प्रेम का आधार लड़ी का 'लड़ी-भाव' नहीं, अपितु 'लड़ी-भाव' में छिपा हुआ 'मातृ-भाव' था। यही कारण है कि योरप को स्वच्छंद प्रेम की प्रथा ने तबाह कर दिया—भारत को स्वयंवर-प्रथा ने पुरातन सम्यताभिमानी देशों का मूर्धन्य बना दिया। इसी उच्च आदर्श के कारण 'स्वयंवर'-प्रथा में यद्यपि स्वच्छंद प्रेम से होनेवाले सब फ़ायदे मौजूद थे, तथापि उसका पागलपन और अंधापन नहीं था। लड़ी की 'मातृ-शक्ति' को समझा जाता था, अतः माता-पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी संतान के हृदय को स्वतंत्रता भी देते थे, और उसके प्रत्येक कार्य को अपनी आँख के सामने भी रखते थे।

'मातृ-शक्ति' के भाव को कितनी दूर तक पहुँचाया गया था। 'जाया'-शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ऋषि लोग कहते हैं—'जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः'। लड़ी को 'जाया' क्यों कहते हैं?—क्योंकि पुरुष स्वयं इसके गर्भ से इसका पुत्र बनकर फिर से पैदा होता है। अपनी ही लड़ी को स्वयं उसकी संतान बनकर 'मा' कहने लगता है। धन्य हैं वे लोग, जिन्होंने इस उच्च भाव को इस परा काष्ठा तक पहुँचाया

था। ली को पवित्र क्यों रखें? क्योंकि वह अपने उत्पन्न होने के लिये ही तो क्षेत्र है। बीज बुरे क्षेत्र में पड़कर बुरा उत्पन्न होगा। मनुष्य बीज बनकर अपनी ली के क्षेत्र में उत्पन्न होता है—वह अपने क्षेत्र को मछिन क्यों होने दे? पुत्र के लिये कहा है—‘आत्मा वै पुत्र नामासि’—पुत्र अपना ‘आत्मा’ है। पुत्र का ‘मा’ कहकर पुकारना तुम्हारा ही तो ‘मा’ कहकर पुकारना है, क्योंकि पुत्र तुम्हारा ही तो एक नया संस्करण (Edition) है। तुम—‘एकोऽहं बद्धस्याम्’—अपनी एकता को अनेकता में लाते हुए ली की ‘मातृ-शक्ति’ का आश्रय लेते हो। जब तुम एक रूप में थे, पति के रूप में थे, तब ‘ली’ को ‘ली’ कहकर पुकारते थे। एक मुख से ‘ली’ उचारण करने का बदला चुकाने के लिये पुरुष को अनेक संतानों के रूप में आना पड़ता है, ताकि वह अनेक मुखों से उसी ली को ‘मा’ कहकर पुकार सके। नभी तो संतान-दीन होना शाखों में पापों का फल समझा गया है। संतान-दीन पुरुष अपनी ‘ली’ को ‘माता’ कहकर नहीं पुकार सकता, इससे बढ़कर और क्या पाप-फल हो सकता है—‘ली-शक्ति’ में ‘मातृ-शक्ति’ के दर्शन करने से उसे वंचित रखा जाना है। पुत्र-शब्द की अत्यरिक्त इसी भाव पर प्रकाश ढालनी है। ‘मु’ नाम नरवात् श्राद्धत इनि पुत्रः—नरक से पार यत्नेवाला पुत्र है। श्राद्ध यत्ने पुत्र अपने माना-पिना को नरक से पार नहीं यत्न में पुरुष फिर से

उत्तम होकर 'छी-भाव' में 'मातृ-भाव' का साक्षात् दर्शन करता है, वही माता-पिता का नरक से पार हो जाना है। 'छी-भाव' का अंत तक वैसा ही बना रहना नरक है, उसका 'मातृ-भाव' में परिवर्तित हो जाना नरक से तर जाना है।

योगियन-जातियों के छी के प्रति संबोधन इस भाव को और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। पीयर्सन को छी को संबोधन करते समय उसे मिसेज पीयर्सन कहेंगे। मिसेज पीयर्सन का अर्थ है—'पीयर्सन छी छी'। मिसेज पीयर्सन कहते हुए उन्होंने 'छी' में 'छो-भाव' को ही प्रथानना दी है। उस भाव का पीयर्सन के साथ ही संत्रव है, यह बात स्वीकार करते हुए भी उसमें 'मातृ-भाव' कल्पित करने का विचार उनके दिमागों में आ तक नहीं सकता। है वह छी ही—हाँ, 'वह पीयर्सन की छी है'—इसे बे स्वीकार करते हैं। भारतीय आर्य-परिवारों में ऐसे संबोधन नहीं सुन पड़ते थे। 'मिसेज पीयर्सन को बुला लाओ' का यही अर्थ है कि 'पीयर्सन छी छी को बुला लाओ'। आर्य-परिवारों में कहते थे और अब भी कहते हैं—'मुझी की मा को बुला लाओ'। पीयर्सन के चाहे दस संतान भी क्यों न हों, उसकी छी उसकी छी ही है; लालाजी के तो एक ही संतान है, परंतु उनकी छी 'मुझी की मा' है। 'छी की स्थिति' का कितना उच्च आदर्श है? यहाँ बालिका को 'अपनी छड़की' समझा जाता था, समवयस्फ कन्या को 'अपनी बहन' और

अपने से बड़ी को 'अपनी माता' समझा जाता था। यहाँ के संबोधन थे—'बेटी', 'बहनजी', 'माताजी'।

जिस प्रकार प्रचलित संबोधन खी की स्थिति को बहुत कुछ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के प्रचलित नाम भी उसकी स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। बहुत-सी जातियों में स्त्रियों के नाम 'तोता', 'मैना' आदि जानदार तथा 'गंगा', 'जमुना', 'सांकरी' आदि बेजानदार चीजों के पाए जाते हैं। योरपियन जातियों स्त्रियों के लिये फ़लों और तितलियों के नाम पसंद करती हैं—उनकी खी के प्रति यहाँ भावना है। आर्य नाम इस प्रकार के नहीं होते थे। खी के नाम के साथ 'देवी' सम्बोधन किया जाता था। स्त्री में दिव्य भाव की कल्पना, शक्ति की उपासना आर्यों को छोड़ अन्य किसी में नहीं पाई जाती।

सैमेटिक, योरपियन तथा आर्य—इन तीन जातियों में 'स्त्री-की स्थिति' पर विचार प्रकट करते हुए हमने उन जातियों में फैले हुए मुख्यतया प्रचलित भावों को ही समुख रखा है। मुसलमानों में कई लोग पाद्धत्य विचारों के हो सकते हैं, पाद्धत्यों में भी अनेक भारतीय आर्य विचारों के पाण जा सकते हैं। स्त्री-जाति की ये तीन—निष्ठा, मव्यम तथा उत्तम—स्थितियाँ हैं, उसे इन तीन दृष्टियों से देखा गया है।

वर्तमान भारत अपने पुरातन आदर्श से बहुत नीचे निरचुका है। पुस्तकों में बहुत युवा लिङ्गा धरा है—किया में सब युवा छुपा हो चुका है। मुसलमानों के भारत पर आक-

मण डुए। हमारे कुछ भाइयों ने स्त्री की स्थिति वही बना दी, जो मुसल्मान लोग समझते थे। योरपियन जातियाँ यहाँ आईं। हम लोग स्त्री की स्थिति उन्हीं के आदर्श के अनुसार बनाने में जुट गए। इस समय भारत की अशिक्षित स्त्रियों की अवस्था माल-असत्राव की तरह की है—इनी-गिनी शिक्षित स्त्रियों की अवस्था पतली, दुबली, नाजुक, हवा के एक झक्कोरे में उड़ जानेवाली तितलियों की तरह की है। पढ़ी-लिखी होती हुई भारतीय आदर्श को उज्ज्वल करनेवाली वहन हजारों में ढूँढ़ने से एक भी मिल जाय, तो गनीमत है।

आभूषण

अनेक लियाँ मानो जेवरों के लिये जन्मती हैं। शौक इतना बढ़ गया है कि वर्द्धि लियाँ अपने घजन से भी भारी जेवर अपने को मल शरीर पर लाद लेती हैं। जो देवियाँ अपने एक साल के बच्चे के बोझ से दब्री जाती हैं, वहीं धड़ियों सोने-चाँदी को छल की तरह हल्का समझती हैं। हमारी वहनें, सोने-चाँदी की ईंटों थो, जिनकी शक्ल ईंटों की-सी नहीं होती, दुनिया को दिखला-दिखलाकर ढोने में अपनी इज्जत समझती हैं। कड़ियों का कहना है कि जेवर से शरीर की शोभा बढ़ती है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती। पर हमारी हजारों वहनें जिस उत्सुकता से जेवरों पर पागल हैं, जिस प्रकार वे जेवरों के लिये अपने पति तक की नाक में दम क्रिए रहती हैं, जिस-जिस तरह के टेहें-मेहें, बेडौल और बेट्टने जेवर पहनती हैं, इन सबको देखकर तो यही समझ पड़ता है कि अभी जेवरों को शरीर की शोभा के लिये पहनने-वाली बहनें बहुत थोड़ी हैं। जेवर पहननेवाली बहनों में से अधिक संख्या उनकी है, जो आभूषणों को इसलिये पहनती हैं क्योंकि वहुत दिनों से उनके पहनने का रिवाज चला आया है, क्योंकि ज्यादा जेवर पहननेवाली को सब डाह की नज़रों से देखती हैं, क्योंकि जेवर का इज्जत से कोई खास संबंध माना जाता है।

जेवर से शरीर की शोभा बढ़ती है, परंतु वह नहीं कहा जा सकता कि इसी दृष्टि से जेवर पहनना शुल्क हुआ। सच तो यह है कि इस बात को अब तक भी पूरी तौर से अनुभव नहीं किया गया। ज्यों-ज्यों मनुष्य में 'सौंदर्य-प्रेम' की भावना विकसित होती जा रही है, त्यों-त्यों आभूषणों को भी वास्तविक अर्थों में शरीर का आभूषण बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि आभूषणों का इतिहास अभी विकास-क्रम में से गुजरना शुरू हुआ है, क्योंकि इनके विषय में हम जो कुछ जानती हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनका प्रारंभ शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिये नहीं, अपिनु किसी और ही कारण से हुआ होगा। वीरे-धीरे समय आ गया है, जब कि आभूषणों का उद्देश्य मुख्यतः शृंगार ही समझा जाने लगा है, परंतु अभी वह समय भी आनेवाला है, जब इसी दृष्टि को सामने रखकर आभूषणों की संख्या, आकृति, रंग, रूप तथा परिमाण में भी परिवर्तन कर दिया जायगा।

जेवरों का पहनना शुल्क क्यों हुआ, इस विषय में भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ मिलती हैं। कई लोग तो सौंदर्य-प्रेम को ही आभूषणों की उत्पत्ति का कारण समझते हैं। परंतु जैसा लिखा जा चुका है 'आभूषण'-शब्द का अर्थ तो खूब-सूरती है, परंतु उनके पहनने और उनकी बनावट में खूब-सूरती लाने की इतनी गुंजाइश है कि उसे देखते हुए यह समझ में ही नहीं आता कि ऐसी बेढ़ंगी चीजों से किसके

शरीर की शोभा बढ़ती होगी ! यह देखते हुए कड़ियों का बद्धना है कि आभूषणों का पहनना किसी और ही कारण से शुरू हुआ होगा, परंतु सौंदर्य का उपासक मनुष्य उन्हें भी सुंदर बनाने की धुन में है ।

विकासवाद के पंडित हर्वर्ट स्पेंसर ने आभूषणों की उत्पत्ति पर लिखते हुए बहुत मनोरंजक विचार किया है । उनका कहना है कि पुरुष के आभूषणों की उत्पत्ति उसका जंगली हालत वा उसके शिकारीपन से हुई है । पहले पहल वह जंगल में रहता था और शिकार से अपना निर्वाण करता था । जिन पशुओं को वह मारता था, उनकी खाल पहन लेता था । उनके ढोन, पंजे, सांग गले में ढालकर टौंग लेता अथवा सिर में जड़ लेता था । इन वस्तुओं से वह दूसरों पर रोध जमाता था, क्योंकि इन्हें देख-कर ही सब उसकी वीरता के कायल हो जाते थे । पशुओं को मारकर उनके शरीर का कोई भाग वह अपने साथ निशानी के तौर पर रखता था, क्योंकि उससे उसकी वीरता का परिचय मिलता था । शोशोन-जाति में रीछ के पंजों और नाखूनों को यही धारण कर सकता है, जिसने उसे मारा हो, यह उसके गौरव पक्ष चिन्ह समझा जाना है । मानटन-जाति का मुखिया अपने गौरव को दिखाने के लिये भैंस का सांग अपने सिर पर लगाना है । जंगली लोग जिस पशु को मारते हैं, उसकी चमड़ी सिर पर लगा लेते हैं, जिससे आगे चलकर शिरस्त्राण का काम भी लिया जाने लगता है । शिर पर पशुओं के निशान धारण

करने की प्रथा ही विकसित होती छुट्टे पहले शिरस्त्राण और फिर मुकुट का रूप धारण कर गई है, इसलिये प्रायः मुकुटों का रूप या तो पशुओं के सिर के समान होता है, या उस पर किसी पशु का चित्र रहता है। जिस पुरुष ने जिस पशु को मारा हो, उसके चिह्न को वह सदा अपने पास रखता है। युद्धों में उस चिह्न को दिखा सकने के लिये उसे झँडे पर लगा दिया जाता है। धीरे-धीरे जो व्यक्ति किसी समाज का मुखिया हो जाता है, उसके पशु का चिह्न भी उसी समाज का मुख्य चिह्न हो जाता है, और उसी से समयांतर में जातीय झँडे की कल्पना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि झँडा एक चिह्न-मात्र है। ऊछे लोग चीते की खाल को पहनने और उसी पर बैठने में अपना गौरव समझते हैं। इसी भाव का विकास होते-होते अब राजसिंहासनों के दोनों तरफ शेरों के तथा किन्हीं अन्य हिंसक पशुओं के चिह्न पाए जाते हैं। विकासवादी अपने विचारों की शृंखला में यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वे कपड़ों का पहनना भी मनुष्य के शिकारीपन को निशानी समझते हैं। आखिर, कपड़े भी तो आभूषण ही हैं, और आभूषण उसकी शिकारी हालत की सफल-विजयों के चिह्न हैं। जंगली लोग जिस जानवर को मारते थे, उसकी चमड़ी से शरीर को ढाँप लिया करते थे। यही कारण है कि अब भी सभ्य समाज में भिन्न-भिन्न जानवरों की खाल के कोट, कंबल आदि पहनने में विशेष गौरव अनुभव किया जाता है, और जानवरों की चमड़ी के रंग के

आभृपण

कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। जिस समय तक रुद्ध तथा धातु का प्रयोग होना शुरू नहीं हुआ था, तब तक तो जिन जानवरों को मारा जाता था, उन्हीं की खाल, उन्हीं के दौत, पंजे, सींग आदि धारण किए जाते थे। परंतु ज्यो-ज्यो मनुष्य ने रुद्ध और धातु का उपयोग करना सीखा, त्योंत्यों उसकी विजय की निशानियों ने बछ, मुकुट, पताका, जारीय झंडा और सिंदूरासन का रूप धारण कर लिया।

मनुष्य जहाँ शिकार करता था, वहाँ साथ-ही-साथ समय-समय पर अपने दुश्मनों से लड़ायाँ भी लड़ता था। शिकार करने पर मरे हुए पशु का दौत, सींग वा पंजा उसे मिल जाता था, परंतु अपने-जैसे लोगों के साथ युद्ध में उसे शत्रु के घर भाग जाने पर उसके अख-शाल मिल जाते थे। शत्रु के पराजित होने पर उससे छोड़ी हुई किसी भी वस्तु को विजयी समाज वडे गौरव से अपने पास रखता था, और पराजितों के मुखिया के अख-शाल को विजितों का मुखिया वडी शान से धारण किया करता था। चिमिमेक-जानि के लोग पराजित शत्रुओं के सिर धी चमड़ी इस प्रकार उकेल लेते थे कि वह उनके सिर पर टीक बैठ जाती थी। जब तक वह सह न जाती थी, तब नक ने उसे नहीं उतारते थे। पुरुषों में तलवार आदि शरणों का धारण करना इसी प्रकार चला होगा। वर्ड जातियों में तलवार तथा भाला केवल मुखिया ही धारण कर सकता है। आजवर्ड राजा लेग राजदंड धारण करते हैं, यह भाले का ही देश में

है। पहले कहा जा चुका है कि पताका की प्रथा हिंसक पशुओं के संहार से चली, परंतु कङ्गों का कथन है कि पताका माले का ही संक्षिप्त रूप है। पराजित मुखिया का भाला जब विजित मुखिया के हाथ में आ जाता होगा, तब वह सदा उसे अपने पास रखता होगा। वही विजय-चिह्न पताका के रूप में अब तक चला आता है। अब भी देखा जाता है कि पैरुवियन-जाति के लोग अपने मालों को रंग-विरंगे पंखों से सजाते हैं, और युद्ध के समय एक दूसरे को पहचानने का उन्हीं से काम चलता है। मनुष्य के बल, आभूषण, अलंकार, सजावट के सामान—सब उसकी जंगली, शिकारी हालत को सूचित करते हैं। प्रारंभ से अंत तक ये आभूषण उसके पशुओं तथा शत्रुओं के साथ युद्धों में ग्रास विजयों के ही चिह्न हैं। इस चिह्नों को रुई तथा धातु के इस युग में वस्त्रों, आभूषणों तथा अलंकारों का रूप दे दिया गया है।

जहाँ पुरुषों के आभूषणों में हम उसकी विजय के चिह्न पाते हैं, वहाँ खियों के आभूषणों में पुरुष के द्वारा छींकी पराजय के चिह्न स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। पुरुष ने पशुओं को मारा, शत्रुओं से दंगल लड़े—उन विजयों के चिह्न उसके आभूषण हैं। पुरुष ने छींकी को क्लावू कियां, उसे क्लैद रखा—और उसकी पराजय के चिह्न सदा के लिये उसके साथ वाँध दिए; वही दासता के चिह्न छींकी के आज आभूषण समझे जाते हैं, और खियों दासता के इन चिह्नों को वड़ी खुजी से धारण करती हैं।

महाशय एम्० लेनन अपनी पुस्तक 'प्रिमिटिव मैरेज' में लिखते हैं कि जंगली-समाज में घर बैठकर तो कोई किसी को पालता न था, प्रत्येक को अपने परिश्रम पर अवलंबित रहना होता था, और क्योंकि खियाँ निर्वाल होने के कारण परिश्रम नहीं कर सकती थीं, इसलिये उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। अब भी खियों के पालन-पोषण से बचने के लिये अनेक माता-पिता पत्थर का हृदय कर लड़कियों को पैदा होते ही यमद्वार पहुँचा देते हैं। इस प्रकार जब जंगलियों के गिरोहों में स्त्रियों की संख्या कम होने लगी, तो वे अपनी नजदीकी रितेदारी की लड़कियों से भी शादी करने लगे, और मौका पाकर दूसरे गिरोहों से स्त्रियों को डाका मारकर उठा लाने लगे। स्पेंसर महोदय का कहना है कि सफल-युद्ध का अवश्यंभावी परिणाम खियों की छट हुआ करता था। उन लोगों में खियों की स्थिति उच्च न थी, इसलिये र्ता को जंगम-संपत्ति समझा जाता था। जिसका दौंव चलता, उसे उड़ा लेना था। इस प्रकार छट-खसोट से पकड़ी हुई खियों को कानू में रखने के लिये उन्हें बांधकर रखा जाता था, और नभी से खियों के साथ दासता के कुटिल भावों का प्रारंभ हुआ। तब से लेकर तियों को इनने घुटे हुए बायु-मंडल में रखकर गया कि पांछे चल-कर दासना ही उनके लिये स्वाभाविक हो गए, और वे उसे सततंत्रता से भी बढ़कर चारने लगे ! खियों की दासना का भाव यहाँ नक बढ़ा कि कई जातियों में निशाद का अर्थ र्ती को उत्तरदस्ती पकड़कर अपनी दासी बना लेना हो गया।

जब कोई लड़की विवाह के लिये उत्सुक भी होता, उसके लिये भी कम-से-कम युद्ध का नाटक करना ही आवश्यक समझा नया। ‘स्त्री युद्ध में जीती हुई संपत्ति है’—इसी भाव से प्रेरित होकर विवाह-विषयक बहुत-से लड़का-जनक घृणित रीति-रिवाज अब भी चले हुए हैं। वर्क हार्ट महोदय अरव की सिनाई स्त्रियों के विषय में लिखते हैं कि “वे अपने प्रेमी के लिये कितनी ही उत्सुक क्यों न हों, उन्हें उनके साथ लड़ना ही होता है, वे उसे पत्थर मारकर दूर करने की कोशिश करती हैं।” पिंडाहिट महोदय मूर्जों स्त्रियों के विषय में कहते हैं कि “सुनाई हो जाने के बाद वर वधु के वर में आकर तीन दिन तक उसे अपनी ओर खांचने की कोशिश करता था, परंतु वह उसे छाठी और मुक्रे मारकर दूर मगाती थी, और चौथे दिन उसकी रोटी पकाकर उसके साथ शादी कर लेती थी। मापुचास लोगों में शादी के समय लड़की के रिस्ते की लियाँ ढंडे और पत्थर लेकर उसकी रक्षा करती हैं, और लड़की चाहे कितनी ही इच्छुक क्यों न हो, उसे अनिच्छा ही दिखानी होती है।” पहले स्त्रियों को छढ़ा जाता था, और जब छढ़ने की जरूरत न रही, तब भी ऐसे रीति-रिवाज बाकी रह गए, जिनका अभिप्राय यही रहा कि वह युद्ध में जीती हुई चीज़ है।

दासता का यह भाव सीमा तक पहुँच गया, जब कि मालिक के मरने पर उसकी दासियों तथा स्त्रियों को मारा जाने लगा। वीरापाल के इंडियनों में जब कोई बड़ा आदमी मरने लगता

या, तब उसकी दासियों को पहले ही मार देते थे, ताकि वे उस लोक में अपने स्वामी के लिये स्थान तैयार करें। प्राचीन काल में दासता का बोझ स्त्री-जाति पर ही था, और इस दासता के बातावरण में रहते-रहते उसकी यह अवस्था हो गई थी कि वह इसे अपने लिये स्वामाधिक समझने लगी थी। यन्का-जाति का एक मुखिया जब मरने लगा, तो उसकी स्त्रियों ने उससे पहले मरने के लिये बहुत कोशिश की। इस प्रकार मरनेवालों की संख्या इतनी थी कि अफसर को आज्ञा देकर दूसरी स्त्रियों या मरना रोकना पड़ा। जिन्हें नरने की आज्ञा मिल चुकी थी, उन्होंने जब कब्र बनने में बुल्डेर देर देखी, तो स्वयं बालों से लटक-लटकतर मर गई। चिक्का लोगों के विषय में साइमन मद्दोदय था कथन है कि उनमें भी मालिक के साथ जो स्त्रियाँ गङ्गा चाहती थीं उन्हें जिंदा ही गाढ़ दिया जाता था, और ये दबक्कर दग घुटने से मरती थीं। कोगों का राजा जब मरा, तब उसकी दर्जन के लगभग युवतीं स्त्रियों उसी के साथ गम में कूद पड़ी, ताकि अगले संसार में भी उसकी दासता थरें। ये स्त्रियाँ अपने मालिक की सेवा के लिये इनी उत्तुक थीं कि कोन पहले मरे, इसी बात की कथामकरा गें उनमें से कठियों ने एक दूसरे को मार डाला। अब निस्तंदृत स्त्रियों में से दासता का भाग निकलना जा रहा है, परंतु अब भी पुराने भाव अधिकांश में बने हुए हैं, और ग्री-जाति में दृष्टि स्तंत्रता के भाव निकालिन होने में शानाच्छियों

की देर है। दासता उनकी रग-रग में भरी हुई है। वे सहस्रों बर्षों से उसी में पाली-पोसी रही हैं। लीजाति का पिछला इतिहास उसकी पुरुष के प्रति जघन्य दासता का रुजाननक इतिहास है, जो कि मानव-जाति के मस्तिष्क पर कलंक के तौर से अब भी बना हुआ है।

स्त्रियों के आभूषण इसी दासता के चिह्न हैं। प्राचीन काल में दासों के कान, नाक छेदकर, उनमें छले डालकर, उन्हें रस्तियों से बाँध कर जहाँ ले जाना होता था, ले जाते थे। असिरियन शिल्प को देखने से पता चलता है कि युद्ध में पकड़े हुए क्रौदियों की नाक में छेद करके, उसमें छला डालकर कँदी को रसी से बाँध देते थे। जब दासियों अथवा दासों को युद्ध में जीतकर लाया जाता था (जैसा पहले लिखा जा चुका है), उस समय दासता स्त्रियों तक ही सीमित थी, तब उनके हाथों में, पैरों में, नले में, कमर में रसी बाँध दी जाती थी, नाक और कान में छेद कर दिए जाते थे, और इस भय से कि वे भाग न जावें, उन्हें बाँधकर रखा जाता था। आजकल भी कँदी के हाथों में हयकङ्गियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और कमर में रसी बाँध देने हैं, ताकि वह भाग न सके। आगे चलकर वे स्त्रियाँ स्वयं काबू में आ जाती थीं, वे अपना भाग्य दासता में काटना निश्चित समझती थीं, भागने की करामकरा करना छोड़ देती थीं। बालबच्चे हो जाने पर तो उनके भाग्य का अंतिम निर्णय ही हो जाता था, क्योंकि जहाँ रस्तियों आदि के बंधन उन्हें नहीं भागने देते थे, वहाँ

अब वच्चों से प्रेम का बंधन उन्हें जकड़ लेता था। ऐसी अवस्था में रस्सी आदि से बाँध रखने की आवश्यकता न रहती थी। परंतु फिर भी पुरुष का अविक्षास खी को स्वतंत्र विचरने न देता था। लियों में लोभ की अथवा संप्रह की प्रवृत्ति स्वभावतः होती थी। थिलिंकीट-जाति के लोग लोहे की चीजों और मनवों को इतना चाहते हैं कि अपने बच्चे देनेकर उन्हें मोल लेते हैं। इसी लोभ की प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाकर लियों के बंधन बहुमूल्य बनाए जाने लगे। हाथों में रस्सी बाँधने के स्थान पर लोहे का कड़ा डालकर उसे रस्सी से बाँधा जाने लगा। उससे जहाँ ख्री लोभ-वश बंधन के लिये तैयार हो गई, वहाँ पुरुष का काम भी सहज हो गया। धीरे-धीरे बाँध रखने की आवश्यकता जाती रही, परंतु क्योंकि अब बंधन बहुमूल्य बस्तु बन चुके थे, इसीलिये लियों ने उन्हें उत्तारना न चाहा। उन्हीं में परिष्कार होने लगा। परिष्कार होते-होते अब समय आ चुका है, जब दाथ की एथकड़ियों सोने के 'काँड़ों' का मूल धारण कर जुकी हैं, परोंकी बेड़ियों 'पटरियों' याहाती हैं, जो कि कभी-कभी नो इतनी भारी होनी है कि अब भी उनसे चलना कठिन हो जाता है। गले की रस्सी 'जंजीर' फ़हलाती है, जो कि बड़ा अच्छा जेवर समझा जाना है। इसी रस्सी के 'गुद्धयंद', 'टर' आदि दूसरे जेवर बन गए हैं, जो कि गत्ता-जानि की लैंद की निशानियाँ हैं ! बगर यही रस्सी को 'तंगड़ी' कहने लगे हैं, कानों के गल्ले 'घानियाँ' कहानी हैं, और नाज़ों के गल्ले 'योज़ा'

और 'नथ' का रूप धारण कर चुके हैं। इस समय ये जेवर बहुत सुंदर लगते हैं, और संभव है, इनमें और भी उन्नति हो, परंतु ये सब खी-जाति की प्रायमिक दासता के चिह्न हैं। इनमें से कई जेवर तो विकसित होते-होते जेवर कहलाने के लायक हो गए हैं, परंतु कई तो खियों के क्रैंड की निशानियाँ ही नहाँ, क्रैंड के कारण बने हुए हैं। उनके कारण वे हिल-जुल ही नहाँ सकताँ। डेरा याजीखाँ तथा उधर ही के पठानों की खियों के कानों में सहस्रों छेद रहते हैं, और हरएक छेद में एक-एक चाँदी का छल्ला होता है। उनका कान अक्सर उन छेदों के कारण पका रहता है, और सारा-का-सारा छलनी हो जाता है। राजस्थान की खियाँ सारे हाथ में हाथी दाँत की चूँड़ियों को इस तरह भर लेती हैं कि हाथ हिलाना मुश्किल हो जाता है। यही हालत उनके पैरों की रहती है। जिन खियों के लिये अपना बोझ उठाना ही मुश्किल होता है, वे भी पैरों को लादे रहती हैं। घर की बूढ़ियाँ कहती हैं कि वह के बुँधुर बहुत सुंदर बजते हैं, परंतु उन्हें क्या मालूम कि वह कितने बोझों से लदी हर्दी है! वह क्या है, वच्ची है, जो झम-झम पर ही रीझ जाती है। उसकी मनोवृत्ति भी इसी प्रकार की हो जाती है। वह सचमुच इसमें आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार के अन्य भी बहुत-से जेवर हैं, जो आज भी शरीर को अलंकृत करने के स्थान पर विकृत ही करते हैं, और जो जिस घृणित उद्देश्य से चले थे, उसी उद्देश्य की अवभी उद्घोषणा कर रहे हैं।

पहले लिखा जा चुका है कि पुरुषों के जेवर उनके हिस्सक पशुओं को मारने तथा युद्धों में विजय प्राप्त करने के नौरव-युक्त चिह्न हैं। लियों के जेवर उनकी दासता की निशानियाँ हैं। इन दासता के चिह्नों पर भी पुरुषों ने अपनी विजय के निशान डोड दिए हैं। जेवरों में भी जानवरों की—हाथी, शेर आदि की—शक्लें देखी जाती हैं। इन शक्लों के अतिरिक्त पुरुषों ने जिन पशुओं को मारा, उनके जिसम की निशानियाँ जहाँ अपने पास रखते, वहाँ लियों को भी दाँ। इसीलिये लियाँ हाथी के दाँन, शेर के पंजे तथा बाल आदि के आभूषण पहनने में अपना गीरव समझती हैं। पुरुषों के जेवर जो लियों के पास हैं, उन सबमें पुरुषों की विजय लिखी हुई है, और लियों के जेवरों में लियों की पराजय लिखी हुई है—दोनों के जेवरों पर दोनों का इतिहास लिखा हुआ है।

लियों का कहना है कि मुंदरना अथवा उपयोगिता की दृष्टि से वर तथा आभूषण पहने जाते हैं। मुंदरना के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है। यह कहना सदिग्द है कि उपयोगिता को दृष्टि में रखकर आभूषणों आदि का प्रयोग अनुहुता है। महाशय स्त्रीक लिखने हैं कि आङ्किका को जंगली लोग मुंदर-मुंदर बालों की खाल को धर्म के समय उत्तरवर बचा लेते थे, जौर उस समय नंगे रिते थे। उन्हें अपनी उनकी किम्बा न थी, जिनका न्याल की मुंदरना को नापन रखने की। शिल्पज्ञान के लोग नंगे रिते हैं, और मिलने-जुलने के।

समय राम-विंगे कमड़े पहन लेते हैं। दर्ढार्दा-जाति ने उच्च वरने के लोग बहुत ब्यादा कमड़े पहनते हैं। वर्तमान सम्यका के बुग में भी साल गर्भी के समय कसे कमड़े पहने हुए अनेक सम्यक्कि देखे जाते हैं, जो हवा के लिये कुत्ते के बटन खोल देना असम्यका समझते हैं। आक्षिका के फंडाह लोग अपने शरीर को कमड़ों से लपेटकर, बहुत मोटा बनाकर उपयोग-जनक बना लेते हैं। कासान के अरबी लोग पहले एक कुर्ता पहनते हैं, फिर दूसरा, तिर तीसरा और फिर चौथा, इस प्रकार जितने कुत्ते पहन सकते हैं, पहनते हैं। उनमें कमड़ों और आमूजणों को प्रतिष्ठा का चिह्न समझा जाता है, उपयोगिता का नहीं। इनका उपयोगिता से कोई इनकार नहीं करता, इनके सुंदर होने को भी उनीं त्वाकार करते हैं, परंतु इनके प्रारंभ होने के विषय में ही व्यापों का कथन है कि वे पहलेमहल नमुन्य के ऊंगली हाल्ज ने किस हुए शिकार आदि ने ग्राप्त हुई प्रतिष्ठा के चिह्न थे। पर्छि से इनका उपयोगिता तथा सुंदरता को देखकर इनमें उत्तमि होती नहीं। नमुन्य के बड़े तथा अलंकार उसकी विजय के चिह्न थे, वही के उसकी प्रहजय के।

हमने देख लिया कि वर्तमान काल ने प्रचलित पुरुष नया झाँ-जाति के बड़े और आमूजण विकासवाद की दृष्टि से पुरुष की 'विजय' तथा झाँ की 'पराजय' के चिह्न हैं। हमने दह सी देखा कि 'उपयोगिता' तथा 'सुंदरता' की दृष्टि से अब इन्हें

सुंदर तथा उपयोगी बनाया जा रहा है। हम भी इस उघोग के पक्ष में हैं, परंतु उसके साथ ही वस्त्रों तथा आभूषणों के इतिहास में स्त्री-जानि के प्रति एक संदेश है। यदि यह सच है कि स्त्रियों के आभूषण उनकी सदियों की दासना के चिह्न हैं, तो क्या ये चिह्न ऐसे ही बने रहेंगे? क्या उनके लिये हमारी बहनों का मोह बढ़ता ही चला जायगा? क्या जिस प्रकार वे उनके बोझ से अपने को लादती हैं, उसी प्रकार अपनी आगामी संतानि को भी लादती ही चली जायेगी? यदि जेवरों को रखना जग्जरी ही समझा जाय, तो क्या वे इन दासना के चिह्नों का त्याग कर उनमें उचित सुधार तथा परिवर्तन करने के लिये तैयार हैं? इन प्रदनों का स्त्री-समाज की तरफ से जैसा भी उत्तर दिया जायगा, उसी से पता चल जायगा कि स्त्रियों ने आभूषणों के इतिहास के संदेश को कट्टों तक समझा है।

पर्दा

स्त्री-जाति का वह इतिहास, जो हमसे बहुत अधिक नजदीक़ का है, खियों की दासता का इतिहास है। अत्यंत अधिक प्राचीन युग में क्या था, क्या न था, इस पर विद्वानों का सदा से मतभेद रहा है, और संभवतः रहेगा। कई कहते हैं, प्राचीन काल में खियों की स्थिति बहुत ऊँची थी, कई कहते हैं, बहुत नीची थी; परंतु इसमें किसी को संदेह नहीं कि अत्यंत प्राचीन काल को अगर छोड़ दिया जाय, और जिस काल में से निकलकर वर्तमान काल का उदय हो: रहा है, उसी तक अपनी दृष्टि को परिमित रखा जाय, तो मानना पड़ता है कि खियों की वर्तमान स्थिति दासता के वंधनों के शिथिल होने से ही उत्पन्न हो रही है। पहले खीं को स्वतंत्र नहीं समझा जाता था, उसे पुरुष की संपत्ति समझा जाता था, पुरुष उसका जो कुछ चाहता था, करता था। पुरुष अपने इच्छानुसार जितनी खियों से शादी करना चाहता था, कर सकता था। जब उसकी इच्छा होती, वह खीं को तलाक़ दे सकता था, उसे छोड़ सकता था। ये बातें अब तक हमारे समाज में पाई जाती हैं। अनेक जंगली जातियों में खियों को चुरा लेने की प्रथा मौजूद है। खियों को भगाने के दृष्टांत आज दिन भी सुनने में आते हैं। पति के मरने के बाद विधवा को नजदीकी रिक्तेदारों के सुपुर्द

कर दिया जाना था, कभी-कभी उसे पति के शव के साथ जला दिया जाता था। खी के साथ यह व्यवहार ऐसा ही था, जैसा गाय-भैंस के साथ होता है। गाय-भैंस की स्वतंत्र स्थिति नहीं, इसी प्रकार खी की भी स्वतंत्र स्थिति नहीं थी। अपनी संपत्ति को जिस प्रकार प्रयत्न से सुरक्षित रखा जाता है, लूका-छिपाकर रखा जाता है, उसी प्रकार खी को भी छिपाकर रखने का प्रयत्न होता था, उसे रब किसी की आँखों से बचाने की कोशिश होती थी। स्त्री की दासता का यही भाव पर्दे के गृह में हमारी समाज में अब तक बना हुआ है। जैसे लियों के जेवर खी की दासता की निशानियाँ रह गई हैं, वैसे ही अनेक लियों से शादी कर लेना, मर्दों से जब इच्छा हुई खी को तलाक दंदेना, लड़की का पिना की संपत्ति में कोई अधिकार न होना, पर्दे की प्रथा—ये रब खी की दासता की निशानियाँ रह गई हैं, जिनके विरुद्ध अब मानव-समाज में निषेद्ध उत्तर दो रहा है, जिन्हें याम-से-याम लियों तो अब एक क्षण के लिये भी वर्दान फरने को तैयार नहीं।

खी पो दासी समझने के भाव बहुत देर से चले आ रहे हैं। उसे पुरुष से बहुत नीचा समझा जाना रहा है। नीन के प्रसिद्ध भर्म-प्रचारक धर्मगृहास का यथन भा कि लियों पा उचित रापन मर है, उनका उससे घार जाने पा कोई फायदा नहीं। गर नहना था कि लियों से बहुत अधिक परिचय नहीं बरता चाहिए, क्योंकि इससे ने बेरहरी करने लगती है। योद्धा-सामित्र में भी लियों की स्थिति बहुत नीची दिखाई पड़ती है। गहराना बुद्ध ने अनेक

के बहुत कहने पर जब लियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया, तब साथ ही यह भी कह दिया कि लियों का संघ में आना ऐसा ही है, जैसे संघ में चोर आ गुस्से, अब संघ देर तक नहीं चलेगा। अगर पहले संघ हजार वर्षे तक स्थिर रहता, तो अब पाँच सौ वर्ष तक ही स्थिर रहेगा। स्मृति-ग्रंथों में भी लियों के संवंध में यही दासता के विचार पाए जाते हैं। पति चाहे, तो वाँस की छड़ी से अपनी स्त्री को मार सकता है, और स्मृति इस वात की इजाजत देती है। पार्सियों के धर्म-ग्रंथ में लिखा है कि ली को ग्रातःकाल उठते ही नौ बार अपने पति से पूछना चाहिए कि “मैं क्या करूँ ?” मुसलमानों के यहाँ चार लियों तक शादी करने का विवान है। पुरुष के मुकाबले में स्त्री की शहादत आधी मानी जाती है, और दो लियों की शहादत एक पुरुष की शहादत के बराबर समझी जाती है। यहूदी लोग बहु-विवाह की प्रथा से मुक्त नहीं हैं। उनकी धर्म-पुस्तकों में शत्रुओं की लियों को ढूट लाने का आदेश दिया गया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक ‘रिपब्लिक’ में लियों को पुरुषों में वाँट देने का काम राज्य के सुपुर्द किया है। ईसाइयत ने यहूदियों के लियों की स्थिति-संवंधी विचारों में पर्याप्त परिष्कार किया, बहु-विवाह की प्रथा को उसने उड़ा दिया, परंतु ईसाइयत भी ली को दासता की स्थिति से सर्वथा मुक्त न कर सकी। ईसाइयत के अनुसार पुरुष में तो आत्मा था, परंतु ली में आत्मा न था। ईसाइयत का कथन है कि पुरुष

धा अधिकार दास्तन करना और व्यां का वर्तव्य दासिन होना है। सेंट पाल का लियों के संबंध में यही विचार था। विगत महायुद्ध से पहले तक किन्तु व्यां को इसाई-वर्म में पादरी बनने का अधिकार न था। लियों को धृणा की दृष्टि से देखने में ईसा-इयत और शंकराचार्य की शिक्षाओं में समानता ही पाई जाती है। लियों के संबंध में धृणा को ये विचार सिद्ध बतते हैं कि लियों की स्थिति विस्तीर्ण समय इतनी नीची थी कि आजकल वो स्वतंत्रता के विचारों में बतेमान स्त्री ऐसे अनुभव करती हैं, जैसे किसी धुटे हुए वातावरण में से वह मुल्ली छवि में आ गई हो, जैसे जेल से छूटकर वह आजाद हो गई हो।

लियों को सदियों तक दासना की जंजीरों में क़सकर रखा गया है, पर्दे की प्रथा उसी दासना का एक मूलिंगान् अवशेष है। पर्दे का अर्थ यह है कि पुरुष स्त्री को अपनी चाँड़ समझकर उसे दूसरों की नज़रों से बचाना चाहता है, वह स्त्री पर विश्वास नहीं पर नहता। किन्तु व्यां के लिये इसके गहिन स्थिति क्या हो सकती है कि उसका पनि उस पर विश्वास न पर नहे, और उसे एक गुनिम उपाय से अपने अधीन रखने का प्रयत्न करे। स्त्री को इस प्रकार पर्दे में रखना उसे दासना की मूलिंगा में बोध रखने की चर्चा हीमा है, परंतु क्योंकि इनारा समाज अभी तक स्त्री के विषय में दासना के भावों में ही सोचता है, इसलिये इस अवसरा को उठन किए जा रहा है। जब भी इनारा समाज रक्षा के प्रति

दासता के भावों में सोचना बंद कर देगा, उसी समय पर्दे की प्रया दूर हो जायगी ; और यही प्रया नहीं, इसके साथ-साथ बहु-विवाह आदि अनेक कुप्रथाएं, जिनका स्त्री-जनत् शिकार हो रहा है, एक साथ छुप्त हो जायेगी।

कुछ समय से स्त्रियों अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। वे अब दासता की देवियों में बैठे रहना नहाँ सहन कर सकतीं। पादचात्य देशों में तो स्त्रियों के अधिकारों के लिये एक प्रवर्द्ध आंदोलन हुआ है, जिसे सक्रेजिस्ट मूवमेंट (Suffragist Movement) के नाम से कहा जाता है। यह आंदोलन सबसे पहले इंग्लैण्ड में १७९२ में नेरी वोल्स्टन क्रैक (Mary Wollstonecraft) ने अपनी पुस्तक 'Vindication of the Rights of Women' लिखकर प्रारंभ किया। इसके लगभग ५० साल बाद जेम्स ट्यूअर्ड मिल ने Subjection of Women-नामक पुस्तक लिखकर लियों के अधिकारों पर अपने विचार चोरदार भाषा में प्रकट किए, और इस आंदोलन को दर्शाने का सहारा दे दिया। इस सनय पश्चिम की बहनें बहुत अंश तक अपने अधिकारों को लड़ाई को सकलना तक ले गई हैं। उन्हें नागरिकता के अधिकार मिल गए हैं- और वे अपनी वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। पश्चिम की लियों ने दासता की चंडीरों को काट दिया है, और वे स्पतंत्र हो गई हैं। टर्नर् और अन्यानिस्तान-जैसे देशों में लियों ने दुर्गं उतार के कै हैं, और वे अपने अधिकारों की चर्चा

करने लगी हैं। पर्दा तो स्त्री की दासता का केवल एक उपलक्षण है। पर्दा हट जाय, और स्त्री को उसी प्रकार गुलामी के बायुमंडल में रखा जाय, जिसमें वह अब तक रहती आई है, तो पर्दे का हटना-न हटना बराबर है। स्त्री को पर्दे में रखने का अभिप्राय ही यह है कि उसके मनुष्यता के सब अधिकार छीन लिए गए हैं, और वह केवल गुलाम के रूप में मनुष्यसमाज का अंग बनी रह सकती है। इस समय पर्दे के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा है, उसे इसी दृष्टि से देखना चाहिए। यह समझना कि स्त्रियाँ केवल पर्दा हटाना चाहती हैं, और अगर उन्हें सिर्फ़ पर्दा हटाने का अधिकार दे दिया जाय, तो वे संतुष्ट हो जायेंगी, चाहे फिर भले ही उन्हें उसी गुलामी में रखा जाय, जिसमें वे अब तक रहती आई हैं, सारे आंदोलन की आत्मा को न समझना है। पर्दे के विरुद्ध आंदोलन उस दासता और गुलामी के विरुद्ध आंदोलन है, जिसमें अब तक हमारे समाज ने स्त्री को जन्मर्दस्ती बंद कर रखा है।

कई लोग पर्दे के प्रश्न को आसान समझते हैं। वे समझते हैं कि मुख पर से पर्दा हटा देना-मात्र पर्दे के प्रश्न को हल कर देने के लिये काफ़ी है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पर्दे का अभिप्राय यह है कि अब तक मानव-समाज में स्त्री की स्वतंत्र रूप से कोई स्थिति नहीं थी। वह पुरुष की गुलाम थी। अगर पर्दा हटेगा—जैसा कि अवस्थाएँ बतला रही हैं कि वह हटकर रहेगा—तो स्त्री की समाज में स्वतंत्र स्थिति भी बनेगी, वह

पुरुष की युलाम बनकर नहीं रहेगी। पर्दे का प्रश्न स्त्रियों की दृष्टि से इसीलिये इतना महत्व रखता है, क्योंकि यह केवल मुख पर से कपड़ा उतार देने का प्रश्न नहीं है, यह सदियों की युलामों को परे उतार फेकने का प्रश्न है।

हमारे समाज में स्त्रियों की कोई स्थिति नहीं है, तभी तो पुरुष जितनी स्त्रियों से शादी करना चाहता है, कर वैछाला है; तभी तो पुरुष मनमानी कर सकता है, और स्त्री को केवल पुरुष के मन की करनी होती है; तभी तो स्त्री को जिस पैमाने से मापा जाता है, पुरुष को उस पैमाने से नहीं मापा जाता। पर्दे के हटने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पुरुष को समाज में अपने स्वतंत्र अधिकार हैं, उसी प्रकार स्त्री को भी मानवता के अधिकार मिलने चाहिए, और उसे पुरुष की वासना-त्रुटि का साधन-मात्र नहीं समझना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों के लिये पर्दे का प्रश्न इतना विस्तृत प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के हल होने का मतलब है स्त्रियों के अधिकारों का स्वीकार किया जाना, इसलिये स्त्रियों इस प्रश्न को जितना गौरव देती हैं, शायद पुरुष इसे इतना गौरव नहीं दे सकते।

इसके अतिरिक्त पर्दे का प्रश्न समाज के दृष्टि-कोण से भी बड़ा आवश्यक प्रश्न है। पर्दे के कारण इस समय हमारा समाज एक अधूरा समाज है। पुरुष अलग हैं, स्त्रियों अलग हैं। उनमें आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इस समय हमारे समाज की अवस्था यह है कि अपनी धर्मपत्नी, वहन,

माता आदि के अतिरिक्त यदि अन्य किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष बातचीत करे, अथवा कोई स्त्री अपने पति, भाई, पिता आदि के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के प्रति उन स्वाभाविक सामाजिक प्रेम के उत्कृष्ट तथा पवित्रतम भावों का परिचय दें, जिन्हें प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री के हृदय में स्वयं भगवान् ने अपने हाथों से रखा है, तो उन पर 'बदमाश' होने का संदेह किया जाता है, हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि पुरुष तथा स्त्री, समाज के क्षेत्र में, ऐसे ही स्वतंत्र मिल सकते हैं, जैसे पुरुष पुरुषों के साथ तथा स्त्रियाँ स्त्रियों के साथ मिलती हैं। अभी तक पुरुषों का समाज सर्वथा अलग है, और स्त्रियों का सर्वथा अलग—दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यदि हो सकता है, तो केवल पति-पत्नी का, एक ही माता-पिता से उत्पन्न भाई-बहन का, माता-पुत्र और पिता-पुत्री का। इस प्रकार को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का संबंध अनुचित होगा, नाजायज्ञ होगा। हमारी यह समझ में ही नहीं आ सकता कि यदि किसी पुरुष-स्त्री का पति-पत्नी का संबंध नहीं है, एक ही रुधिर का भी संबंध नहीं है, फिर वह नाजायज्ञ संबंध के अतिरिक्त तीसरा संबंध हो ही कौन-सा सकता है। हमारे समाज में ये विचार घर कर गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन्हें वेद-वाक्यवत् सत्य मानता है, और इसीलिये जहाँ स्त्री-पुरुषों में मिलना-जुलना दिखाई देता है, उसके विरुद्ध हृदय में क्रांति-सी उत्पन्न हो जाती है।

फरक्क इतना ही है कि कई डैमानदारी से अपने भावों को कह डालते हैं, और कई उन्हें दबाए रखते हैं। युवक-दल तो नई रोशनी से प्रभावित होकर पुराने वंचनों को तोड़फोड़ डालना चाहता है, परंतु जिनके हाथ में समाज की बागडोर है, वे नौजवानों का कुछ चलने नहीं देते। वे विवाहित स्त्री-पुरुष के ही प्रातःकाल इकट्ठे सौर करने जाने को निर्लज्जता तथा उद्दंडता की परा काष्ठा समझते हैं, फिर वे ऐसे स्त्री-पुरुष के किसी प्रकार भी परस्पर संपर्क में आने को क्योंकर सह सकते हैं। उनकी सम्मति में इस प्रकार का संबंध अनौचित्य तथा उच्छृंखलता की चरम सीमा है।

इसमें संदेह नहीं कि हमारे समाज की वर्तमान अवस्था उपर्युक्त विचारों की ही पुष्टि करती है। यदि किसी युवक की सामयिक सहायता पाने के कारण कोई युवती उसके प्रति कोमल शब्दों में कृतज्ञता के भाव प्रकट करती है, तो वह मूर्ख उस युवती को अपने ऊपर लड़ू छाड़ा समझने लगता है। उसके हृदय में इससे उच्च किन्हीं मानवीय विचारों के लिये स्थान ही नहीं दिखाई देता। स्त्रियों को हमारे समाज में पुरुषों से इतनी दूर रखा जाता है कि वे साधारणतम मानवीय भावों को भी प्रकाशित नहीं कर सकतीं। किसी भारी मेले में रास्ता भटक नहीं बुढ़िया को ठीक स्थान पर पहुँचा देने से वह तो अवश्य उत्तरत से ज्यादा घन्यवाद की झड़ी लगा देती है, परंतु एक युवती उसी प्रकार की अवस्था में वैसी ही सहायता पाकर

कृतज्ञता में जबान तक नहीं हिला सकती। यह नहीं कि उसके हृदय में वे साधारण-से कृतज्ञता के भाव उदित ही नहीं होते, जो पशुओं तक में पाए जाते हैं; नहीं, इसलिये कि कहीं उसके शब्दों का अनर्थ न कर लिया जाय। पुरुषों से खियों को बहुत दूर रखा जाता है, इसलिये उनका खियों की नज़दीकी का उल्टा अर्थ कर लेना स्वाभाविक है, और इसलिये वृद्धों का खी-पुरुषों को सामाजिक जीवन में अलग-अलग रखने का उद्योग भी कुछ अंश तक उपयुक्त ही है। दैनिक पत्रों में रोज़ घटनाएँ छपती हैं। किसी लड़की ने किसी तरफ़ देख लिया। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, जिस तरफ़ भी नज़र उठी, चली गई। अचानक समीप से जाते हुए युवक पर नज़र पड़ गई। उसने समझा कि उसी पर यह खास कृपा की गई है। ज्यों किस्सा छिड़ा कि उसका अंत अदालत में हुआ। ऐसी अवस्थाओं के होते हुए क्योंकर वृद्ध लोग खी-पुरुषों को सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता देने के पक्ष में हो सकते हैं! मुँह पर पड़ा पर्दा उठ जाय, तो उठ जाय, वे इस नई वेपर्दगी के हक में नहीं हो सकते।

तो फिर क्या होगा? क्या पर्दे को दूर करने का अभिप्राय सुख पर से बुर्का उतार देना-मात्र होगा, अथवा इसका अभिप्राय कुछ और गहरा होगा? क्या खियों पर्दा हटाकर सामाजिक जीवन में पुरुषों से उतनी ही दूर खड़ी रहेंगी, जितनी दूर वे अब तक थीं, अथवा उन्हें भी समाज का उसी प्रकार अंग समझा जायगा, जिस प्रकार पुरुषों को समझा जाता है?

इसका उत्तर पाने के लिये इतिहास के कुछ पन्ने पढ़ने आवश्यक हैं।

मुसलमानों ने लियों को सामाजिक जांचन में कोई स्थान नहीं दिया। उनका समाज पुरुषों का समाज है। पुरुष ही उनकी समाज रूपी मस्तिष्क की आधार-दिला, पुरुष ही उसकी ईंट, पुरुष ही उसकी दीवार और पुरुष ही उसके गुंबज हैं। ऐसी रचना बनाकर मुसलमानों ने समाज का जो स्वरूप बना लिया है, वह किसी प्रकार सृष्टियाँ नहीं है। उनके यहाँ लियों मर्दों की तरह आजाद नहीं हैं, और इसीलिये उनके समाज की रचना में लियों का हाय नहीं है, जो कुछ है, वह नाममात्र का है। मुसलमानों के समाज का विकास हुआ, परंतु वह विकास शरीर के फूलने की तरह का था, बढ़ने की तरह का नहीं। मुसलमानों के समाज के विकास को मानव-जाति के शरीर में उत्तम हुए एक रोग से उपमा दी जा सकती है। आग और तब्बार से उत्तरकर वे बात ही नहीं करते थे। वे कठोरता, क्रूरता और निर्दयता के अवतार दिखाई देते थे। कोमलता, सहृदयता, ग्रेम आदि जिन गुणों से मनुष्य की वज्र-प्रकृति में मृदुता तथा देवत्व का संचार होता है, उनसे मुस्लिम समाज सुर्वया बंचित रहा है। यदि कहाँ मुसलमानी संसार में लियों हवा खाने को भी निकली हैं, तब भी छिपटी हुई, ढक्की हुई, चारों तरफ की दुनिया से बिलकुल अलग, इस दुनिया में रहती हुई भी किसी दूसरी दुनिया में! जहाँ समाज के एक अंग को इस

प्रकार काटकर अलग फेंक दिया जाय, वहाँ पहले तौ किसी प्रकार की उन्नति होगी ही नहीं, और जो होगी भी, वह अधूरी—विलकुल आधी। सैमेटिक जातियों का संदेश गगन-व्यापी अग्नि-ज्वालाओं का संदेश है, तलवारों की खनखनाहट का संदेश है, गर्म खून की उबलती हुई नदियों का संदेश है, क्योंकि उनके सामाजिक जीवन में स्त्री का स्त्री-रूप से कोई स्थान नहीं है। उनके समाज का बनानेवाला पुरुष है, और उसने सब जगह अपनी कठोर प्रकृति का परिचय दिया है। सैमेटिक जातियों ने समाज के जिस भवन का निर्माण किया है, उसके नीचे 'आग-खून-तलवार' इनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक स्त्रियों को सामाजिक क्षेत्र में अपना उचित स्थान नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें पुरुषों की तरह समाज का जीता-जागता अंग न समझा जायगा, जब तक उन्हें किसी प्रकार के भी पर्दे के पीछे रक्खा जायगा, तब तक समाज, सैमेटिक जातियों के समाज की तरह, अर्धांग-रोग से पीड़ित रहेगा, उन्नतिशील नहीं हो सकेगा, मानव-जाति के दैवी गुणों से वंचित रहेगा।

सैमेटिक जातियों के विपरीत आर्य-जातियों ने स्त्री को स्त्री-रूप से पुरुष की तरह समाज का अंग मानने का प्रयत्न किया था, और इसीलिये उनमें सर्व-नाश-कारी कठोरता तथा नीरसता नहीं पाई जाती। इस समय हम लोग अनेक सैमेटिक

संस्कारों के कारण प्राचीन वैदिक विचारों से विमुख हो चुके हैं, परंतु किसी समय इसी भारत में गार्गी-सी विदुपी देवियाँ समाजों में अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाया करती थीं। त्वयंवरों की प्रथा इसी पर्दे पर छट्ठू होनेवाले देश में प्रचलित थी। उस समय के भारत का संदेश शांति का, आशा का, उत्साह का मुदेश है। उस उपदेश को सदियों बाद आज भी मुनकर हृदय से 'धन्य'-'धन्य' निकलने लगा है। भारत के प्राचीन समाज की तचना में लियों का उतना ही हिस्सा था, जितना पुरुषों का।

योरप की आर्य-जातियों में भी खी को पुरुषों के साथ एक ही स्थिति पर लाने का प्रयत्न किया गया। लूथर ने पर्दे के पीछे ढकी झाँ-जाति को पुरुषों के साथ एक ही मंच पर आगे ला खड़ा किया। इसमें संदेह नहीं कि आगे चलकर और पुरुषों के इस मिलने-जुलने से अनर्थ पैदा होने लगे, परंतु इसका कारण यही है कि वे लोग उस मानवीय उच्चना को अनुभव ही न कर सके, जहाँ तक लूथर उन्हें पहुँचाना चाहता था। वर्तमान योरप में लियाँ समाज का अंग समझी जाती हैं, और सम्मता को बढ़ाने में वे भी अपना हिस्सा ले रही हैं, परंतु अमीं वहाँ पर भी वे पूरा हिस्सा नहीं ले रही हैं। यदि योरप की सम्मता को विकसित करने में लियों का पूरा हिस्सा होता, तो गोरी जातियों का निर्वल जातियों को क्रूरता-पूर्ण अवहारों से सम्बुद्ध करने का भारी बोझ कभी

का हल्का हो चुका होता। फिर भी योरप जो कुछ थोड़ा-बहुत कर रहा है, उसका उत्तेजन स्थियों द्वारा ही मिल रहा है। शक्ति के मद में अंधा हुआ वह अनेक नीचता के कार्य भी कर जाता है, परंतु ऐसे काम इसीलिये हो जाते हैं, क्योंकि स्थियों की योरप में भी वह स्थिति नहीं है, जो होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ-साथ हमें यह भी मानना पड़ता है कि योरप में स्त्री-पुरुषों की अत्यधिक स्वतंत्रता से इस प्रकार के अनेक अनर्थ भी हो जाते हैं, जिन्हें रोकना कठिन हो जाना है। मनुष्य की इस गिरावट को देखकर सैमेटिक-जाति के लोग समझने लगते हैं कि समाज से स्त्री को सर्वथा निर्वासित कर देने का उनका विचार विल्कुल ठीक है।

ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते हुए हम दो परस्पर विरुद्ध विचारों पर पहुँचते हैं। हम यह भी समझते हैं कि स्त्रियों के बिना समाज अधूरा रह जाता है, उसकी उन्नति इकत्तरफ़ा रहती है, उसका विकास पूरा नहीं होने पाता; इसके साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि स्त्रियों को समाज का अंग बना देने से समाज की दोनों मशीनों का पुर्जा कहाँ-न-कहाँ से ढीला हो जाता है। इस द्विविधा में क्या किया जाय?

स्त्री-पुरुषों के खुला मिलने से कहाँ-कहाँ खराबी पैदा हो जाती है, इतना कह देने-मात्र से कुछ सिद्ध नहीं होता। खराबी तो वहाँ भी पैदा हो जाती है, जहाँ दोनों को रुद्ध में लपेटकर अलग-अलग

रखा जाता है। प्रदन यह है कि इन दोनों अवस्थाओं में अधिक हानिकर अवस्था कौन-सी है? अनुभव यही बतलाता है कि जहाँ खियों पुरुषों को अजीब चीज़ नहीं समझतीं, और न पुरुष खियों को आसमान में उड़नेवाली बुलबुल समझते हैं, वहाँ का आचार दूसरे लोगों से कहाँ बढ़कर होता है। मद्रास तथा महाराष्ट्र में खियों पर्दा नहीं करतां। सिर तक नंगा रखती हैं। लड़कों के साथ स्कूल-कॉलेज में पढ़ती हैं। उनमें कोई खराबी नहीं दिखाई देती। वे समाज में उसी प्रकार हिस्सा लेती हैं, जैसे पुरुष। वहाँ की खियों में आत्म-बल है। वे बाजार से निकलती हुई दुनिया-भर से बचती-बचती नहीं निकलतीं। दूसरी गली के घर में जाते समय उनकी हिफाजत के लिये दो सिपाही तैनात नहीं करने पड़ते। वे ऐसी निर्भय होकर घूमती-फिरती हैं, साँस लेती हैं, जैसे पुरुष। आफ्रिका में हव्वी लोग नंगे फिरते हैं। इस अवस्था में भी खी-पुरुष अपने दैनिक कार्य करते हैं। उन लोगों को देखकर संदेह हो जाता है कि क्या नंगेपन तथा दुराचार में कोई संवंध है भी या नहीं। यदि होता, तो क्या आफ्रिका के नंग-धड़ंग हव्वी कोट-पतलून पहननेवालों के साथ सदाचार की तुलना में रखें जा सकते थे? परंतु फिर भी सम्यता की डांग हाँकनेवालों को आफ्रिका के जंगली लोगों की बातें सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लेना पड़ता है। हव्वी लोग नंगे रहते हुए भी पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते हैं। यदि समाज

में श्री-पुरुषों के परस्पर मिलने-जुलने का परिणाम अनुचित ही थो, तो सबसे बड़े बदमाश हृदया लोग होने चाहिए; परंतु हैं टीक इससे उलझा ! योग्य के लोगों में आचार के नियम जरा शिथिल प्रतीत होते हैं, इसका कारण श्री-पुरुषों का स्वतंत्र रूप से मिलना नहीं, वल्कि वहाँ का प्रकृतिवाद है। जीवन के विषय में उनकी दृष्टि ही ऐसे ढीले उम्मूलों से बनी है कि वे आचार-संवंधी वातां को वह महत्व नहीं देते, जो हम देते हैं। यह दृष्टि-कोण बदल जाय, तो श्री-पुरुषों में मिलना-जुलना होते हुए भी हमें उनके आचार में कोई गिरावट न दिखाई दे।

इस समय समाज में एक नवीन भाव के जाग्रत्त करने की आवश्यकता है। स्त्रियों को हम जिस प्रकार समाज से निर्वासित किए हुए हैं, पर्दे के पीछे ढके हुए हैं, उससे हमारा समाज पुरुषों का ही समाज कहला सकता है, अधूरा ही रह सकता है, उसमें पूर्णता नहीं आ सकती। इस अवस्था को दूर किया जाना जगहरी है। कपड़े का पर्दा हटा देने-मात्र से पर्दा नहीं हटेगा, पर्दे को हटाने के लिये समाज में लियों की स्थिति को ही मूल से बदलना होगा। हमें नवयुवकों तथा नवयुवतियों के श्री-पुरुष-संवंधी विचारों को सर्वथा परिवर्तित कर देना होगा। दोनों अपने को गौरव के साथ समाज का समान रूप से अंग समझने लगें, और परस्पर इस प्रकार व्यवहार करने लगें, जिस प्रकार पुरुष पुरुषों के

साथ और क्रियों क्रियों के साथ करती हैं, तब जाकर समाज का समन्वयकास होना प्रारंभ होगा। इसमें संदेह नहीं कि हमारा समाज इतना गिरा हुआ है कि ऐसे विचारों को नंदे नाम देकर उन पर गालियों की बौछार बतना प्रारंभ करेगा, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि मानव-प्रकृति के इस उच्च शिखर पर पहुँचकर ही मनुष्य-समाज का कुछ भला हो सकेगा। यह बात पत्थर की लड़ाई की तरह अमिट समझना चाहिए कि जब तक समाज से क्रियों को निर्वासित किया जायगा, जब तक पुरुषों की तरह उनके अक्षित्व को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जायगा, तब तक हमारा समाज अधूरा ही नहीं, प्रत्युत आचार-नियमों की दलदल में भी धैर्य रहेगा, और उसमें से निकलने का प्रत्येक झटका उसे दो अंगुल और गोतर ढकेल देगा। मैं तो उत्सुकता-पूर्ण नेत्रों से अपने समाज के उन दिनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जब इस समाज की दंकियाँ पुरुषों के साथ समानता का वेदी पर आकर मिलेंगी, और उनके परस्पर के संवंध कुवासनाओं की हुर्गश से अन्धाल होते हुए एक दूसरे की उन्नति में सहायक सिद्ध होने लगेंगी। जिस दिन यह इस्य दिखाई देगा, उस दिन किसी की को पढ़ें से मुँह ढाँयने की उत्तरता न रहेगी, क्योंकि तब संसार-भर की अपने से बड़ी आनु की क्रियों को सब लोग माला की दृष्टि से देखेंगे, और अपने करावर की क्रियों को बहन की दृष्टि से। ऐसी अवस्था में छड़के-छड़कियों के इकट्ठे पड़ने पर और

बियों के पर्दा हटा देने पर कुछने की जगहत न रहेगी, क्योंकि तब जिससे ढरकर हम पुरुषों तथा बियों को अलग-अलग रखना चाहते हैं, वह बात ही न रहेगी, पुरुष तथा बियाँ खुले तौर से समाज में हिस्सा लेंगे, परस्पर मिलेंगे, परंतु ऐसे ही, जैसे पुरुष पुरुषों से मिलते हैं, और बियाँ बियों से ।

पर्दे के प्रदन को हमें इन्हीं दो दृष्टियों से देखना चाहिए । एक दृष्टि बीं की दृष्टि है, जिसमें पर्दे का हटना बीं की सदियों की गुलामी का हटना है । स्त्रियाँ इसी दृष्टि से इसी प्रदन को महत्व देती हैं । पर्दे के हटने का मतलब उनके लिये यह है कि उनके मानवता के अधिकारों को स्वीकार कर लिया जाय, उन्हें भी पुरुषों के ही पैमाने से मापा जाय । यह समझ लिया जाय कि अगर पुरुष अपनी स्त्री को सनी-साधी देखना चाहता है, तो स्त्री भी चाहती है कि पुरुष सदाचारी रहे, अगर पुरुष बीं से कुछ आदर्शों के प्राप्तन की आशा रखता है, तो बीं भी पुरुष से उन आदर्शों के पालने में वैसी ही आशा रखती है । पर्दे के प्रदन को हल करने में दूसरी दृष्टि समाज की दृष्टि है । अगर समाज में पुरुष अलग रहेंगे, और बियाँ अलग रहेंगी, तो समाज का विकास अधूरा विकास होगा, और क्योंकि बियाँ पर्दे में ही बंद रहेंगी, इसलिये समाज का विकास केवल पुरुषों के दृष्टिकोण का ही विकास होगा । सृष्टि की रचना में जहाँ कठोरता की जरूरत है, वहाँ कोमलता की भी कम जरूरत नहीं है । यह काम तभी हो सकता है, जब समाज से बीं-

११२

स्त्रियों की स्थिति

को वैसे निर्वासित न किया जाय, जैसे इस समय उसे किया जाता है। पर्दे का हटना जहाँ खी की मुलामी को दूर करने के लिये जरूरी है, वहाँ समाज के सर्वांगीण विकास के लिये भी उनना ही जरूरी है।

स्त्री-शिक्षा

स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र सदियों से घर समझा जाता रहा है। घर से बाहर की दुनिया के साथ भी उनका क्या संबंध हो सकता है, इस पर मानव-समाज ने बहुत देर से विचार नहीं किया। विवाह करना, पति की आज्ञा पालना, संतानोत्पत्ति—यही उनके जीवन का ध्येय रहा है। इतने काम के लिये शिक्षा की क्या आवश्यकता है? अगर उन्हें थोड़ा-बहुत पढ़ना भी हो, तो उतना ही काफी है, जितना पति के जीवहलाव के लिये पर्याप्त हो। उन्हें चिट्ठी लिखना आना चाहिए, सीने-पिरोने और रसोई बनाने में उन्हें दक्ष होना चाहिए, इससे आगे स्त्री-शिक्षा निरर्थक हो जाती है। इसी आदर्श को सामने रखकर ग्रीक लोग स्त्रियों को साधारण-सी लिखने-पढ़ने तक की शिक्षा दे दिया करते थे, उससे अधिक नहीं। रोम में यथापि स्त्रियों की स्थिति ग्रीस की अपेक्षा ऊँची थी, तो भी उनका स्त्री-शिक्षा का आदर्श संकुचित ही था। योरप में १८वीं शताब्दी तक स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर की देख-भाल करना, बच्चों की परवरिश करना और चर्खा चलाना रहा। जब स्त्री ने इस क्षेत्र से बाहर क़दम ही नहीं रखा, तब उसकी शिक्षा का प्रश्न ही कैसे उठ सकता था? इसलिये बहुत देर तक

योरप में लड़कों की शिक्षा के उन्नत स्तर में आ जाने पर भी स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न उठा ही नहीं, उस पर किसी ने विचार तक करने का कष्ट नहीं किया। मारतवर्ष में बैदिक युग में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊँची थी, उस समय स्त्रियों की शिक्षा भी ऊँचे पाए तक पहुँच चुकी थी, परंतु मध्ययुग में यहाँ भी स्त्री को घर में ही बंद कर दिया गया, और उसकी शिक्षा के प्रश्न को खत्म कर दिया गया। योरप ने इस प्रश्न को बहुत बुल्ह हल कर लिया है, परंतु मारतवर्ष में वह प्रश्न अभी तक छापन बैसा ही बना हुआ है।

स्त्रियों को घर में ही बंद रखना, उन्हें बाहर न आने देना, उन्हें पुलामी में रखने की नियाना है। हमारे समाज से पुलामी की ग्रथा वैसे तो लुप्त हो गई है, पुलामों का खरीदना और बेचना हट गया है, परंतु उस पुलामी से एक गहरी पुलामी अब तक मौजूद है, जिसे हम अभी तक नहीं हटा पाए। ग्रत्येक विवाहित पुरुष के घर में उसकी स्त्री एक ऐसी पुलाम है, जो हर समय उसका कहना मानने को बैंसे ही तैयार है, नहीं, वैसे ही बाधित है, जैसे पुलाम हुआ करते थे। स्त्री की इच्छा हो, या न हो, उसे अपने पति की हरएक इच्छा के सामने सिर झुकाना होगा; वह निरा नर-पिण्डाच ही क्यों न हो, उसे देवता समझकर पूजना होगा, और जीवन-पर्यंत उसके पाँवों की धूलि अपने मस्तक पर लगानी होगी। क्या पुलामी की हद इससे भी परे जा सकती है? पुलामों

की तरह स्त्री को हमारे समाज में बेचा जाता है; कई युलाम रखने की तरह कई स्त्रियों से शादी की जाती है। लोग कहते हैं, युलामों की प्रथा दूर हो गई, परंतु हमारे समाज में स्त्री की जो स्थिति है, वह जब तक वैसी ही बनी रहेगी, तब तक कौन कह सकता है कि हमने युलामी की प्रथा को दूर कर दिया है। पुरुष-समाज स्त्री को अपना युलाम रखने के भाव से उसे घर में कैंद किए हुए हैं, उसके कार्य-क्षेत्र को इतना सीमित बनाए हुए है कि उसकी समझ में ही नहीं आता कि घर से बाहर स्त्री क्या कर सकती है ?

स्त्री को सदियों से युलामी की हालत में रखकर पुरुष ने उसकी जो दशा कर दी है, कहा जाता है कि स्त्री की यह स्थाभाविक दशा है। स्त्री का स्थभाव ही ऐसा है कि वह घर से बाहर अपना कार्य-क्षेत्र बनाना पसंद ही नहीं कर सकती। वह स्थभाव से किसी-न-किसी पुरुष का आश्रय ढूँढ़ती है, स्थभाव से किसी-न-किसी पुरुष का युलाम बनना चाहती है। अगर उसे इस बंधन से, इस युलामी से मुक्त कर दिया जाय, अगर उसे सोलह वर्ष की आयु के बाद अवश्य ही विवाह-बंधन में बाँधने के बजाय अपनी मर्जी से जैसा वह करना चाहे, आजादी से करने दिया जाय, तो वह फिर भी इस बंधन को अपने ऊपर ले लेगी, और इस युलामी से भागने के बजाय इसमें स्वयं आ फैसेगी। परंतु विवाह-बंधन में फैसना और युलामी को स्त्रीकार कर लेना दोनों बातें

एक नहीं हैं। विवाह-वंचन में तो पुरुष भी फँसता है, परंतु वह इसमें फँसकर युलाम नहीं बन जाता। लीं के विषय में यह समझा जाता है कि विवाह करने पर वह पुरुष पर इतनी आश्रिता हो जाय कि उसकी युलाम होकर ही रह सके, वैसे रह ही न सके। हमारे समाज में या तो लीं की शिक्षा होती ही नहीं, या होती है, तो इस डंग की कि वह पति का सहारा लेकर ही जीवन निर्वाह कर सकती है, उसके बिना उसके पास जीवन-निर्वाह का कोई उपाय ही नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपनी आजीविका का सावन केवल विवाह कर लेना समझती है, और विवाह कर लेने के बाद उसे अपनी प्रत्येक इच्छा पतिदेव की इच्छा-बेदी पर बलिदृप से चढ़ा देनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना फिर उसकी आजीविका का प्रज्ञ वैसे-नज़रैसा भयंकर रूप धारण कर लेता है। लीं का स्वभाव पुरुष की युलामी करना नहीं है, परंतु क्योंकि उसे संसार-क्षेत्र में हृतकार्यता-रूपक जीवन-निर्वाह करने की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती, इसलिये वावित होकर उसे युलामी में जीवन बिताने को ही अपना लड्डू बनाना पड़ता है। अगर लियाँ आजीविका के लिये पति पर इतनी आश्रिता न हों, जितनी आज वे बना दी गई हैं, तो विवाह-संवंध में लीं की युलामी के कारण जो गिरावट आ गई है, वह दूर हो जाय, और विवाह का वंचन स्वामी तथा सेविका का संवंध न होकर यथार्थ में पति-पत्नी का संवंध हो जाय। यह समझना भूल है कि लियाँ स्वभाव से युलाम बनना

चाहती हैं। उनके हृदय में प्रेम है, उच्च-से-उच्च शिक्षा पाकर भी वे विवाह जरूर करेंगी, परंतु ठीक ऐसे, जैसे पुरुष ऊँची-से-ऊँची शिक्षा पाकर भी विवाह अवश्य करते हैं। विवाह का आधार प्रेम है, निस्सदाय अवस्था नहीं। आजकल स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र के अत्यंत संकुचित हो जाने के कारण स्त्री के लिये विवाह का आधार उसकी निस्सदाय अवस्था हो गया है, प्रेम नहीं रहा। यही स्त्री की गुलामी का कारण बन रहा है। हिंदू-समाज में लाखों ऐसे घर हैं, जिनमें लियाँ दिन-रात पिटती हैं, परंतु उन्हें पति की गुलामी करनी ही पदती है; लाखों ऐसे घर हैं, जिनमें सती-साधी देवियाँ को शराबी और दुराचारी पति को देवता मानकर पूजना पड़ता है, और वे वेवसी के कारण गुलामी की वेड़ियों को नहीं तोड़ सकतीं। स्त्री-जाति के इस दुर्भाग्य और उसकी इस गुलामी का एकमात्र कारण यह है कि हमने स्त्री को आर्जाविका की दृष्टि से सर्वथा पुरुष के आश्रय में छोड़ दिया है, उसके सहारे के बिना वह समुद्र की लहरों में बह रहे तिनके के समान हो जाती है। यह कहना कि स्त्री अपनी इच्छा से इस गुलामी को स्वीकार करती है, स्त्री के दृष्टिकोण को न समझना है; और यह कहना कि स्त्री का स्वभाव ही पुरुष की गुलामी करना है—चांहे वह पुरुष कैसा ही क्यों न हो—स्त्री के स्वभाव के साथ अन्याय करना है।

‘स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर है, बाहर नहीं है; और घर में उसका स्वभाव पुरुष की गुलामी करना है’—ये विचार हमारे समाज

जब पकड़ चुके हैं, और इन्हीं दृष्टियों से हम लोग खी-शिक्षा के ग्रन्थ पर विचार करते हैं। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि जहाँ खी का स्वभाव घर में ही बंद रहकर पुरुष की मुलामी करने का है, वहाँ वह घर से बाहर के कार्य के लिये शारीरिक तथा मानसिक दृष्टियों से अयोग्य भी है।

शारीरिक दृष्टि से कहा जाता है कि पुरुष तथा खी के शरीर की बनावट में इतना भारी मेद है कि खी के लिये घर को ही उपने कार्य का क्षेत्र चुनना उचित जान पड़ता है। कुछ अंश तक यह बात ठीक है कि खी तथा पुरुष के शरीर की रचना में मेद है, परंतु यह मेद ऐसा नहीं है, जिससे खी को एक क्षेत्र से सर्वथा निर्वासित ही कर दिया जाय। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई खियों ने, जिन्हें मौका मिला, घर के बाहर के कर्तव्यों को बड़ी सफलता-पूर्वक निभाया। महारानी एलेज़ेवेथ तथा महारानी विक्टोरिया ने जिस सफलता से एक बड़े भारी राज्य का संचालन किया, उसमें उनकी पुरुषों से शारीरिक भिन्नता क्यों बाधक नहीं हुई? असल में उच्च राजवरानों में खियों को उस प्रकार वहिपूत करके नहीं रखा जाता, जिस ग्रकार दूसरे लोग खियों को एक तुच्छ जीव समझकर समाज से पृथक् रखते हैं। यही कारण है कि ऊँचे घरानों में पुरुषों तथा खियों की शक्तियों में अधिक मेद नहीं देखा जाता। इसी का परिणाम है कि राजघरानों में महारानी एलेज़ेवेथ तथा विक्टोरिया-जैसी राजनीतिज्ञ खियाँ भी हो जाती हैं। अगर ये

दोनो रानियों किसी साधारण घराने में जन्म लेतीं, तो वे अपनी उन शक्तियों को न दिखला सकतीं, जिन्हें वे रानी होते हुए दिखा सकीं। यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ किसी काम के लिये पुरुषों की शारीरिक शक्ति कम-से-कम हो जाती है, वहाँ से लियों वी अधिक-से-अधिक शक्ति का प्रारंभ होता है। कई काम ऐसे हैं, जिनमें पुरुषों की अपेक्षा कई लियाँ, अन्यास के बल पर, आगे निकल जाती हैं। यह कहना कि पुरुषों तथा लियों का कार्य-क्षेत्र सर्वथा अलग-अलग है, जिस काम को पुरुष कर सकते हैं, उसे लियाँ कर ही नहीं सकतीं, उनकी शारीरिक रचना ही इस प्रकार की नहीं होती कि वे उस कार्य को कर सकें, एक निराधार कल्पना है। लियों को 'अवला' कहा जाता है, परंतु कई लियाँ पुरुषों को पछाड़ सकती हैं। शारीर-रचना-शास्त्र (Anatomy) के आधार पर कई लोग इस युक्ति को यहाँ तक खींच ले जाते हैं कि वे खी तथा पुरुषों के मस्तिष्क की रचना में भी भेद बतलाते हैं। खी का मस्तिष्क छोटा होता है, पुरुष का बड़ा। उनका कथन है कि मस्तिष्क-संबंधी इस शारीरिक भेद के कारण भी खी तथा पुरुष की ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता में समानता नहीं है। पुरुष कठिन विषयों का अध्ययन कर सकता है, खी रोचक विषयों में ही दिल लगा सकती है, और उसी के आधार पर उनके कार्य-क्षेत्रों का अलग-अलग होना आवश्यक है। इस युक्ति का उत्तर देते हुए जेम्स स्ट्रूअर्ट मिल महोदय ने कहा है कि तब तो लंबे-चौड़े स्थूलकाय व्यक्ति

में दुखलेपतले आदमी की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक बुद्धि होनी चाहिए, हाथी को बुद्धि में मनुष्य से कहाँ आगे बढ़ा होना चाहिए। मिल महोदय का कहना है कि मस्तिष्कों को मापने और तोलनेवाले एक शरीर-शालज्ज ने उन्हें बतलाया कि अब तक सबसे अधिक भारी मस्तिष्क उसने एक स्त्री का ही पाया था। कर्वायर का मस्तिष्क सबसे अधिक भारी समझा गया था। परंतु मिल महोदय के मित्र ने एक स्त्री का मस्तिष्क कर्वायर के मस्तिष्क से भी अधिक भारी पाया। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क का भारी होना मात्र उसकी अपेक्षाकृत अधिक शक्ति का परिचायक नहीं हो सकता। भार (Quality) के अतिरिक्त गुण (Quality) भी किसी वस्तु की उत्कृष्टता का पता लगाने में आवश्यक अंग है। अगर सूखमता, सौंदर्य आदि गुणों की दृष्टि से स्त्री के मस्तिष्क को परखा जाय, तो उसका पुरुष के मस्तिष्क से बहुत ऊँचा स्थान है। कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि स्त्री तथा पुरुष के शरीर एवं मस्तिष्क के रचना-संरचना में दोनों के आधार पर उनके कार्यक्षेत्र को अलग-अलग कर देना—और स्त्री को चाँकेवर्तन की तथा पुरुष को विज्ञान की शिक्षा देना प्रारंभ कर देना—कानूनिक मेंदों पर आधित है।

स्त्री को घर में युलाम बनाए रखने के लिये जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष के शारीरिक मेद पर जोर दिया जाता है, उसी प्रकार दोनों के मानसिक विकास की भिन्नता को भी युक्ति के न्यूप से पेश किया जाता है। कहा जाता है कि स्त्री

मानसिक विकास में पुरुष से बहुत पीछे है। अब तक स्त्रियों में कोई वड़ी दर्शन-विज्ञ, कोई वड़ी इतिहासज्ञ, कोई वड़ी विज्ञान-प्रवीण नहीं हुई। परंतु स्त्रियों का पुरुषों से मानसिक विकास में पिछ़ा होना कुछ सिद्ध नहीं करता। सिद्ध तो यह करना चाहिए कि प्रयत्न फरने पर भी कोई स्त्री किसी पुरुष से मानसिक विकास के क्षेत्र में आगे नहीं निकल सकती। पुरुष के मानसिक विकास में जो यम-से-क्रम मात्रा पाई जाती है, वह स्त्री के मानसिक विकास को अधिक-से-अधिक मात्रा है। ऐसा सिद्ध होने से ही स्त्री को शिक्षा के उस क्षेत्र से निर्वासित किया जा सकता है, जिस पर अब तक पुरुष का एकाधिपत्य रहा है। मूर्ख-से-मूर्ख पुरुष के लिये जब शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र खुला हुआ है, तब उस क्षेत्र को स्त्री-जाति-मात्र के प्रति बंद कर देने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि किसी स्त्री का मानसिक विकास उस मूर्ख पुरुष से भी ऊँचा नहीं हो सकता, नहीं तो इसका क्या अभिप्राय है कि अयोग्य पुरुषों के लिये एक क्षेत्र खोल दिया जाय, और योग्य स्त्रियों के लिये उस क्षेत्र को बंद कर दिया जाय? अस्ल में मानसिक योग्यता की धारा इस प्रकार नहीं बहती कि पहले पुरुषों में वहे, और जब पुरुषों में वह अपना जोर ख़त्म कर चुके, तब धीमे तौर से स्त्रियों में वहने लगे। कई पुरुषों से स्त्रियाँ अधिक योग्य होती हैं, और वह स्त्रियों से पुरुष अधिक योग्य होते हैं। अब तक मानसिक योग्यता के

क्षेत्र में ऊँचे-से-ऊँचा स्थान अधिकतर पुरुषों ने ही प्राप्त किया है, इसका कारण लियों को मौका न मिलना है। योरप में भी, जहाँ स्त्री-शिक्षा इतने ऊँचे दर्जे पर पहुँच गई है, स्त्री-शिक्षा को प्रारंभ हुए कितना समय हुआ है? अठारहवीं शताब्दी तक तो वहाँ भी लियाँ चौके-न्कूलहे में ही लगी थीं। दो शताब्दियों की शिक्षा में अगर खी-जाति ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है, तो उनकी मानसिक योग्यता में तो कम-से-कम किसी को संदेह नहीं रह जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय तक मनुष्य ने इतनी अधिक मानसिक उन्नति कर ली है कि ऐसे समय में कोई नई वात निकाल देना लगभग असंभव-न्सा हो गया है। महादाय मौरिस का कथन था कि इस युग के सबसे अधिक मौलिक विचारक वे हैं, जो अपने पहले के सब विचारकों को खूब अच्छी तरह समझे हुए हैं, और उन्हीं के विचारों को एक नए ढंग से कह सकते हैं। पहले मानव-जाति के मानसिक विकास की इमारत पर पत्यर रख सकना आसान था—क्योंकि उस समय यह इमारत अभी प्रारंभ ही हुई थी। परंतु उस समय इस इमारत में किसी प्रकार का हिस्सा लेना खी-जाति के लिये मना था। आज यह इमारत इतनी ऊँची हो गई है कि इसमें एक जरा-सी भी ईंट लगाने के लिये बहुत ऊँचाई पर चढ़ना पड़ता है। अगर ऐसे समय में लियाँ पुरुषों से आगे नहीं निकल सकीं, पुरुषों का मुकाबिला हीं कर रही हैं, तो भी यह उनके लिये गौरव की वात है, और इससे उनमें

पुरुषों की अपेक्षा मानसिक योग्यता की व्यूनता किसी प्रकार नहीं सिद्ध होती।

अगर शारीरिक तथा मानसिक दृष्टियों से पुरुष तथा खी में ऐसा भेद नहीं है कि खी को केवल घर में कैंद कर दिया जाय, उसे आजीवन पुरुष पर निर्भर रहकर ही जीवन विताने लायक बना दिया जाय, उसे गुलामी के सिवा और किसी स्वतंत्र आजीविका के लिये अयोग्य बना दिया जाय, तब प्रश्न होता है कि क्या पुरुष तथा खी को समान ही शिक्षा दी जाय, उन दोनों की शिक्षा में कुछ भेद न रखा जाय?

इस समय यह समझा जाता है कि खी पैदा ही विवाह करने के लिये हुई है, यही उसके जीवन का उद्द्यता है, यही उसकी आजीविका का साधन है। इस विचार को आधार बनाकर खी-शिक्षा के प्रश्न पर विचार किया जाता है। जब विवाह करना ही खी के लिये आजीविका का साधन है, तब कई लोग तो खी-शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। कई कहते हैं कि इतनी शिक्षा अवश्य दे देनी चाहिए, जिससे वह गृहस्थी का कार्य भली भाँति चला सके, इससे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं। मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ कि खी के लिये घर में रहकर उसकी व्यवस्था करना, बाल-बच्चों की देख-रेख करना वहा अनुकूल तथा सुखप्रद कार्य है। पुरुष तथा खी के लिये तो यह श्रम-विभाग का कार्य होना चाहिए। पुरुष बाहर से कमाकर लाता है, खी उसका मितव्ययता से

उचित विनियोग करती है। परंतु श्रम-विभाग की दृष्टि से पुरुष तथा स्त्री दोनों वरावर हैं। पुरुष स्त्री का मालिक नहीं, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं। जिस प्रकार स्त्री पुरुष पर धन लाने के लिये आश्रित है, उसी प्रकार पुरुष स्त्री पर धन के विनियोग के लिये और गृहस्थी सँगमालने के लिये आश्रित है। स्त्री के लिये सबसे बड़ा सुख माता बनना है, और पुरुष के लिये पिता बनना। अगर श्रम-विभाग के नियम को मानकर, स्त्री की आजीविका के लिये पुरुष के प्रति गुलामी के भाव को मानकर नहीं, स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर को छुना जाय, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु किज़ने लोग हैं, जो श्रम-विभाग के कारण स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर को समझते हैं? अगर श्रम-विभाग के कारण ही स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर है, गुलामी के कारण नहीं, तो हम स्त्री को विस्तृत शिक्षा के क्षेत्र से क्यों बंचित रखते हैं? आखिर, यह तो ज़खरी नहीं कि प्रत्येक स्त्री ज़खर ही शादी करे। अगर वह शादी नहीं करना चाहती, और अपनी योग्यता से समाज को लाभ पहुँचा सकती है, तो क्यों न उसके मानसिक विकास के लिये वे सब क्षेत्र खुले हों, जो पुरुषों के लिये खुले हैं? इसके अतिरिक्त हमारा समाज जैसा है, उसे कौन नहीं जानता? अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो क्यों वह सब कुछ वर्दान्त करती हुई समाज की बलिन्देदी पर अपनी आत्मा की आहुति चढ़ा दे? क्यों न वह पहले से ही इतनी शिक्षा पाई हुई हो कि उसे आजीविका

के लिये ऐसे पति की युलामी ही न करनी पड़े। भारतवर्ष में कितनी विधवाएँ हैं, और कितनों का जीवन नष्ट नहीं हो रहा? अगर इन्हें शुरू से ही लड़कों की तरह स्वतंत्र आजीविका की शिक्षा दी गई होती, अगर इन्हें पुरुष पर आश्रित होना ही आजीविका का एकमात्र साधन न बताया गया होता, तो इनका जीवन नष्ट होने के बजाय बच जाता, और समाज के किसी काम आता। अगर इन सब बातोंको छोड़ भी दिया जाय, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पति इतना जरूर ही कमा लाए, जिससे कुनबे की परवरिश अच्छी तरह हो सके। कितने घराने हैं, जिनमें बच्चे पर्याप्त कर्माई के न होने के कारण तबाह हो जाते हैं। अगर खियों के लिये सब क्षेत्र खुले हों, तो वे आपत्ति के समय अपने पति का हाथ बटा सकती हैं, उसकी सहायता कर सकती हैं। मेरे कथन का यह अभिप्राय हर्गिज नहीं कि प्रत्येक स्त्री को आजीविका के किसी-न-किसी क्षेत्र में अवश्य पड़ जाना चाहिए। अगर किसी स्त्री ने जान-बूझकर विवाह के जीवन को चुना है, तो जब तक वह वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है, तब तक अपनी निस्सहाय अवस्था से वाधित होकर नहीं, परंतु श्रम-विभाग के नियम के आधार पर वह घर को अपना कार्य-क्षेत्र बनाए। ऐसा नहीं कि उस समय घर से बाहर की दुनिया को कार्य-क्षेत्र बनाने की उसमें योग्यता न हो; योग्यता हो, ठीक इसी तरह जैसे पुरुष में घर का काम-काज करने की योग्यता होती है। हाँ, उस योग्यता के होते हुए भी, श्रम-विभाग के नियम के कारण,

वह घर का ही काम करे। अगर ऐसी अवस्थाएँ आ जायें, जिनसे उसकी गृहस्थी टूट जाय—और हिंदू-समाज में तो ऐसी अवस्थाएँ हर समय बनी रहती हैं—तो वह ऐसी निस्सहाय नहीं हो जानी चाहिए कि अवस्थाओं का ही शिकार बन जाय। ली की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उन आपत्तियों के आ दूटने पर, जो हिंदू-ली के सिर पर हर समय मँड़राया करती हैं, उसका बाल भी बाँका न हो सके। इसी प्रकार अगर कोई ली विवाह न करना चाहे, तो उसमें भी स्वतंत्र आजीविका के निर्वाह की सामर्थ्य होनी चाहिए। पुरुष का ली पर किसी प्रकार निर्भर न होना और ली का पुरुष पर हरएक बात के लिये निर्भर होना, स्थृहणीय अवस्था नहीं है। मैं यह नहीं कह रही कि लियों घर को अपना कार्य-क्षेत्र न बनाएँ, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि जो लियों घर को छोड़कर अपनी शक्तियों के विकास का कोई दूसरा क्षेत्र बनाना चाहती हैं, उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिए। लियों तथा पुरुषों में भेद है, परंतु ऐसा कोई मौलिक भेद नहीं है, जिससे जिन कामों के लिये पुरुष योग्य हैं, उनके लिये लियों को अयोग्य समझा जाय, इस प्रकार के विचार का आवार केवल अब तक की लियों की युलामी है।

लियों को अब तक शिक्षा से इसीलिये बंचित रखा गया है, क्योंकि पुरुष-समाज लियों को युलामी में ही देखने का आदी है। इस युलामी की अवस्था को पक्की नींव पर क्रायम रखने के लिये ली तथा पुरुष के शारीरिक एवं मानसिक भेदों पर

आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता रहा है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस काम को पुरुप कर सकते हैं, उस काम को खियाँ भी उसी खूबी के साथ कर सकती हैं। खियों के लिये उन सब क्षेत्रों के बंद हो जाने का नतीजा यह हुआ है कि स्त्री की परवशता बढ़ गई है, और जिस अनुपात में स्त्री की परवशता बढ़ती गई है, उसी अनुपात में पुरुप की उच्छृंखलता बढ़ती गई है। आज पुरुपों को क्यों हिम्मत हो जाती है कि वे एक खी के रहते भी दूसरी से शादी कर लें, और दूसरी के रहते तीसरी से? क्योंकि वे समझते हैं कि स्त्री पूर्णत्वपूर्ण उन पर आश्रित हैं। वे उसके अधिकारों को जितना कुचलना चाहें, आजादी से, विना प्रतिक्रिया की संभावना के, कुचल सकते हैं। अगर स्त्री को भी पुरुप के बराबर शिक्षा हो, तो वह अपना रास्ता अलग पकड़ सकती है, और कानून को अपने हक्क में बरवा सकती है; अगर कानून उसके विरोध में हो, तो भी बहुत अंश तक अपनी रक्षा कर सकती है। आज अनेक देवियाँ विधवा होकर अपने धर्म को खो दैठती हैं। इसका कारण केवल यही है कि विधवा होने पर हमारे जघन्य समाज में स्त्री की आजीविका का जो केवल एक साधन—विवाह—था, वह भी उनके पास नहीं रहता, कुत्सित रूप से जीवन विताने के सिवा उसे कोई दूसरा उपाय ही नहीं सूझता। अगर हमारे समाज में जिस प्रकार लड़के का शिक्षित होना आवश्यक है, उसी प्रकार लड़की का भी शिक्षित होना।

आवस्थक समझा जाय, तो विघ्वाओं के नैतिक पतन का एक बड़ा भारी कारण दूर हो जाय। पुरुष का स्त्री के प्रति जितना भी क्रूरता-पूर्ण व्यवहार है, संवका कारण यही है कि पुरुष अपने दृदय में समझ रहा होता है कि अगर वह स्त्री पर से अपनी रक्षा का हाय उठा लेगा, तो स्त्री कहाँ की नहीं रहेगी। पुरुष भी इस बात को जानता है; स्त्री भी इस बात को जानती है। इसी मावना के कारण पुरुष का अत्याचार बढ़ता जाता है; स्त्री की कायरता बढ़ती जाती है। स्त्री को शिक्षा से बंचित रखने के कारण पुरुष तथा स्त्री दोनों का नैतिक पतन हो रहा है। आज वह समय आ गया है, जब स्त्री की निस्सहाय अवस्था तथा पुरुष का अत्याचारी रूप दोनों नग्न रूप में आकर 'स्त्री-शिक्षा' की तरफ हमारा ध्यान बरबस आकर्पित कर रहे हैं।

स्त्री-शिक्षा का प्रश्न स्त्रियों को कुछ थोड़ा-बहुत पढ़ा देने-मात्र से हल नहीं होगा। स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए, जिससे वे आजीविका के प्रदूष को स्वतंत्र रूप से हल कर सकें। जब तक वे आजीविका के प्रश्न को हल करने के लिये 'विवाह' को ही जीवन का लक्ष्य समझेंगी, तब तक वे पुरुयों की युलामी में बँधी रहेंगी, और तब तक उन पर वे सब अत्याचार होते रहेंगे, जिनका वे सदियों से आज तक शिकार बनती आई है। इस दृष्टि से स्त्रियों को उस सब शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, जो अब तक सिर्फ

पुरुषों की ही वर्पौती जायदाद समझी जाती रही है। पुरुष स्वतंत्रता से कमा सकता है, तभी तो वह स्त्री पर अपने मालिक होने की धौंस जमाता है। जब स्त्री भी उसी प्रकार कमा सकेगी, वह ज़ख्मी नहीं कि वह कमाए ही, उसकी मर्जी हो कमाए, उसकी मर्जी हो न कमाए—और जो स्त्रियों विवाह वरने के बाद अपनी अवस्थाओं से संतुष्ट होंगी, उन्हें कमाने की आवश्यकता ही न पड़ेगी—परंतु जब स्त्री में भी पुरुष की तरह कमाने की योग्यता उत्पन्न हो जायगी, तब स्त्री का बहुत-सा दुःख दूर हो जायगा। कम-से-कम पुरुष वीरुलामी के कारण जो उसके दुःख हैं, वे तो अवश्य दूर हो जायेंगे, क्योंकि उस समय उसे पुरुष पर आश्रित होकर ही नहीं रहना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि इस समय तो पुरुषों की शिक्षा भी आजीविका के प्रदन को नहीं हल कर रही, स्त्रियों भी अगर इस क्षेत्र में आ जायेंगी, तो पुरुष तथा खींदो भूखे मरने लगेंगे, परंतु प्रश्न यह नहीं है। अगर स्त्रियों के इस क्षेत्र में आने से पुरुष भूखे मरने लगें, तो क्या पुरुषों को हरा-भरा रखने का यही तरीका है कि स्त्रियों को सदा के लिये पुरुषों की गुलामी में ही रखा जाय? हमारी शिक्षा-प्रणाली दूषित है, वह आजीविका के प्रश्न को हल नहीं करती, इसलिये शिक्षा-प्रणाली को बदलना चाहिए। उसे ऐसे उस्तूलों पर बदलना चाहिए, जिससे आजीविका का प्रश्न हल हो सके। परंतु जिन उस्तूलों पर भी वह ढले, आजीविका के प्रश्न को हल करने-वाली शिक्षा-प्रणाली पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिये समान्

रूप से खुला होनी चाहिए। पुरुष ही उससे लाभ उठा सकें, स्त्रियाँ नहीं, ऐसा अन्याय उसमें नहीं होना चाहिए। अगर यह बात ठीक है कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा मानसिक शक्ति में कमज़ोर होती हैं, तब तो पुरुषों को ढरने की कोई वजह भी नहीं है। स्त्रियाँ खुद-वन्दुद प्रतियोगिता में पड़कर पुरुषों से पछड़ जायेंगी, और फिर मैदान पुरुषों के हाथ में ही आ जायगा। और, अगर यह बात ही गलत है, अगर स्त्रियाँ प्रतियोगिता के क्षेत्र में पड़कर पुरुषों को पीछे छोड़ देंगी, तब तो सदिय से हो रहा अन्याय दूर हो जायगा। क्या यह स्त्री के प्रति अन्याय नहीं है कि वह किसी क्षेत्र में पुरुष से बहुत अधिक योग्यता रखती हो, और उसे उस योग्यता के संपादन में सिर्फ़ स्त्री होने के कारण रोक दिया जाय? इसी प्रकार, क्या यह समाज के प्रति अन्याय नहीं है कि जो व्यक्ति उत्तम चिकित्सक बनकर, उत्तम शिक्षक बनकर, उत्तम कारीगर बनकर समाज की उन्नति कर सकता था, उसे हमने स्त्री होने के कारण अवसर ही नहीं दिया, और समाज को उसकी योग्यता के द्वारा लाभ उठाने से बंचित रखा? बी को इस प्रकार शिक्षा से बंचित रखना 'स्त्री' तथा 'समाज' दोनों के प्रति अन्याय करना है।

स्त्री-शिक्षा का असली प्रश्न यही है, जिसका ऊपर की पंक्तियों में बर्णन किया गया है। पुरुष-समाज स्त्री-शिक्षा पर अपनी दृष्टि से विचार करता है, परंतु इस प्रश्न पर गहराई से विचार

करने के लिये स्त्रियों की दृष्टि से ही विचार करने की आवश्यकता है। स्त्रियों इसी दृष्टि-कोण से इस विषय पर विचार कर रही हैं, और भारतीय समाज के भाग्य-विधाताओं को इसी दृष्टि-कोण को समझने की आवश्यकता है।

समाज की रचना में स्त्रियों का हाय

हमारे समाज की रचना ऐसी है, जिसमें स्त्री को कोई स्थान नहीं है। स्त्री नानो समाज में रहती हुई भी समाज से निर्वाचित है। हिंदू समाज में स्त्री को बस इनता ही स्थान है कि उसकी शारीरिक हो जाय, वह बाल-बच्चों की परवाहिया कर दे, और इसी में खल दो जाय। वर की चहार दर्दावारी से बाहर स्त्री को कोई काम नहीं, वहाँ स्त्री को कोई स्थान नहीं। स्त्री को इस प्रकार समाज के जीवन-क्षेत्र से बनेकर शोषण यह समझा जाता है कि इससे समाज के समुचित विकास ने कोई क्षणि नहीं पहुँचता, समाज का समविकास स्त्री के समाज में कोई हित्ता न लेते हुए भी हो सकता है।

परंतु वह भूल है। स्त्रियों को भले ही कोई 'अवला' कहता रहे, उन्हें शक्तिहीन समझा रहे, परंतु वे अवला होती हुई भी समाज के जीवन पर अपनी आप डालती रहती हैं, और उसकी प्रगति में ग्रत्यक्ष न्यय से नहीं, तो अप्रत्यक्ष न्यय से हित्ता लेती रहती हैं। इस समय संसार की जो प्रगति है, उसे देखते हुए जीवन के किसी क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से छुदा नहीं सकता जा सकता। जीवन का हरएक पहलू दूसरे से मिला हुआ है, और इतना मिला हुआ है कि यदि उसे दूसरे पहलू से अलग कर

दिया जाय, तो या तो वह स्वयं विस्तीर्ण काम का नहीं रहता या दूसरे को भी अपनी तरह निकम्भा बना डालता है। स्त्रियों को हिंदूंव तक में बंद करके, उन्हें अशिक्षित तथा मूर्ख रखकर, हमारा यह समझना कि उनका संपूर्ण समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समाज-शास्त्र के नियमों को टालने का प्रयत्न करना है। यदि स्त्रियों को संकुचित क्षेत्र में बंद रखा जायगा, तो उनकी संकुचित दृष्टि समाज के जीवन के हर पहलू पर नजर आएगी। हमारे समाज के कर्ता-धर्ता समझते हैं कि स्त्रियों को समाज से अलग रखकर वे उन्हें समाज में कोई भाग नहीं लेने देंगे, परंतु यह भूल है, और इस भूल का ग्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो, तो हिंदू-समाज पर एक सरसरी नजर डाल लेना काफ़ी है। इसमें संदेह नहीं कि हिंदुओं में स्त्रियों को अवलो समझा जाता है, उनका सामाजिक जीवन से कोई सरोकार नहीं होता, उनकी बड़े संकुचित चायुमंडल में परवरिश होती है, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि हिंदुओं का समाज स्त्रियों की संकुचित दृष्टि का ही एक प्रतिविवर है। स्त्रियों को जिस मूरखता में रखा जाता है, जिस अँधेरे में उनका लालन-पालन होता है, जिस अविद्या में उनके विचार पकते हैं, वह सब कुछ हिंदू-समाज में ग्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। स्त्रियों के विचार ही समाज रूपी दर्पण में सदा प्रतिविवित होते रहते हैं।

आज लोग शिकायत करते हैं कि एक सज्जन बड़े पढ़े-लिखे हैं, प्रगतिशील विचारों के हैं, परंतु वही मुसलमानों के पीरों

की कब्रों पर जाकर दुआएँ माँगते हैं ! दूसरे सज्जन वडे भारी समाज-सुधारक हैं, वडे-वडे व्याख्यान देते हैं, वही अपनी छोटी-सी दुधमुँही बच्ची का छोटी उम्र में विवाह रच डालते हैं ! एक तीसरे देश के नेता दो बंटे तक गला फाड़कर दहेज की कुप्रथा का विरोध करते हैं, और वही अपने लड़के की शादी पर दहेज के लिये अड़ जाते हैं ! सुधारक संस्थाओं के वडे-वडे संचालक जन्म-मूलक जाति-याँति के वंशनों को तोड़ने के लिये कागज के कागज स्थाह कर डालते हैं, परंतु वही अपने लड़के के लिये अपनी जाति की कन्या ढूँढ़ने के लिये अखबारों में नोटिस देते हैं ! आज हम जैसा कहते हैं, जैसा करते नहीं ! यह क्यों ? इसका क्या कारण है ? हमारे पुरुष-समाज के विचारों और आचारों में इतनी विपरिता क्यों है ? क्यों वे जैसा संसार के सामने कहते हैं, जैसा करने को तैयार नहीं होते ? इस समस्या पर थोड़े हाँ लोगों ने विचार किया होगा, परंतु इसका एकमात्र कारण यही है कि अद्वृतोद्धार पर प्रस्ताव तो पुरुष-समाज में णास होते हैं, और वही लोग जो उसके समर्थन में हाथ उठाते हैं, जब वर पहुँचते हैं, तब अपने घर की देवियों को अपने अनुकूल नहीं पाते । समाज-सुधारक व्याख्यान देते हुए तो वाल-विवाह के विरुद्ध वोल सकता है, उसे वोलने से रोकनेवाला कौन है, परंतु वही जब अपनी दक्षियानूसी विचारोंवाली माता के सम्मुख पहुँचता है, तब उसके आगे सुधारक की एक नहीं चलती । दहेज की कुप्रथा को लताड़ना

आसान है, परंतु जब पहली इस ब्रात में पति के विचारों का साथ नहीं देती, तब पति को भी अपने विचार प्रवक्ट करके ऐसी रह जाना पड़ता है। जाति-धौंति की उलझनों को दूर करने के लिये व्याख्यान तो दिए जा सकते हैं, परंतु जब सुधारक अपने घर में मा, बहन, लोंगों सबको अपने विरुद्ध खड़ा हुआ देखता है, तब उसकी भी दिग्मत ढूट जानी है ! स्त्रियों को समाज से अलग रखने का परिणाम यह हुआ है कि स्त्रियों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, समाज को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, और उसी का नर्तजा यह हुआ है कि पुरुषों के कहने तथा करने में जमीन-आसमान का अंतर पड़ गया है। पुरुष कहना वह है, जो उसका दिमाप सोचता है, परंतु करता वह है, जो लोंगी कहती है। यिकास के मार्ग में लोंगी को अपने साथ न रखने का परिणाम यह हुआ है कि आज पुरुष कहने को बहुत कुछ कहता है, परंतु वरने को उसका सीधाँ हिस्सा भी नहीं करता। जो कुछ करता है, वह वही होता है, जो उसे लोंगी करने को कहती है। क्या इससे अच्छा यह न होता कि पुरुष लोंगी को अपने साथ लेकर चलता, और समाज में जो कहा जाता, वही किया भी जाता ?

आज हिंदुओं वाली समाज का विशाल पोत विना किसी बंदरगाह के आए खड़ा हो गया है। जहाज का लंगर नहीं उठता, और जहाज चलने नहीं पाता। हमारे भारी जहाज का लंगर हमारा 'लोंगी-समाज' है। जिस प्रकार लंगर चलते हुए

जहाज को खड़ा कर देना है, उसी प्रकार 'स्त्री-समाज' ने चलने हुए हिंदू-समाज को खड़ा कर दिया है। लंगर इतना भारी हो गया है कि जहाज सदियों से एक ही जगह खड़ा है। जो लंगर जहाज को दुनिया की संर करने का एकमात्र साधन या, वही आज उसे एक ढंच मी हिलने नहीं देना। समाज की नुचना चलना गाड़ी से भी की जा सकता है। मागती हुई गाड़ी के बेग को रोकने के लिये उसमें 'ब्रेक' लगा होता है। उसके ल्याते ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। 'स्त्री-जाति' को इस समय हिंदू-जाति की चलना गाड़ी का 'ब्रेक' कहा जा सकता है। हमारी जाति आज या कल से नहीं, सदियों से एक ही जगह पर खड़ी है। 'स्त्री-जाति' का ब्रेक इस पर ऐसा जवरदस्त लगा है कि आज पंजिन में किनारा ही स्ट्रीम क्यों न भरें, यह टस से पस नहीं होता। हवा सं वाने करनेवाला गाड़ो बिना किसी स्टेशन के आए जंगल में रुक गई है। ब्रेक ने पहियों को जकड़कर पकड़ लिया है, और देर तक यही अवस्था रहने के कारण अब पहियों पर भी चंग लग गया है। स्त्री को हमारे समाज में तुच्छ जीव समझा गया है, उसे समाज में कहाँ कोई स्थान नहीं दिया गया, परंतु उसी निर्वासिता अवला ने पुरुष-समाज को पांछे से ऐसा खोंच लिया है कि वह एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज स्त्रियाँ अपने पर किए गए अस्याचारों का बदला पुरुष-समाज से ले रही हैं, और जहाँ पर भी पुरुष आगे क़दम बढ़ाने में ज़िक्कटे पाए जाते हैं, वहाँ उनकी

पीठ के पीछे किसी-न-किसी 'देवी' के हाथ में उनकी नकेल दिखाई देती है। आज हिंदुओं का पूरुष-समाज आगे नहीं बढ़ता। इसका यह कारण नहीं कि उसमें हिम्मत नहीं। हिम्मत है, परंतु उसके एक कदम आगे बढ़ाते ही दूसरा कदम पीछे खोनेवाले सैकड़ों हाथ निकल पड़ते हैं।

जिस दिशा में हम समाज को बढ़ाना चाहते हैं, वह स्वयं सरल तथा निष्कंटक है; जिन सुधारों को हम समाज में लाना। चाहते हैं, वे स्वयं आसान हैं; परंतु ली-समाज को बल-पूर्वक अलग रखने के कारण आज निष्कंटक मार्ग कंटकाकीर्ण हो चुके हैं, सरल मार्ग दुर्गम तथा बीहड़ बन चुके हैं। ली-समाज को मनुष्य-समाज से सर्वथा अलड़ा करने का नतीजा आज हिंदू-जगत् भुगत रहा है। अगर किसी की आँखें हों, तो वह देख सकता है कि ली-समाज को मानव-समाज से सर्वथा काटकर अलग कर देना कितना असंभव है। जिन सुधारों को हम करना चाहते हैं, वे कितने सरल हैं, कितने आसान हैं। क्या छोटी-छोटी-सी बातें हैं! विवाह में जाति-पाँति तोड़ने का मामूली-सा प्रश्न है। क्या नौजवानों के लिये यह साधारण-सी बात कर दिखाना भी कोई कठिन काम है? यदि सुधार इसी तरह की बात का नाम है—और इसमें शक नहीं कि है असल में इसी तरह की बातों का नाम सुधार—तो देश के नौजवान जाति के भवन को मलिन करनेवाली इस गंदगी को झाड़ू के एक झापेटे से साफ़ कर सकते हैं। हाथ

मारकर मकड़ी के जाले के समान योथी कुर्रातियों का नामोनिशान मिटा सकते हैं, पक्ष पूँछ में इस धूल को उड़ा सकते हैं ! जानि-पाँति तोड़ना भी भला कोई मुश्किल काम है ! नवयुवक का तो सीधा जबाब है—जाति में विवाह न किया, जाति अपने आप दृढ़ गई। परंतु नहीं; यह प्रश्न जो मकड़ी के जाले को निटा देने के समान तुच्छ है, आज जटिल बना छुआ है। कोई छिपा हुई शक्ति मकड़ी के जाले के पक्ष-पूँछ तंतु को कौआर्दा तारों में बदलनी जा रही है, या नवयुवकों के आत्मिक बल का इतना शोषण कर रही है कि उनमें मकड़ी के जाले को भी छिप-मिप घर देने की शक्ति नहीं रहती। इस शक्ति-हीनता का क्या कारण है ? कारण है केवल एक, और वह यह कि जानि तोड़ने का नाम लेने ही घर में कोहराम मच जाता है। होनहार युवक की माना समझता है कि बेटा कुल को कलंक लगाने लगा है। 'हाय ! वह बूढ़ी पड़ोसिनों में बैठकर उनके बाक्य न्यूपा तारों को कैसे सहन करेगी !' 'लोग क्या कहेंगे !' ये 'लोग' क्या चीज़ हैं ? 'लोग' का मतलब है मूर्खता की मूर्खता अड़ोसिन-पड़ोसिन बृद्धाण् ! चाहो, तो चार वरस के लड़के-उड़की को ब्याह दो, बूढ़े के गले में नहीं बालिका को छटका दो, यह सब धर्म के दावरे में गिना जाता है, वस, जाति-पाँति के घेरे के बाहर पाँव न रखो। नवयुवक का हृदय में उबलते हुए उत्साह पर उसकी माता के आँमुखों का छीटा पड़कर उसे एकदम टंडा

कर देता है। सुधार का जहाज हिलने लगता हैं, परंतु लंगर उसे फिर बहाँ-का-बहाँ खड़ा कर लेता है। गाड़ी के पहिए गति करने लगते हैं, परंतु अपनी जगह पर ही चक्कर मार-मारकर रह जाते हैं।

कौन नहीं जानता कि व्याह-शादियों पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पसीना बहाकर रूपया कमाता हैं, वह रुपए को पानी की तरह बहाने की मूर्खता नहीं कर सकता, उसे मालूम हैं कि फिर वैसी ही चक्की-पिसाई होती है। हाँ, स्त्रियों को इस बात का किञ्चिन्मात्र भी ध्यान नहीं होता। उन्हें एक ही बात मालूम हैं। उनकी बही में लिख रखा हैं कि किसने अपनी लड़की की शादी पर कितना खर्च किया। बस, अब अपनी लड़की की शादी में किसी से कम नहीं रहना! यही एकमात्र जीवन का ध्येय है। लड़की की शादी के समय चार-पाँच हजार का खर्च करना जरूरी है, फिर उसे दो हजार रुपए खर्च करके कौन पढ़ाए! या उसे पढ़ा ही लें या उसकी शादी ही कर लें। दोनों बोझ कौन उठा सकता है। हमारी माननीय वृद्धाओं की इसी फ़िलासफ़ी का नतीजा है कि आज जो लड़कियाँ पढ़-लिखकर देश के बोझ को हल्का करने में हाथ बटा रही होतीं, वे आज स्वयं भार बनकर देश को ढुबो रही हैं। बहुत लड़कियों के पिता श्रण के बोझ से कमर तोड़ लेते हैं; क्या इस नरक-यातना को वे स्वयं मोल ले लेते हैं? नहीं, यह हो ही नहीं सकता! इसका कारण

उनके पाँव की बेड़ियाँ और हाथों की हथकड़ियाँ—उनके घर की स्त्रियाँ—हैं। उन्हें अपने पति की कमाई से कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो अपनी पड़ोसिनों से 'कंपिटीशन' करना है। उनका मुझविला करना है। नाक बहुत बढ़ा ली है, उसी की हिफाजत की किक्र करना है! अकसोस! स्त्रियाँ अपनी नाक रखने के लिये अपनी संतानों की नाक कटवाने में कोई हर्ज नहीं समझतीं। कोई कुर्स में कूद पड़ने का डर दिखलाकर, कोई चहर खाकर प्राण छोड़ने की धमकी देकर, कोई दिनरात आँधुओं की झड़ी लगाकर पुरुष-जाति से ऐसे-ऐसे अनर्थ करवा रही हैं, जिनसे समाज-बृक्ष की जड़ों को धुन खाता चला जा रहा है। कलन्ते-कल हिंदू-समाज तो इन्हीं कारणों से संसार की सभ्य जातियों के सम्मुख मुख दिखलाने के लायक भी नहीं रहा।

इसी प्रकार के और न-जाने कितने सुनार हैं, जो त्रियों के पुरुष-जाति का साय न देने के कारण रुके पड़े हैं। सब कुम्राओं का पिता 'विरादरी' को कहा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि किसी सभ्य विरादरियाँ ही हिंदू-समाज को उन्नति की तरफ ले जानेवाली संस्थाएँ थीं, परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि वर्तमान अवस्था में जब तक विरादरियों को तोड़फोड़ नहीं दिया जाता, तब तक हमारा समाज उन्नति की तरफ एक ज़द्दम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज सुधार इस-लिये नहीं चलते, क्योंकि विरादरियाँ उन्हें चलने ही नहीं

देतीं। जिसकी नसें बहुत अधिक फ़ड़कती हों, उसे विरादरियाँ एकदम दूध से मक्खी की तरह उठाकर अलग फेक देती हैं। पहले जहाँ समाज को गंदगी से अलग रखने का साधन विरादरी बनी हुई थी, वहाँ आज जब कि छिद्र पाकर एक बार गंदगी अंदर आ चुसी है, उसे अंदर से बाहर न निकलने की ठेकेदार भी विरादरी ही बनी हुई है।

परंतु यह विरादरियों का भूत हम पर सवार क्यों है? इसका हिंदू-समाज में अव्याहत शासन चलता कैसे है? उत्तर है—लियों के कारण! क्या आज वीसवाँ सदी में भी कोई नवयुवक विरादरी की परवा करता है? विरादरीवाले ज्यादा-से-ज्यादा क्या करेंगे? हुक्का ही तो नहाँ पीने देंगे! और, हुक्का न सही—नहाँ पिएँगे। जो विरादरी की तरफ पीठ फेरेंगे, क्या वे हुक्के के बगैर न जी सकेंगे? परंतु फिर भी विरादरी के शासन के सम्मुख नवयुवक की पीठ ढूट जाती है; इसका यह कारण नहाँ कि वह विरादरी से डरता है, परंतु इसका कारण उसकी आँखों के सम्मुख रोती-कल्पती उसकी माता, उसकी बहन या उसकी ली है। लियों के दिमागों में आजादी दिखाई नहाँ देती, वे एक बार 'विरादरी' को अपना सर्वस्व आराध्य देव मान चुकी हैं, अब विरादरी के बगैर वे पानी के बिना भीन की तरह व्याकुल हो जाती हैं। आज विरादरियाँ पुरुषों के ऊपर, लियों के द्वारा, शासन कर रही हैं। पुरुष विरादरियों से नहाँ डरते, लियों से डरते हैं, और

क्योंकि लियाँ विरादरियों से डरती हैं, इसलिये पुरुषों को भी विरादरियों से डरना पड़ता है। इसीलिये तो कहना पड़ता है कि लियों के कारण ही हमारे सब सुधार हक्के पड़े हैं।

हमने लियों को समाज में कोई स्थान नहीं दिया, उन्हें समाज से निर्बासित कर दिया, परंतु आज आयद पुरुष-समाज को अनुभव हो रहा है कि लियों को इस प्रकार समाज से निकाला नहीं जा सकता। आज लियाँ पुरुषों से कौड़ी-कौड़ी का हिसाब चुक्का रहा है। प्रकृति का अटल नियम काम कर रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब लियाँ पुरुषों को एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। यदि पुरुष आगे बढ़े ने, तो लियाँ कुएँ में कूद पड़ंगी, जहर खा लेंगी, जान पर खेल जायेंगी, परंतु जब तक दम में दम है, पुरुषों को अपनी दुर्दशा दिखलाती ही उन्हें अकेले अपनी उन्नति नहीं करने देंगी। और-जाति, जिसे संकुचित वायुमंडल में रखा गया है, समाज के जीवन पर अपना प्रभाव ढाले जिना नहीं रह सकती। पुरुष जिस वायुमंडल में रहते हैं, वह खुला वायुमंडल है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें पुराने विचारों के स्थान पर नए विचार आते-जाते रहते हैं। इसके विपरीत पुरुषों ने लियों को सदियों से एक ही प्रकार के खुटे हुए वायु-मंडल में कैद कर रखा है; परंतु और कैद में रहती ही भी, पद्मे में पड़ी ही भी, समाज में न रहती ही भी समाज पर अपनी पूरी-पूरी छाप ढाल रही है। पुरुष कितना ही आगे बढ़ना

चाहें, खियों के लिये भले ही कितनी बार 'अबला'-शब्द का प्रयोग करें, परंतु खियों इतनी 'सबला' हैं कि उनके विचारों की छाप हर द्वालत में समाज पर पड़ती रहेगी। समाज वही होगा, जो जी होगी; वह नहीं होगा, जो पुरुष होगा। जी को समाज से धकेलकर अगर पुरुष आगे बढ़ना चाहेगा, तो अपनी जी बनाई हुई बेड़ियों से इस प्रकार जकड़ जायगा कि आगे क़दम ही नहीं रख सकेगा। इसलिये यह समझना कि खियों को कुदुंब तक में क़ोद रखकर, उन्हें सार्वजनिक जीवन से बंचित रखकर समाज का भला हो सकता है, एक धातक विचार है।

इस समय भी जब कि हम समझ रहे हैं कि खियों समाज की रचना से सर्वथा अलग हैं, खियों का छिया हुआ हाथ समाज के प्रत्येक कार्य में दिखलाई दे रहा है। यद्यपि खियों हमारे समाज की रचना में ग्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा नहीं ले रहीं, तो भी समाज का कोई कार्य ऐसा नहीं, जिसमें उनकी छाप न हो, उनका प्रतिबिंब न हो। खियों का काम प्रत्येक कार्य में उत्तेजना देना, उसके लिये उत्साह उत्पन्न करना, उसमें जान ढाल देना है। अगर वह अच्छा कार्य है, तो वह तेजी से और खूबसूरती से होने लगता है; अगर बुरा कार्य है, तो वह भी तेजी से और जोर से होता है। अभी दर्शाया जा चुका है कि किस प्रकार खियों के संकुचित विचारों के कारण ही हमारा समाज विकास की तरफ नहीं बढ़ रहा, संकुचित हो रहा है, रुकियों का

दिकार बन रहा है। लियों के ऊँचे आदर्शों के कारण समाज उन्नति करने लगता है; उनके नीचे आदर्शों के कारण वह गिरने लगता है। संसार के निकृष्ट कामों के पीछे जहाँ किसी-न-किसी खीं का हाथ था, वहाँ संसार के उत्कृष्ट कामों के पीछे भी किसी-न-किसी देवी का हाथ था। श्रीरामचंद्र जिस समय जंगल में निवास कर रहे थे, उस समय कौन आशा कर सकता था कि वह रावण-जैसे महाबली तथा पराक्रमी राक्षस के साथ युद्ध की तैयारी करने लगेंगे, परंतु महारानी सीता का अपहरण किया जाना एक महासंग्राम का कारण बन गया, और तपस्वी राम धनुष-ब्राण लेकर असुरों का संहार करने के लिये शणांगन में जा कूदे। महाभारत का युद्ध शायद कभी महासंग्राम के नाम से विख्यात न होता, यदि उसमें द्रौपदी ने अपमानित होकर भीम तथा अर्जुन को धिक्कारा न होता। अमिमन्यु नवा विवाह करके आया था, उसके दिन सुखन्चैन से जीवन व्यतीत करने के थे। वह कभी जान को हथेली पर रखकर जंग में न जूझा होता, अगर उसकी नवविवाहिता पत्नी उत्तरा ने उसके कटि-प्रदेश में शब्द न बौधि होते, और युद्ध जाते समय उसकी पीठ न ठोकी होती। राठौर राजा यशवंतसिंह को हारकर आता देखकर अगर उसकी रानी ने दुर्ग के फाटक बंद न कर दिए होते, तो राणा दुबारा शत्रुओं पर टूटकर अपने कुल तथा वंश की लाज न बचा सकता। दृत्रपति शिवाजी को भी उनकी भाता का प्रोत्साहन समय-

समय पर हताश होने से बचाता रहता था। संसार के इतिहास के पत्नों को पलट जाइए, उसमें ऐसे दृष्टिकोण जगह-जगह भरे पड़े हैं, जिनमें लियों ने कभी माता के रूप से, कभी व्रहन के रूप से, कभी पत्नी के रूप से पुरुषों के मुद्दों द्विलों में जान फूँकी है, और उनमें कार्य-शक्ति का संचार कर उन्हें मैदान में आगे कढ़म बढ़ाने के योग्य बनाया है।

योरप की वर्तमान सामाजिक उन्नति का भी मुख्य कारण वहाँ की लियों का उन्नतिशील होना है। इस समय योरप में लियों सुशिक्षित हैं, वे अपने अधिकारों को समझती हैं, उन्हें चहारदीवारी में बंद करके नहाँ रखवा जाता, इसीलिये योरप का सामाजिक जीवन एक खुला विस्तृत तथा उदार जीवन है। उस जीवन में अन्य चाहे क्रितने ही दोष क्यों न हों, परंतु उसे भारतीय जीवन की तरह संकुचित, रुक्षियों से विरा हुआ तथा तंग दायरों में बंद नहाँ कहा जा सकता। वहाँ की लियों पढ़-लिखकर जीवन के प्रश्नों पर स्वयं विचार करती हैं, और उन्हीं के प्रकाश में अपने प्रश्नों को हल करती हैं। इधर भारत की लियों में स्वतंत्र विचार करने की शक्ति ही नहाँ उत्पन्न होती। हो भी कैसे, जब उन्हें स्वतंत्र वायुमंडल में विचरने ही नहाँ दिया जाता? लियों के दिमाग जितने भारतवर्ष में युलामी में कसे हुए हैं, उतने दूसरी जगह नहीं। इसी युलामी का नतीजा है कि हमारे समाज में चारों तरफ युलामी के विचार नजर आते हैं। उन्नति की तरफ ले जानेवालों कोई भी कढ़म क्यों

न हो, उसे पीछे वसीटने के लिये हजारों हाथ हर समय तैयार रहते हैं। यदि लियों को सुशिक्षित बनाया जाय, उनकी खुले बाजारण में परवरिश हो, तो यह कभी हो नहों सकता कि समाज के विस्तृत जीवन पर उनका ग्रतिविव न पड़े। हमारी व्यवस्थापिका समा ने बाल-विवाह-नियेवक विल पास किया था। इस सुधार का अनेक स्थानों पर विरोध हुआ। परंतु यदि लियों संकल्प कर लेतों कि वे इस सुधार के विरोधियों को चुप करा देंगी, तो कभी हो नहीं सकता था कि ऐसे अच्छे सुधार का कोई भी विरोध कर सकता। लियों जिस काम को हाथ में लेंगी, उसमें सफलता होना अवश्यमावी है, परंतु जिस देश की लियों नूर्खता के गड़े में पटक दी जायें, वहाँ लियों से किस प्रकार की आशा की जा सकती है? योरप की लियों इतनी जाप्रत् हो गई हैं कि वे अपना भला-बुरा स्वयं सोच-समझ सकती हैं। वहाँ के सार्वजनिक जीवन में वे प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले रही हैं, और जहाँ अपनी जाति पर वे किसी प्रकार का अत्याचार नहों होने देतों, वहाँ उनकी जागृति का परिणाम पुरुषसमाज पर भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यह एक सत्य सिद्धांत समझना चाहिए कि जिस औसत में किसी देश की लियों सुशिक्षिता तथा अपने अधिकारों को समझनेवालों होंगी, उसी औसत में उस देश के पुरुष उच्चतिशील तथा हिम्मतवाले होंगे। जिस औसत में किसी देश की लियों पढ़ी-छिखी तथा उच्च विचारों

की छोंगी, उसी औसत में उस देश के पुरुष-समाज के बहने तथा करने में कम अंतर होगा। आज योरप में जो कहा जाता है, वही किया भी जाता है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों को उतना ही सुशिक्षित तथा मनुष्यता के दायरे में समझा जाता है, जितना पुरुषों को। स्त्रियों ही ने पुरुषों में कर्मण्यता का संचार करती हैं। योरप की स्त्रियों सुशिक्षिता हैं, इसलिये वे अपने देश के पुरुष-समाज में कर्मण्यता का संचार कर रही हैं। भारत में स्त्रियों पुरुषों में कर्मण्यता का संचार क्या करेंगी, जब उन्हें अपने अधिकारों का ही ज्ञान नहीं, जब उनमें उननी शिक्षा ही नहीं, जिससे कर्मण्यता का संचार किया जा सकता है। योरप नैतिक दृष्टि से भले ही कितना गिरा हुआ हो, वहाँ आचार की मर्यादा चाहे कितनी ही शिथिल हो, उन्होंने इस बात को समझा है कि समाज की रचना में खी-जाति को छोड़ा नहीं जा सकता, और इस दृष्टि से भारत को योरप से बहुत कुछ सीखना है।

भारत का खी-समाज अशिक्षित है, वह पुरुष-समाज में कर्मण्यता का संचार कैसे करे? जो कुछ यहाँ का खी-जगत् जानता है, वही पुरुष-समाज से करा रहा है। खी-जगत् मूर्खता के गढ़े में पड़ा हुआ है, इसलिये वह हिंदू-समाज के घड़े-घड़े धुरंधर विद्वानों को भी उसी गढ़े में घसीट रहा है। हमारा समाज छात्र कोशिश करने पर भी करवट नहीं ले रहा, अफीम खाए पड़ा है—इस दुरवस्था को दूर करने का एक-मात्र उपाय है खी-समाज का चैतन्य हो जाना।

देश की जो दुरवस्था है, उसका चित्र खांचने की ज़रूरत नहीं। सामाजिक, राजनीतिक तथा मानसिक गुलामी की बेड़ियाँ चारों तरफ से हमें ज़कड़े हुए हैं। कहीं अछूतों को मंदिरों में प्रवेश न करने का अड़ंगा है, तो कहीं विवाहों का रोना है। कहीं देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है, तो कहीं बड़े-बड़े धुरंधर विद्वानों का अपने प्राचीन गौरव को भूलकर पस्तियाँ सुर में सुर मिलाने का उपहासास्पद दृश्य है। भारतमाता की इस दीन-हीन अवस्था को सुधारने के लिये अनेक प्रयत्न हो रहे हैं, परंतु किसी में सफलता प्राप्त नहीं होती। कारण यही है कि शक्ति का स्रोत स्त्री-जाति है, कर्मण्यता की धारा को वही प्रवाहित कर सकती है। प्राचीन इतिहास में स्त्री-जाति ने अप्रत्यक्ष रूप से समाज के चक्र को चलाया है, इस समय भी उसी का हाथ, हमारे विना देखे, समाज-चक्र को चला रहा है। जब तक स्त्री-जाति जाग्रत् न होगी, जब तक वह चैतन्य न होगी, जब तक उसके अधिकारों की पुकार वहरे कानों में पड़ती रहेगी, तब तक हमारा समाज इसी प्रकार असफलता के थपेड़े खाता रहेगा।

भारत की अवनति में लियों जहाँ तक कारण बन रही हैं, हम उसे भली भाँति समझ नहीं रहे हैं। हमारे व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम समाज में लियों की सत्ता से भी अनभिज्ञ हैं। परंतु अपने को घोखा देने से क्या फ़ायदा? भारतवर्ष के प्रश्न अधिकतर लियों के कारण विकट रूप धारण

किए हुए हैं, और उन प्रश्नों को हल करने के लिये शक्ति-भर खियों में 'एजिटेशन' करना ज़रूरी है। इस महान् कार्य को करने के लिये जीवन अर्पण कर देनेवाली अपनी तपत्तिविनी पुत्रियों की प्रतीक्षा में भारतमाता अपने फटते दिल पर हाथ रखकर चारों तरफ देख रही है। माता के जर्जरित कलेवर की दशा देखकर जिन देवियों का छद्य संताप से भर आता है, वे जगदंबा के चरणों का ध्यान कर यह प्रण करके उठ खड़ी हों कि दरवाजे खटखटाते हुए अपनी बहनों को जगाने में ही वे अपना सुहाग समझेंगी। परमात्मा करे कि ऐसी देवियों से भारतमाता की कोख भर जाय। जिस दिन यह स्वप्न स्वप्न नहीं रहेगा, किया में परिणत हो जायगा, उस दिन भारतमाता का कल्याण होगा। भारत की देवियों के जागते ही इस देश के जहाज का लंगर उठेगा, और यह विशाल पोत सदियों तक एक ही जगह खड़ा रहने के अनंतर फिर से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेगा।

पुरुष विनाम त्वाँ

डॉक्टर गौड़ ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा में एक विचार पेश किया था, जिसके अनुसार हिंदू-खियाँ भी, किन्हीं खास अवस्थाओं ने, तबक्क की अविकारिणी थीं। यह सुनकर कई लोग हुँझला उठे थे। वे कहते थे, यद्यपि हो जायगा, खियाँ पतियों को छोड़ने लगेंगी, तो गंगा समुद्र से हिमालय को बहने लगेंगी, सूर्य पश्चिम से उदय होने लगेगा, मेरे पृथिवी ने धैर्य जायगा, अनर्थ हो जायगा ! उनसे पूछो, इतनी आकृत क्या हो को आ पड़ेगी, तो वे कहते हैं, खियाँ पतियों को छोड़ दें, भला वह भी कभी हो सकता है ? यह किस दात्त्र ने लिखा है ? जिस दिन ऐसा होने लगा, उस दिन भारत की स्त्री-जाति के उच्च आदर्श धूलि में मिल जायगे, पातिव्रत-वर्म शर्म के मारे नैंह छिपा लेगा, हिंदू-समाज का गौरव नटियामेट हो जायगा ! परंतु क्या मैं खी-जाति की प्रतिनिवि होकर नंगा और हिमालय की दुहाई देनेवालों से पूछ सकती हूँ कि आज तक—जब से मनुष्य-समाज को बोल दिया गया था, तब से अब तक—कभी ऐसा दिन भी आया है, जिस दिन पुरुष-जाति के उच्च सिद्धांत खतरे में पड़े हों, जिस दिन पुरुषों के वृणित तथा भवंतर कुछतों से हिंदू-वर्म की पुरानी नैया उगनगर्ह हो ? पुरुषों ने क्यान्दगा नहीं

किया, और किस बात में कसर रखी ? इसी हिंदू-समाज में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जिनकी दो-दो स्त्रियाँ हैं, परंतु यह कहता कोई दिखाई नहीं देता कि हिंदू-धर्म का कोई ऊँचा सिद्धांत खतरे में है; इसी नैया में ऐसे लोग बैठे हैं, जिन्होंने एक पाँव कब्र में रखकर दूसरे पाँव से विवाह-मंडप की यज्ञ-वेदी की प्रदक्षिणा की है, परंतु अब तक यह भैंवरों को चीरती हुई बड़े वेग से चली जा रही है, बाल-भर भी डाँवाडोल नहीं होती ! साठ वर्ष के कोढ़ी के हाथ सोलह वर्ष की युवती बेच दी जाती है; और हिंदू-धर्म अपूर्व गौरव से मस्तक ऊँचा कर तिलक लगाता है ! जिस धर्म पर अब तक कलंक का टीका नहीं लगा, उस पर अब कैसे लग जायगा; जो नैया बड़े-बड़े लक्षणों में नहीं डगमगाई, वह छोटी-लोटी लहरों से कैसे ढोल जायगी ? परंतु नहीं, पुरुष-जाति के आदर्श खतरे में पड़ते हैं, तो पड़ते रहें, उन्हें चिंता है स्त्री-जाति के आदर्शों को खतरे से बचाने की; पली-न्रत-धर्म चूल्हे-भाड़ में जाय तो जाय, उन्हें फ़िक्र है पातिव्रत-धर्म की ! कोई इन भलेमानसों से पूछे— तुम्हें अपनी भी फ़िक्र है ? तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारी करतूतों से हिंदू-धर्म के उज्ज्वल मुख पर कितनी कालिख पुत रही तथा पुत चुकी है ? स्त्रियों के उच्च आदर्शों को स्त्रियाँ समझती हैं, और समझ लेंगी; क्या पुरुष भी अपने को मापने के लिये कुछ आदर्श बनाएँगे ?

भारतवर्ष में १६ वर्ष से छोटी आयु की सात-आठ लाख

विवाहाएँ हैं। इनमें से अविकास का विवाह तब हो गया था, जब वे विवाह को बैसा ही खेल समझती थीं, जैसा गुड़े-नुड़ियों का। बहुतों को तो बड़े होकर बतलाया गया कि वे विवाह हो गए हैं, और इसी से उन्होंने अनुभान किया कि उनका विवाह हुआ होगा! यदि कोई कह दे, इन विवाहों का विवाह हो जाना चाहिए, तब मी कई वर्मग्रेमियों को आसमान पट्टों नजर आता है। वे समझते हैं, वस, अब पृथ्वी रसान्तर को चली! इनना घेर कलिकाल—विवाह व्याह करने छने! मार्त्तीय लियों के तर्ज से ही तो अब तक प्राचीन सन्दर्भ कायम थी, जो देवियाँ पतियों के साथ चिता की उस्तों में कूद पड़ो, उन्होंने सनीत्व से ही तो ब्री-जाति का गौरव बना हुआ था, क्या उस आदर्श का अब गला घोट दिया जायगा, और विवाहों का विवाह होने लगेगा? परंतु क्या मैं उन विवाहों के नूकर्चात्मकरों की प्रतिक्रिया को दोहराती हुई पूछ सकती हूँ कि आज तक कितने पतियों ने पत्नी के मर जाने पर आंतरिक वियोग को अनुभव करते हुए उसकी चिता को अपनाया है? चिता को अपनाना दूर रहा, मैं पूछती हूँ, आज तक कितने पतियों ने पत्नी-वियोग के बाद दूसरा विवाह करना पाय समझा है? यहाँ तो जाक ही उच्चे बना रखे हैं। पति के मर जाने पर ब्री का आनन्द उसकी स्थृति को आरावना करना वर्ष है—पति को उसने देखा हो या न हो, उसकी काल्पनिक स्थृति ही

पत्नी के लिये पर्याप्त है, परंतु पत्नी के मर जाने पर उसे जल्दी-से-जल्दी स्मृति-पट से मिटा देना पति का धर्म है ! जिस मृतपत्नीक पुरुष की इमशान से लौटते-लौटते रास्ते में ही एकदम सगाई नहीं हो जाती, वह पुरुष ही क्या ? मैं पूछती हूँ, जो आदर्श, इन करताओं के होते हुए भी, अब तक हिंदू-धर्म के नभोमंडल में तारा-समूह के समान ज्योति का पुंज बरसा रहे हैं, वे एक वाल-विधवा के, जिसका गर्भावस्था में ही वागदान हो गया था, जिसके पति का उसके पैदा होने से पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था, विवाह कर लेने से कैसे लुप्त हो जायेंगे ? पुरुष की एक के बाद दूसरी ली मरती जाय, और वह नए-नए सिरे से सेहरा बाँधता जाय; ली का पाँच वर्ष की अवस्था में ही पति क्यों न मर जाय, वह विवाह का भाव भी हृदय में न आने दे—यही स्त्री का धर्म है ! यह धर्म गया नहीं और हिंदू-धर्म की योजनों लंबी नाक कर्णी नहीं ! पुरुषों को यही फ़िक्र सदा रही है कि कहाँ विधवाएँ इस उच्च आदर्श से न डिग जायें ! धन्य हैं पुरुष, जिन्हें अपनी तबाही की कोई फ़िक्र नहीं, परंतु जिन्हें आदर्शों को सुरक्षित बनाए रखने की चिंता हर घड़ी व्याकुल किए रहती है।

लियों के लिये एक और ऊँचा आदर्श है, और वह है 'पति-सेवा' का । ली का सबसे बड़ा धर्म पति की पूजा करना है, वही उसका आराध्य देवता है, परमेश्वर है । ली को इस जन्म में ही नहीं, जन्म-जन्मांतरों में भी उसी पति की सेवा

करनी चाहिए। पति चाहे हुछ कह दे, पत्नी का धर्म उसके चरणों में शीशा नवाकर उसकी आज्ञा का पालन करना है। पति अपने चरणों पर पड़े पत्नी के सिर को भले ही पैरों से ढुकरा दे, पर पत्नी का धर्म है कि ज्वान से आवाज न निकलने दे। पति अपनी पत्नी के बाल पकड़कर वर्साट सकता है, उसकी छाती पर चढ़कर उसका खून पी सकता है, उसके गले पर छुरी चला सकता है, राजनियम ऐसे व्यक्ति को भले ही राक्षस कहकर फाँसी पर लटका दे, परंतु खी का धर्म ऐसे नर-पिण्डाच को भी देवता समझकर ही पूजना है। हिंदू-धर्म की लाज इसी तरह रक्खी जा सकती है। नित्यप्रति की घटनाओं को पुरुष-समाज सुनता है, और सुनकर भारत की खी-जाति के उच्च आदर्शों के सम्मुख सिर ढुकाता है ! आज अमुक पुरुष ने क्रोध में आकर अपनी खी को मारते-मारते अवमरा कर दिया, परंतु धन्य है उसकी खी, उसने आँखें खोलते ही पति के चरणों पर माया रख दिया ! कल फलाने ने धक्के देकर अपनी खी को घर से बाहर निकाल दिया, परंतु शावाश है उसकी खी को, उसने चूँतक नहीं किया। परसों एक ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी खी को ज्यों गालियाँ बकरी शुरू कीं, बेलगाम बकता ही चला गया, लेकिन वाह रे 'देवी' उसने कानों में रुई डालकर सब कुछ सुन लिया ! ये कहानियाँ रोज़ मुनाई जाती हैं, और खी-जाति को अपने आदर्शों के पीछे मर मिटने के लिये सरहा जाता है। परंतु क्या मैं उन मारी

गई, लताड़ी गई, आदशों पर मारी जा रही और मिटाई जा रही अबलाओं की तरफ से पूछ सकती हूँ कि यदि शराब पीकर, जुआ खेलकर, पत्नी के ज्वेवर बेचकर और फिर पत्नी को छुकराकर हिंदू-धर्म की नौका नहां हड्बी, तो ऐसे पतियों को यदि पत्रियाँ ढुकरा दें, तो यह नौका क्योंकर हड्ब जायगी ? यदि अपनी बेक्ससूर पत्नी को खुले बाजार गालियाँ देने से हिंदू-धर्म की लाज खतरे में नहां पड़ती, तो ऐसे पति की ज्वान खाँच लेने से वह लाज किस प्रकार खतरे में पड़ सकती है ? परंतु नहां, वे कहते हैं, दोनों का धर्म ही भिन्न-भिन्न है। पति चाहे कैसा ही हो, उसकी सेवा करना, उसके लिये ग्राण तक बार देना पत्नी का धर्म है—आखिर इस ऊँचे आदर्श को लियाँ नहां पालेंगी, तो और कौन पालेगा। परंतु कोई इन आदर्शवादियों से पूछे—तुम्हारे भी कुछ आदर्श हैं, या ल्ली को पति-सेवा का उपदेश देते रहना ही तुम्हारा एकमात्र आदर्श रह गया है ?

मेरा यह अभिप्राय कभी नहां कि लियों को तलाक का अधिकार मिल जाना चाहिए, मेरा यह अभिप्राय भी नहां कि विधवाओं की शादी हो ही जानी चाहिए, न मेरा यही अभिप्राय है कि लियों को पति-सेवा छोड़कर पति के साथ ‘जैसे को तैसा’ का व्यवहार करना चाहिए। तलाक का प्रस्ताव स्वीकृत हो भी जाय, तो भी मेरी वहनें इतनी गौ हैं कि उन्हें जिस खूँटे के साथ बाँध दिया जायगा, उसके रस्से से उनका गला भले ही छुट

जाय, वे उस खँटे से अछग न होंगी; विधवाओं के विवाह के लिये कितने ही लेख लिखे जायें, कितने ही लेकचर ज्ञाइ जायें, जिस क्षण उन्हें माछम हो गया, वे विधवा हैं, चाहे वे दस वर्ष की बड़ी ही क्यों न हों, उसी क्षण वे सुहाग के चिह्न उतारकर संपूर्ण जीवन के लिये कठोर तपस्या का व्रत लेकर बैठ जायेंगी; उनका पति कितना ही क्रूर क्यों न हो—चोर हो, जार हो, कोड़ी हो, अपाहिज हो—वे प्रातः-सायं उसकी आरती उतारेंगी, उसे आराध्य देव ही कहेंगी, उसे अपना ईश्वर समझकर ही उसकी पूजा करेंगी। भारत की खियाँ इन्हाँ विचारों में पाली गई हैं, ये विचार उनकी आदत के हिस्से हो गए हैं, वे इन विचारों को छोड़ नहीं सकतां। परंतु क्या इन आदर्शों के पाल ने का ठेका सदा खियों के जिम्मे ही रहेगा ? मैं मान लेती हूँ, तलाक का विचार एक अत्यंत क्षुद्र तथा नीच विचार है; खी-पुरुष का संवंध जन्म-जन्मांतरों का संवंध होना चाहिए; तलाक इस उच्च आदर्श का उपहास है। परंतु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि इस उच्च आदर्श को निभाना केवल खी का काम है। यह उच्च आदर्श है, तो खी तथा पुरुष दोनों के लिये है, केवल खी के लिये नहीं। पुरुषों ने इस आदर्श को निर्दयता-पूर्वक पैरों तले कुचला है; खी ने—कम-से-कम भारत की सती नारी ने—इस आदर्श को स्वम में भी कुचलने का साहस नहीं किया। मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं कि पुरुषों द्वारा तो इस उच्च आदर्श का तिरस्कार किए जाने पर हिंदू-धर्म की नौका अब तक

नहीं डगमगाई, यदि लियाँ इस आदर्श को छोड़ बैठेंगी, तो वह नौका मँझधार में जा डूबेगी। मैं समझती हूँ कि यदि इस आदर्श को कुचलने से धर्म की नौका डूबती है, तो वह पुरुषों की मेहरवानी से कभी की डूब चुकी है; अब लियों के पास तो डुबाने के लिये कोई नौका ही नहीं है! मैं मान सकती हूँ, विधवाओं को—कम-से-कम जिनकी बड़ी उम्र में शादी हुई हो—पुनर्विवाह के लिये ग्रेरित करना कोई अच्छा काम नहीं है। वे अपने पति की स्मृति को भुला नहीं सकतीं! उन्हें विवाह के लिये कहना खी-हृदय की गहराई को न पा सकना है। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिन बहनों को 'विवाह'-शब्द के अर्थ का ही नहीं पता था, जिनके माता-पिता ने अपनी नासमझी से उन्हें विधवा बनाया, उनके विवाह कर लेने में हिंदू-धर्म की नाक क्यों कट जाती है? यदि एक बार विवाह हो जाने पर—चाहे वह समझ-बूझकर हुआ हो, चाहे वेसमझे-बूझे—फिर किसी एक के मर जाने पर विवाह करना अनुचित है, तो वह स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिये अनुचित है, किसी एक के लिये ही नहीं। जिस धर्मशास्त्र में लिखा हो कि पुरुष विधुर होता जाय, और नए-नए विवाह रचाता जाय, परंतु स्त्री विधवा होते ही सिर मुँडा ले, माला हाथ में ले ले, वह धर्मशास्त्र इकतरफा है, अन्याय-पूर्ण है! मैं यह नहीं समझ सकती कि जो धर्म-नौका लाखों पुरुषों के दस-दस बार विवाह कर लेने पर भी शास्त्र-

समुद्र पर वत्तख की तरह तैरती चली जाती है, वह किसी विरली, एक-आध स्त्री के विघचा हो जाने पर दो बार शादी कर लेने से कैसे रसातल में जा छवती है ! अब रही पति-सेवा । मैं मानती हूँ, पति स्त्री भा देवता होता है, पति में स्त्री के प्राण वसते हैं । परंतु पति-सेवा के लिये स्त्रियों को उपदेश देने की तो कोई जरूरत नहीं । भारत की स्त्रियाँ तो दिन-रात यह मनाती ही रहती हैं कि उन्हें पति के चरणों की सेवा से कभी वंचित न किया जाय, वे अपने पति को लिखती हैं—‘आपके चरणों की दासी’ इसी तन, मन अर्पण करनेवाली दासी को हिंदू-वरों में जिस प्रकार ढुकराया जाता है, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । इसमें संदेह नहीं कि यह दासी अपनी सेवा का कुछ प्रतिकार नहीं चाहती, वह जितनी ढुकराई जाती है, उतनी ही पति के चरणों की धूलि लेकर माथे पर चढ़ाती है, निष्काम भाव से पति की सेवा में प्राण त्याग देना उसके जीवन की सबसे बड़ी कामना होती है । परंतु क्या इतनी अवलाओं का पतियों से ढुकराए जाकर उनके चरणों में पड़े-पड़े विलख-विलखकर आँखें मूँद लेना हिंदू-धर्म की नौका को कुछ भी विचलित नहों करता ? पति की सेवा करना बड़ा ऊँचा आदर्श है, इस आदर्श के देवता पर लाखों अवलाओं ने अपने को बलिन्रूप से चढ़ा दिया है, परंतु मेरे हृदय में प्रश्न उठता है, क्या ये बलियाँ पत्थर के देवता की आराधना में ही तो नहीं चढ़ाई जा

रहीं ? क्या देवता असल में देवता है, या निरा हाइ-मांस का पुतला ?

दो शब्दों में मेरी शिकायत केवल यह है—जीवन-यात्रा में चलते हुए कई आदर्श हमारे सामने आते हैं। पुरुष-समाज इन आदर्शों से अब तक बचने की कोशिश करता रहा है। शायद कहीं को यह कहना अधिक संयत प्रतीत होगा कि कम-से-कम इस समय पुरुष-समाज इन आदर्शों से अपनी जान बचा रहा है। इन आदर्शों को मढ़ा गया है स्त्री-जाति के सिर ! बड़े-बड़े धुरंधर पंडित दोनों हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं, स्त्रियों का धर्म है, पति की जीवन-पर्यंत सेवा करें; स्त्रियों का धर्म है, पति के मर जाने पर भी उसकी सृष्टि की पूजा करें ! मैं सोचती हूँ, कहीं ‘धर्म’ की इस दुहाई के पीछे पुरुष-जाति की अपनी कमज़ोरी तो नहीं छिपी हुई है ? यदि स्त्री-जाति के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर यह निश्चय करें कि पुरुषों के बहुविवाह करने से हिंदू-धर्म की नैया डावाँडोल हो रही है; उनके पती के मर जाने पर फिर से शादी कर लेने से हिंदू-धर्म की नाक कट चुकी है, और बच्ची-खुच्ची भी कटनेवाली है; पति अपनी सेवा-परायणा स्त्री को भी पैर से टुकराता है, इससे धर्म ‘त्राहि-त्राहि’ पुकार रहा है—यदि सब स्त्रियाँ मिलकर यह पास कर दें, तो पुरुषों के पास क्या उत्तर है ?

पुरुषों ने स्त्रियों के लिये उच्च आदर्श बना दिए हैं। वे उच्च

हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु साथ ही वे इकत्तरफा हैं। लियों की तरफ से माँग लठ रही है—इन आदर्शों का पालन पुरुषों को भी करना होगा। यदि पुरुष इन आदर्शों को पालने से चूकेंगे, जैसा कि वे चूक रहे हैं, तो वही होगा, जो आज हमारी आँखों के समुख हो रहा है।

भविष्य

हमने देख लिया, खी का जीवन उसके गुलाम होने का एक जीता-जागता नमूना है। कोई समय था, जब उसकी समाज में स्थिति ऊँची थी, वह पुरुष के समान समाज की एक आवश्यक अंग थी। परंतु वह समय केवल भारतवर्ष में था। खी के लिये वही स्वर्णीय युग था। उसका झलक प्राचीन साहित्य में ही रह गई है। उसके बाद से वह संसार के किसी कोने में स्वतंत्र नहीं दिखाई देती। योरप में १८वीं शताब्दी के अंत तक खी परतंत्र थी, गुलाम थी। यह बात ठीक है कि १७वीं शताब्दी में फ्रेनेलौन तथा मैटेम डी मेटेनौन ने फ्रांस में खी-शिक्षा-संवंधी कुछ कार्य प्रारंभ किया था, परंतु उनका आदर्श भी खी को मानसिक क्षेत्र में आज्ञादी देने का नहीं था। उन्होंने खी को संसार के प्रति सर्वथा उदासीन हो जाने का पाठ पढ़ाया। उनके लिये जो पाठशालाएँ खोलें, उनमें वे संसार में रहती हुई भी संसार से अलग थों। दो लड़कियाँ आपस में बात नहीं कर सकती थों। उनके आगे-पीछे अध्यापिकाएँ चलती थीं, जो इस बात पर ध्यान रखती थीं कि कहीं बालिकाएँ चलते-फिरते किसी समय आपस में बात न कर लें। इस चुप्पी में, कानाफूसी:

में, वे लड़कियाँ सालों बिना देती थीं। इस प्रकार की शिक्षा तो लड़कों के लिये दासता से भी बुरी थी। योरप में लड़कों उस दासता से निकलकर अब स्वतंत्र हो गई है। उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का अधिकार लगभग माना जा चुका है। परंतु भारतवर्ष में लड़कियाँ से निकलने की इस लड़ाई में अभी बहुत पीछे हैं। उसके साथ अभी युलामों का सा ही वर्णाव हो रहा है। पुरुष के लिये जो क्षेत्र खुले हैं, लड़कों के लिये वे सब बंद हैं। लड़कों से जो आद्याएँ की जाती हैं, लड़कों के सामने जो आद्यां रखते जाते हैं, पुरुष से न तो वे आद्याएँ ही की जाती हैं, और न उन आद्यों का सौत्राँ हिस्सा भी उसके जोक्कन में पाया जाता है। जेवर, पर्दा, सब लड़कों के शरीर पर उसकी युलामी की निशानियाँ हैं। लड़कों को शिक्षा से अभी तक बचित ही रखा जा रहा है। परंतु घरानों में लियों की स्थिति जानवरों से बढ़कर नहीं है, अर्थात् घरानों में वे क्षर में एक अलंकार बनकर रहती हैं—इससे लैंची स्थिति अभी तक हमने लियों को नहीं दी। स्त्री तथा पुरुष में मेद है, इससे कोई इनकार नहीं करता, परंतु मेद होना और बात है, और लैंचनीच का भाव होना और बात है। लड़की तथा पुरुष में मेद होते हुए भी समाज की दृष्टि में दोनों बराबर हो सकते हैं। अब तक हमारे समाज की रचना लड़की तथा पुरुष के मेद पर आश्रित नहीं रही; हमारे समाज का निर्माण तो इस बात पर हुआ

है कि लड़ी पुरुष की अपेक्षा अत्यंत निचले दर्जे की है, लड़ी तथा पुरुष की मानसिक योग्यता के क्षेत्र में वरावरी हो ही नहीं सकती, पुरुष स्वभाव से ऊँचा और लड़ी स्वभाव से नीची है। अब तक हमारे समाज ने स्त्री को अपनी क्रीतदासी ही समझा है। विवाह, जेवर, पर्दा, शिक्षा, वर्तावा, स्थिति, इन सबमें स्त्री के जीवन पर युलामी की एक अमिट छाप दिखाई देती है। ये शुभ लक्षण हैं कि स्त्री-समाज अब इस भावना के विरुद्ध भड़क रहा है। मैं तो समझती हूँ कि उसे अभी और अधिक भड़काने की जरूरत है। इस समय तक हमारे समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है, उसे देखकर चुपचाप, हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना संभव नहीं जान पड़ता। इस स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक है, और वह भी मौलिक परिवर्तन, साधारण परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। आज पढ़ी-लिखी स्त्रियों के हृदय में परिवर्तन की जो प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो गई है, उसका एकमात्र कारण यही है कि वे सदियों की इस युलामी को अब देर तक नहीं देख सकतीं। इसी परिवर्तन की तरफ उदीयमान स्त्री-समाज बड़े उत्सुकता-पूर्ण नेत्रों से टकटकी लगाए देख रहा है।

आज लड़ी-समाज की विचित्र अवस्था है। कल्पना कीजिए कि एक लड़ी घोड़े पर चढ़कर सैर करने को निकल जाती है। उसे यह नया काम करते देखकर मिज्ज-मिज्ज व्यक्तियों के हृदय

में भिन्न-भिन्न भाव उठने लगते हैं। पुरुष-समाज, जो श्री को अब तक मकान में बंद रखने का आदी है, उसकी तरफ आँखें फाइ-फाइकर देखने लगता है। अनेक पुरुष इस बात को सोच भी नहीं सकते कि स्त्री भी घोड़े की सवारी कर सकती है। उनके लिये यह बात एक अनहोनी बटना है। पुराना स्त्री-समाज भी इन्हों विचारों में पला है, इसलिये हमारी बृद्धा माताएँ भी किसी युवती को घोड़े पर सवारी करते हुए देखकर आश्चर्य करने लगती हैं। उनकी सम्मति में तो आजकल की लड़कियाँ कुछ को कलंक लगा रही हैं, वेश्वर्म होती चली जा रही हैं। परंतु अगर सवारी करनेवाली वहन से कहा जाय कि तुम्हारे विषय में तुम्हारे दुजुरों की यह राय है, तो क्या वह यह नहीं पूछ सकती कि उसे घोड़े की सवारी करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों इस काम के लिये उसे निर्लज्ज कहा जाता है? अगर लड़का घोड़े की सवारी कर सकता है, तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? अगर लड़की के लिये यह काम वेश्वर्मी का है, तो लड़के के लिये क्यों नहीं? कौन कह सकता है कि ये प्रश्न ठीक नहीं हैं? परंतु क्या हम इन प्रश्नों का कोई उचित उत्तर दे सकते हैं? और, अगर हम इनका उचित उत्तर नहीं दे सकते, तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि बियाँ इस आजादी के जमाने में, यों ही ताले में बंद होकर बैठी रहेंगी? इसी का नतीजा है कि वर्तमान समाज में नवीन विचारों में पली हुई लड़कियाँ न तो इस बात पर आश्चर्य करती हैं कि उनकी एक वहन

घोड़े की सवारी कैसे कर सकती है, और न उनके हृदय में उस बहन के विषय में निर्लज्ज होने का भाव उत्पन्न होता है। उनके हृदय में तो केवल यही भाव उत्पन्न होता है कि जैसे यह घोड़े पर चढ़ रही है, वैसे हम भी चढ़ें, हमें भी ऐसा मौज्जा मिले। इन विचारों में कोई अस्वाभाविकता नहीं है। आखिर खियाँ भी तो मनुष्य हैं। उन्हें अब तक जबर्दस्ती एक संकुचित क्षेत्र में रखा गया है, इसीलिये तो उनके विचार संकुचित हो गए दिखलाई पड़ते हैं। इस संकुचित क्षेत्र से वे निकल जायें, तो वे क्यों न उसी प्रकार सोचने लगें, जिस प्रकार अब तक पुरुष-समाज सोचता रहा है। अगर किसी लड़के को लड़कियों के-से वायु-मंडल में बंद करके रखा जाय, तो वह भी तो परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। वह वैसा ही शर्मीला, वैसा ही पराश्रित हो जाता है। पुराने और नए जमाने में यह भेद है कि इस समय खियाँ उस तंग दायरे को छोड़ रही हैं, जिसमें वे अब तक पड़ी रही हैं। पहले स्त्रियाँ परतंत्रता में सारी आयु विता सकती थीं, अब वे स्वतंत्रता की पवन के एक झोंके को पाकर भी पंख कटे पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगती हैं। अवस्थाओं के बदल जाने से स्त्री की प्रकृति भी बदलती जा रही है। ये विचार शिक्षा के साथ ही फैल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अशिक्षिता बहनों में भी ये विचार घर करते चले जा रहे हैं। भेद इतना ही है कि शिक्षित बहनें अपने विचारों को किया में परिणत करने को भी तैयार हो जाती हैं, अशिक्षिता

वहने परिस्थितियों को अपने विरुद्ध देखकर शर्मा जाती हैं, साहस नहीं कर सकतीं। अपने वंधनों को तोड़ डालने की उल्ट अभिलापा प्रत्येक नवयुवती के हृदय में उत्पन्न हो गई है, चाहे वह शिक्षिता हो, चाहे अशिक्षिता, चाहे अवस्थाएँ उसके अनुकूल हों, चाहे प्रतिकूल ।

जो वात घोड़े की सवारी के संबंध में हैं, वही जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी हैं। जिन कामों को केवल पुरुष किया करते थे, उन्हें अब स्त्रियों ने भी करना शुरू कर दिया है। पुरुष-समाज, जो अब तक स्त्रियों को इन कामों के अयोग्य समझता था, स्त्री में इन परिवर्तनों को देखकर अब दाँतों-तले उँगली दबा रहा है; हमारा पुराना स्त्री-समाज, जो अब तक पुरुष-समाज द्वारा पढ़ाए हुए गुलामी के विचारों को अपना स्वभाव-सा समझने लगा था, इन परिवर्तनों को देखकर धबराने लगा है; परंतु वर्तमान नवयुवकों तथा नवयुवियों का समाज इन परिवर्तनों को खी-जाति के अच्छे दिन फिर आने का शुभ लक्षण समझ रहा है, और पुरुष-समाज द्वारा खी-जाति पर किए गए आज तक के सामूहिक अत्याचारों को याद करके रोष कर रहा है। आजकल के विचारों में पछी ढुई किसी भी खी की समझ में नहीं आ सकता कि लियों को प्रत्येक काम में वह आजादी क्यों न हो, जो पुरुषों को है; स्त्री की समाज में वही स्थिति क्यों न हो, जो पुरुषों की है? क्यों पुरुषों को मालिक समझा जाय, क्यों स्त्रियों को गुलाम समझा जाय? क्या यह वात ठीक नहीं कि जब तक स्त्री

की गुलामी के भाव समाज में प्रवल थे, तभी तक स्त्री अयोग्य और असमर्थ थी, पुरुष के मुक्काबिले में नहीं आ सकती थी, पुरुषों से शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में बहुत नीची थी। आज ज्यों-ज्यों वे भाव नष्ट होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों खियों की अयोग्यता और असमर्थता भी दूर होती जा रही है। वे पुरुषों के मुक्काबिले में आकर कई बातों में पुरुषों को भी पछाड़ती चली जा रही हैं। अगर प्रकृति ने ही पुरुष तथा स्त्री में कोई ऐसा भेद रख दिया होता, जिससे समाज में स्त्री की स्थिति पुरुष से नीची ही रहनी होती, तो आज योरप में खियाँ ग्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के मुक्काबिले में आकर जो कुछ कर रही हैं, वह सब न कर सकतीं। इस बात को पुरुष तथा स्त्री दोनों समझने लगे हैं, और इसके समझने के साथ-साथ स्त्री की स्थिति और उसका भविष्य विल्कुल नया रूप धारण करते चले जा रहे हैं।

जिसने स्त्री की भूत की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया है, वह यह कहे विना रह नहीं सकता कि अब तक स्त्री के साथ जो अत्याचार का वर्ताव होता रहा है, भविष्यत् उसी की प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। वह प्रतिक्रिया योरप में प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, और भारत में भी खियों की जागृति के रूप में प्रकट हो रही है। अब तक स्त्री को अयोग्य कहकर, पुरुष से नीची कहकर दबाया गया है; अब स्त्री अपने को योग्य बनाकर, पुरुष के मुक्काबिले की बनकर, पुरुष से कई क्षेत्रों में आगे बढ़कर दिखाएँगी। अब स्त्री पुरुष के साथ प्रतियोगिता

के हर क्षेत्र में आएगी। पुरुष जो कुछ करता रहा है, और जिस काम में भी वह अपनी ईश्वर-प्रदत्त स्वामानिक योग्यता की दुहाई देकर खीं को अपने से नीची कहता रहा है, उसमें खीं अब सिद्ध करेगी कि वह पुरुष से नीची नहीं थी, पुरुष की मुलार्मी में बैठे होने के कारण वह अब तक अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकी थी। खीं अब यह सिद्ध करेगी कि अगर उसे भी पुरुष के समान ही अवसर दिया जाय, तो वह भी प्रत्येक क्षेत्र में उसी प्रकार अपनी योग्यता का परिचय दे सकती है, जिस प्रकार अब तक पुरुष देता रहा है। पुरुष बकालन करते रहे हैं, लियों भी बर्काल बनकर दिखाएँगी, और बकालन भी पुरुषों से अच्छी करके दिखाएँगी। पुरुष चिकित्सा करते रहे हैं, लियों भी चिकित्सिकाएँ, बनकर दिखाएँगी, और पुरुषों की अपेक्षा अच्छी चिकित्सा करेंगी। लियों पुरुषों के मुकाबिले में सब कुछ करेंगी, और प्रत्येक काम पुरुषों से बढ़कर दिखाएँगी। लियों को अयोग्य तथा असमर्थ कहकर सदियों से जो दासता में रखने का प्रयत्न किया गया है, उसका वे अन्न मुँहन्तोड उत्तर देंगी। येरप तथा भारत में खीं-जाति का भविष्य प्रतिक्रिया की इसी भावना के साथ बँधा हुआ है। इस प्रतिक्रिया को रोका नहीं जा सकता। अब तक खीं-जाति के साथ जो इकतरफा बर्ताव हुआ है, उसके प्रतिकार के लिये यह आवश्यक हो गया है कि खीं-समाज को अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास करके दिखा देने का अवसर दिया जाय। इस

अवसर के लिये वे अब किसी का मुँह नहीं ताकेंगी। इस अवसर को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, और इसी से उनके भविष्य का निर्माण हो रहा है।

इस प्रतिक्रिया का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि समाज में पुरुष तथा लड़ी की स्थिति एक समान हो जायगी। पुरुष को उच्च तथा लड़ी को नीच समझने का विचार नष्ट हो जायगा। अब तक जिस प्रकार समाज के क्षेत्र से लड़ी को निर्वासित किया गया था, वह अवस्था नहीं रहेगी। लड़ी-जाति अब तक गुलामी के बोझ से दबती चली आई है। अब वह इस बोझ को अपने कंधों पर से उतार फेकेगी। अब तक उसे पुरुष से नीचा गिना जाता रहा है, अब वह पुरुष के साथ बराबर होने के अपने अधिकार को मनवाकर रहेगी। अब तक समाज से अर्धचंद्र देकर उसे निकाला जाता रहा है, अब वह समाज के क्षेत्र में पुरुष के बराबर अपना स्थान बनाकर रहेगी। अब तक पुरुष जो कुछ करता रहा है, लड़ी को उस सबसे बल-पूर्वक रोका गया है, अब वह पुरुष के मुक्ताविले में सब कुछ करेगी। लड़ी-जाति का निकट भविष्य यही है। वह अपने भूत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया करेगी, एक प्रबल प्रतिक्रिया करेगी। इस प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक तथा आवश्यक है। अगर यह प्रतिक्रिया न होगी, तो लड़ी तथा पुरुष दोनों के हृदय के भीतर लड़ी के विषय में पुराने विचार कुछ-न-कुछ अपना असर बनाए ही रखेंगे। जिन्हों तब तक अपने

को असमर्थ समझती रहेंगी, जब तक वे पुरुषों द्वारा किए जाने-वाले सब काम करके अपनी योग्यता को परख न लेंगी। इसी प्रकार पुरुष भी जब तक लियों को उन सब कामों को करते हुए न देख लेंगे, जिन्हें अब तक पुरुष ही कर सकते थे, तब तक उनमें लियों की सामर्थ्य के विषय में संदेह बना ही रहेगा। इस प्रतिक्रिया के द्वारा स्त्री के विषय में उसके 'तुच्छ जीव' होने का जो हमारा विचार है, उसका परिशोध हो जायगा। स्त्री ने सदियों की युलामी में जो कुछ खोया है, उसे वह इस प्रतिक्रिया के द्वारा ही फिर से प्राप्त करेगी। संभव है, इस प्रकार अपनी स्थिति को पाने में वह बहुत कुछ खो भी वैठे, परंतु योड़ा-बहुत खोकर भी वह जो कुछ पा जायगी, वह स्त्री को अपनी उचित स्थिति में आने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। अधिक निकट-भविष्य का समय तो इस प्रतिक्रिया का ही उपर रूप होगा, इस समय स्त्री का सबसे बड़ा व्यव अपने खोए हुए मैदान को जीतना होगा, युलामी से निकलकर अपनी योग्यता का परिचय देना होगा, स्त्री तथा पुरुष की समानता को सिद्ध करने में अपनी नस-नस को लड़ा देना होगा।

इस प्रतिक्रिया के अनंतर स्त्री के 'तुच्छ तथा वृणित जीव' होने के विचार के छुस हो जाने पर प्रतिक्रिया की नर्म में स्वभावतः पर्याप्त कमी आ जायगी। तब हम इस स्थिति में होंगे, जब यह निर्णय किया जा सकेगा कि स्त्री को पुरुष के

तथा पुरुष को स्त्री के सुक्राविले में किस क्षेत्र में आना चाहिए, और किसमें नहीं। उस समय समाज में स्त्री को पुरुष के बराबर स्थिति मिल चुकी होगी, और तब वह, किसी अयोग्यता के कारण नहीं, परंतु श्रम-विभाग के नियमों के अनुसार, पुरुष के साथ किसी प्रकार का समझौता कर सकेगी। स्त्री तथा पुरुष का कार्य-क्षेत्र अगर अलग-अलग है, तो उनके सामाजिक दृष्टि से एक समान होते हुए भी ऐसा हो सकता है। उनके कार्य-क्षेत्र को भिन्न-भिन्न सीमाओं में बाँधने के लिये यह तो आवश्यक नहीं कि समाज से स्त्री की स्थिति को ही सर्वथा उड़ा दिया जाय। इस समय स्त्री के सामने सबसे पहला काम तो अपनी स्थिति को बनाना हो गया है। जब वह स्थिति बन जायगी, तब समानता के मंच पर आकर वह पुरुष के साथ अपने काम को बाँट सकेगी। उस समय स्त्री तथा पुरुष के क्षेत्रों का निर्णय इन दोनों की समानता को मानकर किया जायगा, इन दोनों में मालिक तथा गुलाम का संबंध कलिप्त करके नहीं। बराबरवालों में भी तो श्रम-विभाग के कारण कार्य-क्षेत्र का विभाग हो सकता है। परंतु इस प्रकार श्रम-विभाग के आधार पर अपने क्षेत्र को सीमाबद्ध करती हुई भी स्त्री अपने को किसी प्रकार की असमर्थता की अवस्था में रखने के लिये तैयार नहीं होगी। अगर स्त्री श्रम-विभाग के कारण घर को अपना कार्य-क्षेत्र चुनेगी, तो भी घर के बाहर के क्षेत्र में कार्य करने के लिये अपने को स्वतंत्र रखेगी।

अगर वह कभी अपने को ऐसी अवस्थाओं में पाएगी, जिनमें घर से बाहर रहकर कार्य करना ही उसके लिये हितकर होगा, तो वह अपनी सामर्थ्य का उपयोग करेगी, और अगर इसी बात की चखरत हुई, तो घर छोड़कर पुरुष के मुकाबिले में भी कार्य करेगी। अब आगे से स्त्री अपने को ऐसी स्थिति में ढालने के लिये कभी तैयार न होगी, जिसमें, किसी हालत में भी, वह बिल्कुल पराश्रित हो जाय, बिल्कुल गुलाम हो जाय। खी-जाति का प्रस्तु पूर्ण रूप से तभी हल होगा।

जब भारत की स्त्रियाँ उतना जाग जायेंगी, जितना पश्चात्य देशों की उनकी बहनें जाग चुकी हैं, जब वे अपने मानवीय अधिकारों को फिर से ग्रास कर लेंगी, जब वे गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जायेंगी, और जब वे ‘प्रतिक्रिया’ की प्रक्रिया से उज्जरकर स्वस्थ अवस्था में आ जायेंगी, तब शायद फिर वे उन्हीं आदर्शों की तरफ झुकेंगी, जो आदिकाल से स्वयं भगवान् ने खी-जाति के हृदय में धरोहर के रूप में रखे थे। खी ‘शक्ति’ की प्रतिनिधि है, वह महान् है, दिव्य है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना अच्छा है; जीवन-संग्राम में परास्त हो जाना बुरा है। परंतु आर्थिक स्वतंत्रता ही पा लेना खी के जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता। योरप की बहनें आर्थिक स्वतंत्रता को पाने में अपने जीवन की बाजी लगा रही हैं। उनका दृष्टिकोण आमूल-चूल आर्थिक होता चला जा रहा है। वे किसी चीज़ को बिना

आर्थिक दृष्टि के देख ही नहाँ सकताँ। परंतु इस आदर्श में सुख नहाँ, शांति नहाँ। जीवन का ऊँचा आदर्श जीवन का ध्येय पाने में नहाँ, खोने में है, लेने में नहाँ, देने में है, भोगने में नहाँ, त्यागने में है। पुरुष के लिये भी, स्त्री के लिये भी इसी आदर्श में सुख है, जीवन है। शायद पुरुष की अपेक्षा स्त्री इस आदर्श के अधिक निकट है। आज स्त्री की 'शक्ति' सदियों से गुलामी में पड़े रहने के कारण पुरुष को उठाने के बजाय गिरा रही है, आगे ले जाने के बजाय पछे धकेल रही है; परंतु जब यह 'शक्ति' जाग जायगी, और पूर्ण रूप से जाग जायगी, तब फिर से वह मानव-जाति के विशाल पोत के लिये भवसागर में ध्रुव तारे का काम देने लगेगी, उसके मार्ग की ज्योति और उसके जीवन का सहारा बन जायगी। स्त्री को अपनी वास्तविक स्थिति तो तभी प्राप्त होगी, परंतु उससे पहले, जिस प्रकार सतोगुण में पहुँचने के लिये रजोगुण से गुजरना पड़ता है, स्त्री-जाति को भी भारत के ग्रान्चीन सात्त्विक आदर्श तक पहुँचने के लिये पश्चिम के राजसिक जीवन से गुजरना ही पड़ेगा। यह बुराई है, परंतु आवश्यक बुराई है। इस बुराई में से ही स्त्री-जाति की भलाई निकलेगी। तमोगुण रजोगुण से गुजरकर ही सतोगुण तक पहुँचता है। स्त्री-जाति को अब तक तमोगुण की स्थिति में रखा गया है। तमोगुण में से वह रजोगुण की तरफ आ रही है। जब तक स्त्री-जाति के विषय में पुराना गुलामी का एक भी विचार मौजूद रहेगा, तब तक

उसकी स्थिति तामसिक ही रहेगी। परंतु ये विचार बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। स्त्री की स्थिति तामसिक अवस्था से राजसिक अवस्था में आ रही है। स्त्री में कर्मशीलता बढ़ती जा रही है, अभी रजोगुण की यह मात्रा बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि तमोगुण का एक अंश भी देखने को नहीं रहेगा। उसके बाद रजोगुण से स्त्री के सतोगुण का आविर्भाव होगा—स्त्री, 'शक्ति' के रूप में, 'माता' के रूप में प्रकट होगी। स्त्री का वह दिव्य रूप उसका वास्तविक रूप होगा, और वही उसकी सृष्टिशीय स्थिति होगी।
